सी० बी०-II संख्या 274

लोक सभा

खान (संशोधन विधेयक), 1972

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

30 अगस्त, 1973 को प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 1973/भाद्र, 1895 (शक)
मूल्यः 2 रु० 35 पै०

खान (संशोधन विधेयक), 1972 संबंधी संयुक्त समिति

के प्रतिवेदन का शुद्धिपत्र

क्रमांक	पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िये
1	दस	24	5	'अन्तर'	अन्दर
2	ग्यारह	27	7	मुख्य निरीक्षण	मुख्य निरीक्षक
3	चौदह	3	5	वमनस्य	वैमनस्य
4	18	62 ग	5	ति	प्रति
5	28	58	-	इण्डिया	इण्डियन
6	35	33	1	2. 11. 73 को हटा कर पढ़ें ।	
7	41	एक	-	डिवेलमेंट	डिवेलपमेंट
8	62	22	-	श्री सरदार स्वर्णसिंह सोखी	सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
9	64	2	3	दौरा किया और	दौरा किया जाये और
10	65	बारह	3	तलमिनाडु	तमिल नाडु
11	66	-	30	निदेषक खान सुरक्षा दक्षिण क्षेत्र मैसु	निदेशक खान सुरक्षा दक्षिण क्षेत्र मैसूर
12	68	-	16	श्री टी. वी. चन्द्रशेखरप्पा वीर - स -	श्री टी. वी. चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा
13	68	-	25	श्री आर. कुर्जीपदम	श्री आर. कुंजीथापदम
14	71	-	34	विधाती	विधायी
15	73	-	31	श्री द्विवेजेन्द्रलाल सेनगुप्ता	श्री द्विजेन्द्र लाल सेनगुप्ता
16	74	नीचे से दूसरी		श्री परिपूर्नन्द पैनुली	श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
17	75	-	28	श्री कासिम अली आबिन्द	श्री कासिम अली आबिद
18	76	नीचे से पांचवीं		श्री कासिमयाली आविद	श्री कासिम अली आविद
19	77	6	1	तत्पसचात्	तत्पश्चात
20	82	6	4	की उप-धारा (क)	की उप-धारा (क क)
21	101		17	श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा	श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
22	101	नीचे से चौथी		समिनि	समिति
23	102	11	1	रधुमाथ रेड्डी	रघुनाथ रेड्डी

विषय-सूची

	पृष्ठ
संयुक्त समिति की रचना	(iii)
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(v)
विमति टिप्पण	(xiii)
विधेयक—जैसा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है . . .	
परिशिष्ट—एक :	
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव . .	23
परिशिष्ट—दो :	
राज्य सभा में प्रस्ताव	25
परिशिष्ट—तीन :	
उन संस्थाओं, संगठनों, आदि की सूची, जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए .	26
परिशिष्ट—चार :	
विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आदि के प्रतिनिधियों की सूची, जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया	29
परिशिष्ट—पांच :	
संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश	38

खान (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भगीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
4. श्री दीनेन भट्टाचार्य
5. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
6. श्री मूलचन्द डागा
7. श्री अनादि चरण दास
8. श्री के० जी० देशमुख
9. श्री सी० डी० गौतम
10. श्री भोगेन्द्र झा

*11. श्री पुरुषोतम काकोडकर

12. श्रीमती शीला कौल
13. श्री सुरेन्द्र महन्ती
14. श्री बकशी नायक
15. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
16. श्री दामोदर पांडे
17. श्री प्रभुदास पटेल
18. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
19. श्री रामजी राम
20. चौधरी रामप्रकाश
21. श्री भोला राउत
22. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
23. चौधरी साधू राम
24. श्री रामनारायण शर्मा
25. श्री टी० सोहन लाल
26. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
27. श्री आर० पी० उलगनम्बी
28. श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा

**29. श्री जी० वेंकटस्वामी

30. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

---

*श्री बालगोविन्द वर्मा के समिति से त्यागपत्र देने पर 3–4–73 से उनके स्थान पर नियुक्त।

**श्री आर० के० खाडिलकर के समिति से त्यागपत्र देने पर 8–3–73 से उनके स्थान पर नियुक्त।

राज्य सभा

31. श्री कल्याण राय
32. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
33. श्री मनोरंजन राय
34. श्री वीरेन्द्र कुमार सक्लेचा
35. श्री बी० के० महन्ती
36. श्री सीताराम सिंह
37. श्री शोवलिस के० शिल्ला
38. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर
39. श्री महेन्द्र बहादुर सिंह
40. श्री काली मुखर्जी
41. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
42. श्री कासिम अली आबिद
43. श्री हिम्मत सिंह
44. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्त
45. श्री इन्दर सिंह

विधायी सलाहकार

1. श्री पी० एल० गुप्त—**अपर विधायी सलाहकार**
2. श्री वी० एस० भाष्यम—**उप विधायी सलाहकार**

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक—**सचिव**
2. श्री एन० पी० दुबे—**अपर सचिव**
3. श्री डी० एस० निम—**संयुक्त सचिव**
4. श्री एच० बी० घोष—**खान सुरक्षा महानिदेशक**
5. श्री वी० के० चन्ना—**उप-सचिव**
6. श्री पी० आर० नायर—**अवर-सचिव**

सचिवालय

1. श्री पी० के० पटनायक—**संयुक्त सचिव**
2. श्री एच० जी० परांजपे— **उप-सचिव**

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं उस संयुक्त समिति का सभापति, जिसे खान अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने का विधेयक *सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक भी संलग्न है ।

2. यह विधेयक 22 मई, 1972 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव तत्कालीन श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री श्री आर० के० खाडिलकर द्वारा 25 मई, 1972 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और स्वीकृत हुआ था (परिशिष्ट एक) ।

3. राज्य सभा ने 30 मई, 1972 को उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की (परिशिष्ट दो) ।

4. राज्य सभा से प्राप्त सन्देश लोक सभा में 1 जून, 1972 को पढ़ा गया ।

5. कुल मिलाकर समिति की 26 बैठकें हुई ।

6. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिये 3 जून, 1972 को हुई । समिति ने निर्णय किया कि विधेयक की विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले और उस पर समिति के विचारार्थ ज्ञापन प्रस्तुत करने के इच्छुक मजदूर संगठन, प्रबन्धक संस्थाएं तथा व्यक्ति 30 जून, 1972 तक ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं । सभापति को इसके लिये प्राधिकृत किया गया कि वह विभिन्न संस्थाओं, संगठनों इत्यादि से प्राप्त हुए ज्ञापनों पर विचार करके यह निश्चित करे कि उनमें से किन-किन को समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिये बुलाया जाये ।

इस बैठक में समिति ने मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए देश के कुछ एक खनन क्षेत्रों का दौरा करने का भी निर्णय किया जिससे कि समिति के सदस्य विभिन्न प्रकार की खानों में विद्यमान कार्य की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और समिति ने कुछ एक राज्यों की राजधानियों में अपनी बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय किया ताकि सम्बन्धित क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं, संगठनों इत्यादि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया जा सके ।

7. विधेयक के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों, संस्थाओं इत्यादि से समिति को 71 ज्ञापन प्राप्त हुए (देखिए परिशिष्ट तीन में दी गई सूची) ।

8. समिति ने विभिन्न खानों का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए दौरा किया, अर्थात् उस ने भुड़कुण्डा कोयला खान, हजारी बाग स्थित केदला झारखण्ड कोयला खान तथा माइन्स रैसक्यू स्टेशन, धनबाद का जुलाई, 1972 में हैदराबाद स्थित सिंगारेनी कोयला खान, मैसूर की मैग्नेसाइट खानों तथा कोलार की सोने की खानों,

---

* भारत के असाधारण राजपत्र—भाग दो, खण्ड दो, दिनांक 22 मई, 1972 में प्रकाशित ।

गोश्रा की लौह अयस्क खानों और नागौर की मैंगनीज खानों का अक्तूबर/नवम्बर, 1972 में, मद्रास की नेवेली लिग्नाइट खानों का जनवरी, 1973 में, जयपुर की अभ्रक खानों का जनवरी, 1973 में और जम्मू तथा काश्मीर की चूना-पत्थर की खानों तथा पत्थर खदानों का जून, 1973 में दौरा किया ।

9. समिति ने विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया मौखिक साक्ष्य सुना (देखिए परिशिष्ट चार में दी गई सूची) ।

10. 20 जुलाई, 1973 को हुई अपनी बैठक में समिति ने निर्णय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य दोनों सदनों के सभा-पटलों पर रखा जाए; और (दो) विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से समिति को प्राप्त हुए ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद, संसद सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद् ग्रन्थालय में रखी जायें ।

11. समिति का प्रतिवेदन 4 अगस्त, 1972 तक सभा में प्रस्तुत किया जाना था । समिति को इसके लिए समय बढ़ाने की मंजूरी छः बार दी गई । पहली बार 3 अगस्त, 1972 को 22 दिसम्बर, 1972 तक; दूसरी बार 19 दिसम्बर, 1972 को 9 मार्च, 1973 तक; तीसरी बार 26 फरवरी, 1973 को 4 मई, 1973 तक; चौथी बार 3 अप्रैल, 1973 को 30 जुलाई, 1973 तक; पांचवीं बार 27 जुलाई, 1973 को 18 अगस्त, 1973 तक तथा छठी बार 16 अगस्त, 1973 को पांचवीं लोक सभा के आठवें सत्र के अन्तिम दिन तक समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई ।

12. समिति ने 2, 3, 4, 19 तथा 20 जुलाई, 1973 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया ।

13. समिति ने 27 अगस्त, 1973 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

14. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के बारे में समिति के विचार अगले पैराग्राफों में दिये गये हैं ।

15. खण्ड 2 (खण्ड 3 के रूप में पुनः संख्यांकित)—समिति ने कुछ शब्दों की परिभाषाओं में संशोधन किया है जो इस प्रकार है :—

(एक) उप-खण्ड (दो) [उप खण्ड (चार) के रूप में पुनःसंख्यांकित]—

(क) कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मालिक अथवा अभिकर्ता द्वारा कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिये जाते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि प्रबन्ध को उनके वहां पर कार्य करने का ज्ञान हो और इस प्रकार के व्यक्तियों को खान में रोजगार पर लगा हुआ नहीं माना जा सकता जिसका कारण यह है कि उनकी नियुक्ति न तो प्रबन्धक द्वारा की गई होती है और न उनके कार्य करने के बारे में ही प्रबन्धक को ज्ञान होता है । समिति अनुभव करती है कि इससे इस प्रकार के व्यक्तियों को कठिनाइयां होंगी क्योंकि वे अकारण ही अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहेंगे ।

इस प्रकार के सम्बन्धित व्यक्तियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए इस उप-खण्ड के खण्ड (ज) के प्रारम्भिक भाग में संशोधन किया गया है ।

(ख) बालू इकट्ठा करने और खान तक उसके परिवहन के कार्य पर लगे व्यक्तियों को भी उन व्यक्तियों के समान समझा जाना चाहिए जो किसी खनन संक्रिया

में नियोजित हैं ताकि वे अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रसुविधाओं से वंचित न रह जायें । तदनुसार प्रस्तावित खण्ड (ज) के भाग (i) में संशोधन किया गया है ।

(ग) वह व्यक्ति भी जो किन्हीं वर्तमान या भावी खनन संक्रियाओं से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध भवनों, सड़कों, कुओं और संकर्मों के संनिर्माण में काम कर रहा हो, खान में नियोजित व्यक्ति समझा जाना चाहिए । तदनुसार प्रस्तावित खण्ड (ज) के भाग (ii) में संशोधन किया गया है ।

(घ) वह व्यक्ति भी जो खान के परिसर से बाहर भी खनिजों को भेजने के लिए लदान संक्रियाओं में काम कर रहा हो, खान में नियुक्त व्यक्ति समझा जाना चाहिए । तदनुसार प्रस्तावित खण्ड (ज) के भाग (iv) में संशोधन किया गया है ।

(ङ) कुछ क्षेत्रों में खान का कार्यालय, जिसकी परिभाषा अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) में दी गई है, खान के परिसर से बाहर भी अवस्थित है और ऐसे मामलों में प्रस्तावित उपबंधों के अनुसार उन में काम कर रहे व्यक्ति अधि-नियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली प्रसुविधाओं से वंचित रह जायेंगे । प्रस्तावित खण्ड (ज) के भाग (V) में उपयुक्त संशोधन किया गया है ।

(च) खान के परिसर के अन्दर रिहायशी क्षेत्रों म पहरा व निगरानी के लिए नियोजित कार्मिक भी खान में नियोजित व्यक्ति समझे जा सकते हैं । अतः प्रस्तावित खण्ड (ज) के भाग (vi) में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

(छ) अधिनियम के प्रयोजनार्थ उन सभी व्यक्तियों को भी जो खनन संक्रियाओं के आनुषंगिक किसी अन्य क्षेत्र में नियोजित हैं, खान में नियोजित व्यक्ति समझा जाना चाहिए । प्रस्तावित खण्ड (ज) के भाग (vii) में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

(दो) **उप-खण्ड (iii)** [उप-खण्ड (**v**) के रूप में पुनः संख्यांकित]—"खान" की प्रस्तावित परिभाषा में वे खानें नहीं आतीं जो खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अनदत्त खनन पट्टे अथवा तैल-क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा किसी पट्टे अथवा अनज्ञप्ति के बिना चलाई जा रही हैं । अतः ऐसी खानें खान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आयेंगी और उनके स्वामी श्रमिकों की सुरक्षा उन के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए बाध्य नहीं होंगे । समिति का विचार है कि ऐसी खानों को भी अधिनियम की परिधि में लाया जाना चाहिए । अतः प्रस्तावित खण्ड (ब) में "खान" शब्द की परिभाषा म संशोधन किया गया है ताकि इस के अन्तर्गत वे खानें भी आ सकें ।

(तीन) **उप-खण्ड (iv)** [उप-खण्ड (**vii**) के रूप में पुनःसंख्यांकित]—समिति का विचार है कि वह "क्षति" भी जिसमें क्षतिग्रस्त व्यक्ति बीस दिन से भी कम अवधि के लिए मजबूरी के कारण अनुपस्थित रहता है "रिपोर्ट-योग्य क्षति" समझी जानी चाहिए । अतः "रिपोर्ट-योग्य क्षति" की परिभाषा में तदनुसार संशोधन किया गया है ।

(चार) **उप-खण्ड (v)** [उप-खण्ड (**viii**) के रूप में पुनः संख्यांकित]—समिति का विचार है कि "गंभीर शारीरिक क्षति" की परिभाषा में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सम्मिलित किया जाना चाहिए—

(क) शरीर के किसी अंग या भाग के उपयोग की स्थायी हानि;

(ख) स्थायी शारीरिक असमर्थता;

(ग) हाथ या पैर की उंगलियों के एक या एक से अधिक जोड़ या उनकी अस्थि या अस्थियों का भंग हो जाना; और

(घ) शरीर के किसी अन्य भाग की हानि या क्षति।

परिभाषा में तदनुसार संशोधन किया गया है।

इस खण्ड में किये गये अन्य परिवर्तन शाब्दिक हैं।

16. **खण्ड 3** [खण्ड 4 के रूप में पुनः संख्यांकित]—समिति के समक्ष साक्ष्य दिये जाने के दौरान सभी छोटी खदानों के स्वामियों तथा खुले मुंह वाली खानों के स्वामियों ने समिति को अभ्यावेदन दिया था कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 3 के लागू किए जाने से कार्यचालन संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। साथ ही, उन्होंने यह सुझाव दिया कि खुले मुंह वाली खानों और खदानों के लिए पृथक विनियमावलो होनी चाहिए। समिति नोट करती है कि इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातो के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि खुले मुंह वालो खानों और खदानों के लिए पृथक विनियमावली होनो चाहिए। समिति यह भी नोट करती है कि 14 और 15 जुलाई, 1973 को कलकत्ता में आयोजित खानों में सुरक्षा संबंधी तीसरे सम्मेलन में सब का यही मत था कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उस में की गई सिफारिशें स्वीकार्य नहीं हैं किन्तु फिर भी सभी खुले मुंह वाली खानों के लिये चाहे उनका आकार कुछ भी हो और चाहे खनिज की कितनी भी मात्रा निकाली जाती हो, पृथक विनियमावली की व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है। समिति सिफारिश करती है कि सरकार खुले मुंह वाली खानों और खदानों के लिए पृथक विनियमावली तैयार करे।

17. **खण्ड 5** [खण्ड 7 के रूप में पुनःसंख्यांकित]—(एक) समिति का विचार है कि किसी खान में सुरक्षा और उपजीविका संबंधी स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने से पूर्व खान के प्रबन्धक को सूचना देने के लिये तीन दिन का समय बहुत अधिक है और उसका विचार है कि इस संबंध में अड़तालीस घंटे की सूचना उपयुक्त होगी।

प्रस्तावित नई धारा 9क की उप-धारा (1) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(दो) समिति का यह भी विचार है कि खान में नियोजित किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सुरक्षा और उपजीविका संबंधी स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए चुना जाए, ऐसी चिकित्सीय परीक्षा में तथा खान से चिकित्सीय परीक्षा के स्थान तक तथा वापसी की यात्रा में व्यतीत किया गया समय उसके काम करने के समय में गिना जाना चाहिए और उसको अतिकालिक संदाय, यदि कोई हो, मजदूरी की मामूली दर के दुगुने से किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित नई धारा 9क के उपखण्ड (3) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(तीन) समिति का यह भी विचार है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे उपजीविका सम्बन्धी स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अन्तर्गत चिकित्सीय परीक्षा के लिए चुना जाये, यदि वह विशेष प्रकार के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चिकित्सीय रूप में अयोग्य घोषित किया जाता है, उसे प्रबन्धक द्वारा चिकित्सीय उपचार और ऐसे उपचार की कालावधि के दौरान पूरी मजदूरी दी जानी चाहिए और यदि उसे वर्तमान काम के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसके लिए समुचित वैकल्पिक काम की व्यवस्था करनी चाहिए।

अतएव इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नई धारा 9क में एक नई उप-धारा (4) जोड़ दी गई है।

18. **खण्ड** 6 [खण्ड 8 के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया] समिति का विचार है कि किसी खान के निरीक्षण के दौरान मुख्य निरीक्षक अथवा किसी निरीक्षक अथवा कोई व्यक्ति जो निरीक्षण में उनकी सहायता कर रहा है द्वारा प्राप्त कोई जानकारी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों तथा रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियनों को अनुरोध किये जाने पर प्रकट कर दी जाती है तो उसे अन्य बातों के साथ साथ अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के प्रवर्तन से भी छूट दे दी जायेगी ।

इस खण्ड के भाग (ख) में समुचित संशोधन कर दिया गया है ।

19. **खण्ड** 7 [खण्ड 9 के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया] —उपखण्ड (1):—

(एक) समिति का विचार है कि जबकि देश में विभिन्न प्रकार की खानें हैं, एक खनन बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण देश के लिए दक्षतापूर्वक कार्य करना संभव नहीं होगा, विशेष रूप से जबकि विभिन्न राज्यों अथवा राज्यों के वर्गों के लिए इस समय नौ खनन बोर्ड स्थापित किये गये हैं। इसलिए समिति का विचार है कि कम से कम दो खनन बोर्ड होने चाहिएं—एक कोयला खनन उद्योग के लिए दूसरा कोयले से भिन्न खनन उद्योग के लिए ।

प्रस्तावित धारा 12 में तदनुसार समुचित संशोधन कर दिया गया है ।

(दो) समिति का विचार है कि जहां तक कोयला खानों का सम्बन्ध है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से प्रस्तावित धारा 12 के खण्ड (ङ) में प्रयुक्त शब्दावली "खान स्वामियों का संगठन" का कोई अर्थ नहीं रह गया है । इस खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ताकि सरकार खनन बोर्ड में सरकारी क्षेत्र की कोयला खनन यूनिटों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनसे (सरकारी क्षेत्र की कोयला खनन यूनिटों से) परामर्श कर सके ।

(तीन) खण्ड (च) समिति का विचार है कि प्रस्तावित खनन बोर्डों में खानों में नियोजित व्यक्तियों के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए चार व्यक्तियों का नाम निर्देशन पर्याप्त नहीं है तथा समिति सिफारिश करती है उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर छ: व्यक्ति कर देना चाहिए ।

प्रस्तावित धारा 12 के खण्ड (च) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

(चार) समिति का विचार है कि खनन बोर्ड में खान के प्रबन्धकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्तियों के नाम-निर्देशन से इस बात की आशंका है कि खानों में नियोजित अन्य तकनीकी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा । उनके हितों को भी सुरक्षित रखने के लिए शब्दावली "खान के प्रबन्धकों" के स्थान पर "खान नियोजित तकनीकी व्यक्ति" शब्दावलि प्रतिस्थापित करनी चाहिए।

प्रस्तावित धारा 12 के खण्ड (छ:) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

20. **खण्ड** 8 [खण्ड 10 के रूप पुन: संख्यांकित कर दिया गया]—समिति का विचार है कि जहां तक समिति में अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित खान में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये केन्द्रीय सरकार को खान में नियोजित व्यक्तियों की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के परामर्श से दो व्यक्तियों का नाम-निर्देशन करना चाहिये । और यदि ऐसी कोई मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार खानों में नियोजित व्यक्तियों के ऐसे किसी अन्य संगठन से, जिसे सरकार आवश्यक समझे, परामर्श कर सकती है ।

खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

21. खण्ड 12 (एक) प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (3) में किया गया संशोधन एक प्रकार का स्पष्टीकरण है।

(दो) प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (4) में किया गया संशोधन परिणामिक प्रकार का है।

22. खण्ड 14 [खण्ड 15 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया]--समिति का विचार है कि यदि किसी खान का स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करता, तो मुख्य निरीक्षक को उन्हें नोटिस देना चाहिये और यदि मुख्य निरीक्षक आवश्यक समझें तो वह खान में नियोजित व्यक्तियों को खान में अथवा उसके आसपास काम करने से रोक सकता है, इस प्रकार जो नियोजित व्यक्ति बेकार हो जाते हैं उन्हें फिर से काम पर लगाये जाने के समय तक पूरी मजदूरी दी जानी चाहिये।

प्रस्तावित नई धारा 22 क का तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

23. खण्ड 15 [खण्ड 16 के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया गया]--अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शारीरिक क्षति के कारण यदि कोई क्षति प्रतीत व्यक्ति बाध्य होकर अड़तालीस घन्टे की अवधि से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम एक रजिस्टर में अंकित कर लेना आवश्यक होता है। समिति का विचार है कि केन्द्रीय सरकार को इस बात की शक्ति प्रदान की जानी चाहिये कि वह चौबीस घन्टे से अधिक अवधि होने पर भी निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर में इन की प्रविष्टि के आदेश दे सके तथा उन पर अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये। इस खण्ड के भाग (ख) में समुचित संशोधन कर दिया गया है।

24. खण्ड 16 [खण्ड 17 के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया गया]--समिति का विचार है कि दुर्घटना स्थल पर जीवन हानि या गंभीर शारीरिक क्षति एक ही व्यक्ति की हुई हो तो भी घटना स्थल में मुख्य निरीक्षक या किसी निरीक्षक के आने के पूर्व या उसकी सम्मति के बिना हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। समिति का यह भी विचार है कि मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना प्राप्त होने के व्यहत्तर घंटे के अन्तर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करे और यदि युक्त अधिकारी ने उस अवधि के अन्दर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण नहीं किया है तो दुर्घटना स्थल पर काम फिर से शुरू किया जा सकता है। प्रस्तावित नई धारा 23 क का तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

25. खण्ड 17 [खण्ड 18 के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया गया]--समिति का विचार है कि खान में नियोजित किसी व्यक्ति, जिसे खान में कालानुपाती दर पर नियोजित किया गया है यदि उस व्यक्ति ने पूर्वगामी सप्ताह के दौरान वही या सदृश प्रकार का काम न किया हो, तो उसकी औसत मजदूरी की दर उसके (क) काम के दिनों के औसत पर या (ख) पूर्वगामी सप्ताह में उसके दैनिक उपार्जन के औसत पर उनमें से जो भी अधिक हो आधारित की जायेगी।

धारा 33 की प्रस्तावित उपधारा (2) के परन्तुक में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है। (दो) समिति का यह भी विचार है कि खाद्य तेलों के मुफ्त दिये जाने से प्राप्त प्रतिकर को खान में नियोजित व्यक्ति की मजदूरी की मामूली दर में शामिल किया जाना चाहिये।

धारा 33 की प्रस्तावित उपधारा (3) को तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

26. खण्ड 20 [खण्ड 21 के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया गया]––समिति सिफारिश करती है कि यदि खान में नियोजित व्यक्ति ने खान में एक कलैण्डर वर्ष तक सेवा पूरी कर ली है तो उसकी वार्षिक मजदूरी सहित छुट्टी निम्न प्रकार से संगणित की जायेगी :––

(क) खान में भूमि के नीचे नियोजित व्यक्ति की दशा में उसके द्वारा प्रत्येक बारह दिन किये गये कार्य के लिये एक दिन की मजदूरी की दर पर ; और

(ख) किसी अन्य दशा में उसके द्वारा प्रत्येक सोलह दिन किये गये कार्य के लिये एक दिन की मजदूरी की दर पर। अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

27. खण्ड 22 [खण्ड 23 के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया गया]––(एक) खान अधिनियम, 1952 की धारा 58 के खण्ड (ग) में यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में सूचना जारी करके धारा 24 के अन्तर्गत जांच न्यायालय की नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था कर सकती है तथा सम्बध खान के प्रबन्धक स्वामी या अभिकर्ता से अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के न्यायालय के व्यय की वसूली के नियम बना सकती है। खान अधिनियम, 1952 की धारा 58 (ग) के अन्तर्गत निर्मित खान नियम, 1955 के नियम 22 के उपनियम (2) में यह व्यवस्था की गई है कि मुख्य निरीक्षण या निरीक्षक द्वारा उस मजिस्ट्रेट को जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थान है जहां खान स्थित है या वह स्थान है जहां पर उसका स्वामी कुछ समय से निवास कर रहा है, आवेदन पत्र दिये जाने पर उस मजिस्ट्रेट के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत उस खान के स्वामी की चल सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री से उस जांच न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार जांच न्यायालय के व्यय को वसूल किया जा सकता है। समिति का विचार है कि क्योंकि खानों में चल सम्पत्तियां कुर्की के लिये आसानी से उपलब्ध नहीं होती और कुछ खानों में तो वे सम्पत्तियां न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये व्यय की वसूली के लिये पर्याप्त नहीं होती, इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये कि जितनी राशि की वसूली का निदेश दिया गया है उसे मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी को आवेदन पत्र दिये जाने पर खान के स्वामी से वह भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जा सके।

(दो) समिति यह भी अनुभव करती है कि श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा श्रमिकों की ओर से खानों के निरीक्षण करने के लिये दी जाने वाली सुविधाओं सम्बन्धी नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को शक्ति दी जानी चाहिये।

उपर्यक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

28. खंड 27 [खण्ड 28 के रूप में पुनः संख्यांकित]––(एक) समिति का विचार है कि बचाव समिति में सभी वर्गों के हितों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिये, प्रस्तावित बचाव समिति की सदस्य संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इसमें कम से कम दस और अधिक से अधिक 18 सदस्य होने चाहियें।

अतः प्रस्तावित नई धारा 62 (क) की उपधारा (4) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(दो) समिति को बताया गया है कि कोयले की खानों के अतिरिक्त अन्य ऐसी खानें भी हैं, जिनमें भूमि के नीचे काम करना पड़ता है और इन खानों में भी कोयले की खानों से कम जोखिम नहीं है। अतः खान बचाव स्टेशन को सभी खानों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये कोयला खानों से भिन्न खानों पर भी शुल्क अधिरोपित किया जाना चाहिये।

अतः समिति का विचार है कि सरकार विधेयक के इस खण्ड में संशोधन करने की व्यावहार्यता की जांच करे। जिससे कि सभी खानों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

29. खंड 28 और 29 [खंड 29 और 30 के रूप में पुनः सांख्यांकित]--

समिति का विचार है कि न्यायालयों को अपने विवेक से न्यूनतम दण्ड देने की शक्तियां देना वांछनीय नहीं है तथा अधिनियम की धारा 22क के अधीन जारी किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिये कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।

खण्ड 28 और 29 के भाग (ख) में उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है।

30. खंड 34 [खण्ड 35 के रूप में पुनः सांख्यांकित]--समिति का विचार है कि अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा 85ग में "जब तक अन्यथा विहित न किया जाए" शब्दों की आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों को तदनुसार हटा दिया गया है।

31. खंड 1 और अधिनियमन सूत्रः इस खण्ड में किए गए संशोधन औपचारिक स्वरूप के हैं।

32. समिति ने नोट किया है कि खान सुरक्षा निदेशालय में "खानों का मुख्य निरीक्षक" अथवा "खानों का निरीक्षक" जिनका अधिनियम तथा विधेयक में भी उल्लेख हुआ है, का अब कोई पद नहीं है। ब्रिटिश कैलेण्डर, जैसे कुछ शब्द भी प्रचलन में नहीं है। समिति का विचार है कि इस प्रकार के तथा अन्य अधिकारियों के पदनाम तथा अन्य शब्द जो अब प्रचलन में नहीं हैं, अधिनियम अथवा विधेयक में, जहां कहीं आवश्यक हो, बदल दिये जाने चाहियें।

अतः इस सम्बन्ध में, जहां कहीं आवश्यक था, अपेक्षित परिवर्तन कर दिये गये हैं।

33. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

नई दिल्ली; **अनन्त प्रसाद शर्मा,**
30 अगस्त, 1973 **सभापति**

---

8 भाद्र, 1895 (शक)

विमत टिप्पण

I

प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु खान (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति की एक बैठक 27 अगस्त, 1973 को आयोजित की गई। विधेयक पर खण्डवार विचार करते समय, दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरा मत स्वीकार नहीं किया गया। अतः मैं अपनी विमत टिप्पणी प्रतिवदन के साथ संलग्न करना चाहता हूं :—

(एक) खण्ड (9) में दो खनन बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया गया। किन्तु इस सम्बन्ध में मेरा मत है कि पहले ऐसे 9 बोर्ड थे। तीन अतिरिक्त बोर्ड बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिये, तथा बोर्डों की स्थापना करने के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये जाने चाहिये। कोयला खान के मामले में, जहां एक लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं, एक अलग बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये। इसी प्रकार, अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिये भी जहां 50,000 या एक लाख से अधिक श्रमिक खनन का काम करते हैं, अलग बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। निश्चित रूप से मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए बिना, केवल यह व्यवस्था करना कि कोयला खानों तथा कोयले के अतिरिक्त शेष खनिजों के लिए एक-एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा। यह कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

(दो) दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बोर्ड या इससे सम्बन्धित समिति [खण्ड 10 (धारा 13) आदि] में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को किस आधार पर नाम-निर्दिष्ट किया जाये। मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने के बजाये, श्रमिकों को गुप्त मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रणाली निर्धारित करना अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक एवं न्यायसंगत होगा। इससे श्रमिकों के प्रतिनिधियों का सही प्रतिनिधित्व होगा।

नई दिल्ली;
27 अगस्त, 1973 **वीरेन्द्र कुमार सकलेचा**

II

खान अधिनियम का संशोधन लगभग 20 वर्ष पश्चात् किया जा रहा है। इस अवधि में निम्नलिखित कोयला खानों में सात बड़ी घातक दुर्घटनायें हुई हैं जिनके परिणामस्वरूप कोयला खानों में ही लगभग 1,500 श्रमिक मारे गये :—

न्यूटन चिकली कोयला खान (मध्य प्रदेश)
अमलाबाद कोयला कोयला खान (बिहार)
बुर्राधेमो कोयला खान (पश्चिम बंगाल)
चिनाकुरी कोयला खान (पश्चिम बंगाल)

धोरी कोयला खान (बिहार)

केन्द्रीय भौरा कोयला खान (बिहार)

जीतपुर कोयला खान ।

इन कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की जांच करने हेतु नियुक्त जांच न्यायालयों ने भूमि के अन्दर काम करने वाले श्रमिकों और लोगों की सुरक्षा तथा अन्य मामलों में सुधार करने के सम्बन्ध में अनेकानेक सिफारिशें कीं। इसी प्रकार अमलाबाद कोयला खानों और जीतपुर कोयला खान में हुई घातक दुर्घटनाओं के बीच की अवधि में तीन सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किये गये हैं। पहले और दूसरे सुरक्षा सम्मेलन द्वारा भी सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ करने के लिये अनेकानेक सिफारिशें की गई। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दल ने, जिसमें खनन विशेषज्ञ भी शामिल हैं, देश का दौरा किया और बहुमूल्य सुझाव दिये। किन्तु सरकार ने न तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने और न उनको इस खान (संशोधन) विधेयक में शामिल करने के लिये ही गम्भीर प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप खनिकों को प्रभावित करने वाली अनेक समस्यायें पहले जैसी ही बनी हुई हैं और इससे खानों में सुरक्षा कार्य गम्भीर संकट में पड़ जायेगा।

(2) यह भी दुर्भाग्य की बात है कि बचाव-स्टेशनों, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दल ने सिफारिश की थी, की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज वर्तमान बचाव-स्टेशनों की संख्या बहुत कम है।

(3) मैं कोयला और कोयला-भिन्न दोनों ही खनन बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के सरकार द्वारा किये जाने का कड़ा विरोध करता हूं। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं श्रमिकों को करना चाहिये। जैसा कि समस्त विश्व में होता है। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने से सुरक्षा कार्य गम्भीर संकट में पड़ जायेगा, तथा इससे वमस्नव की भावना उत्पन्न होगी।

(4) **धारा 13 का संशोधन**—इसी प्रकार, मैं खानों में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान्यताप्राप्त कामिक संघों के परामर्श से दो व्यक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने का विरोध करता हूं। खान के भीतर काम करने वाले श्रमिकों को भी अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होना चाहिए। सरकार द्वारा किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को थोपने से सुरक्षा को खतरा होगा और श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच घनिष्ट सहयोग में बाधा पड़ेगी।

(5) खान सुरक्षा समिति का चुनाव श्रमिकों द्वारा गुप्त मतदान से किया जाना चाहिए। इस समय जहां-जहां सुरक्षा समितियां हैं, उनके सदस्य नामनिर्दिष्ट हैं, जो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं करते। यदि कोई वास्तव में दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा के लिए श्रमिकों का घनिष्ट सहयोग प्राप्त करना चाहता है, तो श्रमिकों को अपना प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होना चाहिए, न कि सरकार को।

नई दिल्ली; **कल्याण राय**

29 अगस्त, 1973

III

खान अधिनियम 1952 में पारित किया गया था । उसमें 20 वर्षों के बाद संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है । निस्संदेह यह एक सराहनीय विधान है । परन्तु स्वीकृत प्रतिवेदन में बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं का कोई उल्लेख नहीं है । जहां तक खानों में सुरक्षा उपायों का सम्बन्ध है, संशोधन विधेयक एक व्यापक विधान नहीं है जिसके लिए लोगों, विशेष रूप से खनिकों में बड़ी लालसा तथा आशा है ।

इस प्रतिवेदन में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए किसी प्रभावी निवारक उपाय का उल्लेख नहीं है । निस्संदेह कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनके अन्तर्गत खानों के अन्दर तथा खानों के आसपास घटित किसी छोटी तथा घातक घटना के पश्चात उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की व्यवस्था है ।

संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि हम खनन बोर्डों के गठन, जिनमें मजदूरों के प्रतिनिधि अल्पमत में होंगे, सम्बन्धी उपबन्ध का कड़ा विरोध करते हैं । खानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छः व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा खानों में नियोजित व्यक्तियों के ऐसे संगठनों के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे, जो उस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त हों, सम्बन्धी उपबन्ध के आधार पर मजदूर, बोर्ड में स्वयं अपना प्रतिनिधि भेजने से स्वतः वंचित हो जाते हैं । अतः हमारा सुझाव है कि खनन बोर्ड से सम्बन्धित इस उपबन्ध विशेष में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि मज़दूरों के प्रतिनिधि अल्पमत में न हों और मज़दूरों के प्रतिनिधि गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किये जायें ।

जहां तक बचाव केन्द्र समिति के गठन का सम्बन्ध है, मज़दूरों को इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । कोयला खानों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है और प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिये जाने की बात की जा रही है । ऐसी परिस्थितियों में यह शोचनीय है कि संशोधन विधेयक में बचाव केन्द्र समिति में मजदूरों को प्रतिनिधित्व देने का कोई उपबन्ध नहीं है । हमारा सुझाव है कि बचाव स्टेशन समिति के गठन सम्बन्धी धारा में यह भी उपबन्ध किया जाये कि बचाव केन्द्र समिति में मजदूरों का प्रतिनिधि भी शामिल होगा जिसको गुप्त मतदान के आधार पर चुना जायेगा ।

धारा 72ग का संशोधन करते समय भयानक परिणामों वाले कानून के उल्लंघन सम्बन्धी विशेष उपबन्ध की शब्दावली ऐसी है कि कारावास के उपबन्ध को न्यायिक जांच करने वाले दण्डाधीश के स्वविवेक का विषय बना दिया गया है । हमारा सुझाव है कि मूल अधिनियम की धारा 72ख के उपबन्ध की भांति मूल अधिनियम की धारा 72ग (संशोधन विधेयक के खण्ड 30) में भी कारावास और जुर्माने (न कि कारावास या जुर्माने) के दण्ड का उपबन्ध होना चाहिए ।

अन्त में यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त समिति जिसका गठन एक वर्ष पहले किया गया था, एक ऐसा प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है, जिसमें 1952 के खान अधिनियम के संशोधनों का समावेश हो और जिससे पुरानी कमियों और त्रुटियों को दूर किया जा सके ।

तथापि हम अभी भी यह आशा करते हैं कि सरकार अब भी इन त्रुटियों को दूर करेगी और विधान को ऐसा रूप देगी जिसमें कोई कमी न हो ।

नई दिल्ली ;
29 अगस्त, 1973

विनेन भट्टाचार्य
मनोरंजन राय

[माइन्स (अमेण्डमेंट) बिल, 1972 का हिन्दी अनुवाद]

खान (संशोधन) विधेयक, 1972

[जैसा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है]

[जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खिची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन है; जहां तारक चिह्न है वहां लोप किया गया है]

खान अधिनियम, 1952, का और संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान (संशोधन) अधिनियम, 1973 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1952 का 35

"खानों का मुख्य निरीक्षक" और "खानों का निरीक्षक" के पदनाम में परिवर्तन।

2. खान अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), जहां कहीं भी "खानों का मुख्य निरीक्षक", "मुख्य निरीक्षक" "खानों का निरीक्षक", "खानों के निरीक्षक" अथवा "खानों के निरीक्षकों" "निरीक्षकों" और "निरीक्षक" शब्द आते हैं, उनके स्थान पर क्रमशः "खान सुरक्षा महानिदेशक", "महानिदेशक", "खान सुरक्षा उपनिदेशक" "खान सुरक्षा उपनिदेशकों", "उपनिदेशकों" और "उपनिदेशक" शब्द रखे जाएंगे

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(1) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) "अभिकर्ता" से, जब कि वह किसी खान के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है, कोई ऐसा व्यष्टि, चाहे वह उस रूप में नियुक्त किया गया हो या नहीं, अभिप्रेत है जो स्वामी की ओर से कार्य करता हुआ या कार्य करता तात्पर्यित होता हुआ, खान या उसके किसी भाग के प्रबन्ध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन में भाग लेता है;';

(2) खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा।

(iii) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्डों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्––

'(चच) "उपनिदेशक" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया खान सुरक्षा उपनिदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई जिला मजिस्ट्रेट है जब कि वह उपनिदेशक की किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग या किसी ऐसे कर्त्तव्य का पालन कर रहा हो जिसका प्रयोग या पालन करने के लिए वह इस अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया हो।

(चचच) "महानिदेशक" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया खान सुरक्षा महानिदेशक अभिप्रेत है।';

(iv) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्––

(ज) वह व्यक्ति खान में "नियोजित" कहा जाता है जो स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा या उसकी जानकारी में की गई नियुक्ति के अधीन, चाहे मजदूरी पर या मजदूरी के बिना यथा निम्नलिखित काम करता है––

(i) किसी खनन संक्रिया में (जिसके अन्तर्गत खनिजों के उनके खान से भेजे जाने के स्थान तक हथालने और परिवहन की ओर बालू इकट्ठा करने और खान तक उसके परिवहन की साथ वाली संक्रियाएं भी हैं);

(ii) खान के विकास से सम्बन्धित संक्रियाओं या सेवाओं के जिनके अन्तर्गत वहां प्लान्ट, भवनों, सड़कों, कुओं और अन्य संकर्मो का संनिर्माण है जो किन्हीं वर्तमान या भावी खनन संक्रियाओं से प्रत्यक्षतः संबद्ध हो;

(iii) खान में या उसके आसपास उपयोग में लाई गई किसी मशीनरी के किसी भाग के प्रचालन, सर्विस करने, अनुरक्षण या मरम्मत करने में;

(iv) खनिजों को भेजने के लिए लदान की संक्रियाओं में * * *

(v) खान में या उसके आसपास अवस्थित खान के कार्यालय में;

(vi) इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित किए जाने के लिये अपेक्षित किन्हीं कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता या सफाई सेवाओं में या ***खान के परिसर में पहरा व निगरानी के लिए; अथवा

(vii) किसी भी अन्य क्षेत्र में जो खनन संक्रियाओं की तैयारी के लिए या उनके आनुषंगिक या सहायक या उनसे सम्बद्ध है ;' ;

(v) खण्ड (i) का लोप किया जाएगा ।

(vi) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ञ) "खान" से कोई ऐसा उत्खात अभिप्रेत है जहां खनिजों की तलाश या अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिये कोई संक्रिया चाहे किसी खनन पट्टे के अधीन जिसके अन्तर्गत

1948 का 53 तैलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 के अधीन अनुदत्त खोज या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति भी है अथवा खान और खनिज (विनियमन तथा विकास)

1957 का 67 अधिनियम, 1957 के अधीन अनुदत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियमित के अधीन अनुदत्त किसी अन्य पट्टे या अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के अधीन या किसी करार, अनुज्ञा-पत्र, या आदेश के अधीन या अन्यथा चलाई जाती रही है या चलाई जा रही है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत आते हैं :

(i) सब बोरिंग, बोर-छिद्र, तेलकूप तथा अपरिष्कृत अनुकूलन प्लांट, जिनके अन्तर्गत खनिज तेल को तेल क्षेत्रों से उस स्थान तक जहां वह परिष्करणी या अन्य प्रसंस्करण प्लांट में प्रवेश करता है, ले जाने के लिए उपबन्धित पाइप लाइन और पम्पिंग स्टेशन भी हैं ;

(ii) खान में के या उसके पार्श्वस्थ और खान के सब कूपक चाहे व गलाए जा रहे हों या नहीं ;

(iii) खान में के या उसके आसपास अनुखनन के अनुक्रम में सब समतालिकाएं और आनत समपथ ;

(iv) खान में के या उसके आसपास के सब विवृत खनिज ;

(v) खनिजों या अन्य वस्तुओं को खान में लाने या वहां से हटाने या वहां से कचरा हटाने के लिए उपबन्धित सब प्रवहणियां या आकाशी रज्जुमार्ग ;

(vi) खान में के या उसके पार्श्वस्थ और खान के सब एडिट, समतालिकाएं, समपथ, मशीनरी, संकर्म, रेलें, ट्राम और साइडिंग ;

(vii) खान में के या उसके आसपास चलाए जाने वाले सब संरक्षात्मक संकर्म ;

(viii) वे सब भंडार और कर्मशालायें जो खान की प्रसीमाओं के अन्दर स्थित हैं और एक ही प्रबन्ध के अधीन हैं तथा उस खान से या उसी प्रबन्ध के अधीन खानों से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए ही प्रथमतः प्रयोग में लाई जाती हैं ;

(ix) खान को चलाने अथवा एक ही प्रबन्ध के अधीन की अनेक खानों को चलाने के अनन्य, या मुख्य प्रयोजन के लिये विद्युत् प्रदाय करने के लिए सभी विद्युत् केन्द्र, ट्रांसफार्मर उपस्टेशन, रेक्टीफायर स्टेशन, परिवर्तक स्टेशन, संचयी भण्डारकरण स्टेशन ;

(x) खान के स्वामियों के अनन्य अधिभोग में के कोई परिसर जो खान का कचरा अथवा खान में उपयोग के लिए बालू या अन्य सामग्री जमा करने के लिए तत्समय उपयोग में लाया जा रहा है या जिनमें ऐसे कचरे, बालू या अन्य सामग्री के सम्बन्ध में कोई संक्रिया चलाई जा रही हैं ;

(xi) तब के सिवाय जब कि केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छूट दे दी हो, ऐसे परिसर या उनके भाग जो खान में के हैं या उसके पार्श्वस्थ हैं और खान के हैं और जहां खनिजों या कोक की प्राप्ति, दरेसी या विक्रयार्थ तयारी की कोई अनुषंगी प्रक्रिया चलाई जा रही है ;' ;

(vii) खण्ड (ञञ) का लोप किया जाएगा ।

(viii) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

(तत) "रिपोर्ट-योग्य क्षति" से गंभीर शारीरिक क्षति से भिन्न ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिसमें क्षतिग्रस्त व्यक्ति

मजबूरी के कारण अनुपस्थित रहता है या उसके ऐसे अनुपस्थित रहने की पूरी अभिसंभावव्यता है;';

(ix) खण्ड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्

(थ) "गंभीर शारीरिक क्षति" से ऐसी कोई क्षति या एसी क्षति की पूरी अधिसंभाव्यता अभिप्रेत है, जिसमें शरीर के किसी अंग या भाग के उपयोग की स्थायी हानि, या दृष्टि या श्रवण शक्ति की स्थायी हानि या क्षति, या कोई स्थायी शारीरिक असमर्थता या कोई अस्थि भंग, या हाथ या पैर की उंगलियों के एक या एक से अधिक जोड़ या उनकी अस्थि या अस्थियों का भंग हो जाना भी है और उसके अन्तर्गत शरीर के किसी अन्य भाग की हानि या क्षति भी है ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में,

(क) "इमारती पत्थर" शब्दों के पश्चात् "स्लेट" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा

(ख) "मुलतानी मिट्टी" शब्दों के पश्चात् "मार्ल, खड़िया" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएगे ।

अध्याय 3 के शीर्षक के स्थान पर नए शीर्षक का रखा जाना ।

5. मूल अधिनियम के अध्याय 2 में "निरीक्षक और प्रमाणकर्ता सर्जन" शीर्षक के स्थान पर "निरीक्षक कर्मचारिवृन्द और प्रमाणकर्ता सर्जन" रखा जाएगा ।

धारा 8 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(क) "खान का" शब्दों के पश्चात् "या उसके किसी उत्पाद का" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "खान या उसके किसी भाग का" शब्दों के पश्चात् "या उसके किसी उत्पाद का" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 9क का अन्तःस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्षेम और उपजीविका संबंधी स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने की शक्ति ।

"9क (1) महानिदेशक या उपनिदेशक या अन्य आफिसर जो उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, किसी खान के प्रसामान्य काम-घण्टों के दौरान किसी समय अथवा दिन या रात में किसी समय, जब भी ऐसा आवश्यक हो, खान के प्रबन्धक को कम से कम अड़तालीस घंटे की लिखित सूचना देने के पश्चात् खान में क्षेम और उपजीविका संबंधी स्वास्थ्य विषेयक सर्वेक्षण कर सकेगा ; और खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक, ऐसे महानिदेशक, उपनिदेशक या अन्य आफिसर को सभी आवश्यक सुविधाएं देगा (जिनके अन्तर्गत प्लांट और मशीनरी की परीक्षा और परीक्षण के लिए सर्वेक्षण से संबंधित नमूने और

अन्य आंकड़े एकत्र करने के लिए तथा सर्वेक्षण के लिए) चुने गये खान में नियोजित किसी व्यक्ति के परिवहन और उसकी परीक्षा के लिए सुविधाएं भी हैं ।

(2) खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन क्षेम और उपजीविका संबंधी स्वास्थ्य सर्वेक्षण में किसी परीक्षा के लिए चुना जाए ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए और ऐसे स्थान पर अपने को प्रस्तुत करेगा जो आवश्यक हो तथा उक्त सर्वेक्षण से संसक्त अपने काम और स्वास्थ्य विषयक सभी जानकारी देगा ।

(3) खान में नियोजित किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सुरक्षा और उपजीविका संबंधी स्वास्थ्य सर्वेक्षण में परीक्षा के लिए चुना जाए, परिवहन और ऐसी चिकित्सीय परीक्षा में व्यतीत किया गया समय उसके काम करने के समय में गिना जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि कोई भी अतिकालिक संदाय मजदूरी की मामूली दर के दुगुने से किया जायेगा ।"

(4) (क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन चिकित्सीय परीक्षा के परिणामस्वरूप खान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चिकित्सीय रूप में अयोग्य घोषित किया जाता है, चिकित्सीय उपचार का और ऐसे उपचार की कालावधि के दौरान पूरी मजदूरी का हकदार होगा, और स्वामी, अभिकर्ता और प्रबन्धक ऐसे व्यक्ति द्वारा चिकित्सीय उपचार में उठाए गए खर्चों और उक्त कालावधि के लिए उसकी पूरी मजदूरी के संदाय के लिए दायी होंगे ।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति चिकित्सीय उपचार के पश्चात् ऐसी खान में कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए चिकित्सीय रूप में अयोग्य घोषित किया जाता है, जिसमें वह चिकित्सीय उपचार कराने के तत्काल पूर्व निर्वहन कर रहा था, तो स्वामी, अभिकर्ता और प्रबन्धक ऐसे व्यक्ति को खान में समुचित वैकल्पिक काम दिलाने की व्यवस्था करेगा ।

धारा 10 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में "निरीक्षण" शब्द के पश्चात् "या सर्वेक्षण" शब्द तथा "धारा 8" शब्द और अंक के पश्चात् "या धारा 9क" शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) भारतीय खान ब्यूरो का नियंत्रक ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत या मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन ;

(छ) ऐसा अन्य आफिसर, प्राधिकारी या संगठन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए"।

धारा 12 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना और व्यावृत्ति । खनन बोर्ड का गठन ।

9. (1) मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"12 (1) केन्द्रीय सरकार उस तारीख से, जो वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ,

(क) सभी कोयला खानों के लिए एक खनन बोर्ड; और

(ख) कोयला खानों से भिन्न सभी खानों के लिए एक खनन बोर्ड गठित करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "कोयला खान" का अर्थ वही होगा जो उसका कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ख) में है । 1973 का 15

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक खनन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :

(क) महानिदेशक या उपनिदेशक से भिन्न सरकार की सेवा में का एक तकनीकी व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) महानिदेशक या उपनिदेशक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ग) महानिदेशक या उपनिदेशक से भिन्न एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(घ) ऐसे राज्यों की, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त समय समय पर विनिर्दिष्ट करे सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ङ) खानों के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा खानों के स्वामियों के परामर्श से या खानों के स्वामियों के ऐसे संगठनों के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो उस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त हों;

(च) खानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा खान में नियोजित व्यक्तियों के ऐसे संगठनों के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो उस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त हों ; तथा

(छ) खानों में नियोजित तकनीकी व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा खानों में नियोजित तकनीकी व्यक्तियों के ऐसे संगठनों के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो उस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त हों ।

खनन बोर्ड के कार्यो और कार्यवाहियों का रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य न होना ।

12क (1) खनन बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ।"

(2) (क) इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन खनन बोर्ड की (जिसे इस उपधारा में इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) गठन की तारीख से ––

(i) मूल अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित और पूर्वोक्त तारीख को उस रूप में कार्य करता हुआ प्रत्येक खनन बोर्ड विघटित हो जायेगा ;

(ii) ऐसे खनन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य जो पूर्वोक्त तारीख को खनन बोर्ड के सदस्य हों उस रूप में पद धारण करना बन्द कर देंगे ;

(iii) किसी खनन बोर्ड में पूर्वोक्त तारीख को निलंबित सभी कार्यवाहियां निम्नलिखित को अन्तरित हो जाएंगी :—

"(क) जहां ऐसी कार्यवाहियां किसी कोयला खान से सम्बद्ध हैं, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित बोर्ड को,

(ख) जहां कार्यवाहियां कोयला खानों से भिन्न खानों से संबद्ध हैं, उक्त धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित बोर्ड को,

और संबद्ध बोर्ड द्वारा उसी प्रकार निपटाई जाएंगी मानो ऐसी कार्यवाहियां उसके समक्ष लंबित रही हों ।

(ख) खनन बोर्ड द्वारा पूर्वोक्त तारीख से पूर्व की गई कोई बात या कार्यवाही, जहां तक वह इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित

मूल अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होंगी मानो वह संबद्ध बोर्ड द्वारा की गई हों।

10. मूल अधिनियम की धारा में, 13— धारा 13 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) खान में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति **** जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस खान में नियोजित व्यक्तियों की मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे :

परन्तु जहां ऐसी कोई मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन न हो वहां खानों में नियोजित व्यक्तियों के ऐसे अन्य संगठनों के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।"।

(ख) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

** ** ** **

11. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में "निदेशक" शब्द के स्थान पर "नियंत्रक" शब्द रखा जाएगा। धारा 16 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 17 और 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 17 और 18 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना।

प्रबन्ध।

"17. (1) उस दशा को छोड़ कर जिस में अन्यथा विहित किया जाए, हर खान एक एकल प्रबन्धक के अधीन होगी, जिसकी विहित अर्हताएं होंगी और हर खान का स्वामी या अभिकर्ता ऐसी अर्हताएं रखने वाली किसी व्यक्ति को प्रवन्धक नियुक्त करेगा :

परन्तु यदि स्वामी या अभिकर्ता विहित अर्हताएं रखता हो तो वह अपने को प्रबन्धक नियुक्त कर सकेगा।

(2) प्रबन्धक किन्हीं ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए जो उसे खान के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा या उस की ओर से दिए गए हों, खान के समग्र दृष्टि से प्रबन्ध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के लिए उत्तरदायी होगा :

(3) उपधारा (4) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई स्वामी या अभिकर्ता या उस की ओर से कोई व्यक्ति, प्रबन्धक को इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन अधिरोपित प्रबन्धक के कानूनी उत्तरदायित्व की पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले अथवा खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले कोई अनुदेश तब तक नहीं देगा जब तक कि ऐसे अनुदेश देने वाला स्वामी या अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति उस खनन का प्रबन्धक होने के लिए अर्हित न हो और जब ऐसे अनुदेश ऐसे स्वामी या अभिकर्ता या उस अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाएं तब उन की तुरन्त लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी।

(4) आपात की दशा को छोड़ कर, खान का स्वामी या अभिकर्ता या उस की ओर से कोई व्यक्ति प्रबन्धक के माध्यम से अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो खान में नियोजित हो और प्रबन्धक के प्रति उत्तरदायी हो, कोई ऐसे अनुदेश नहीं देगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित उसके कानूनी उत्तरदायित्वों की पूर्ति पर प्रभाव डालें ।

स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व ।

18. (1) हर खान का स्वामी और अभिकर्ता इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि वित्तीय और अन्य उपबन्ध करे तथा अन्य ऐसे कदम उठाए जो पर्याप्त कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए और उस में व्यक्तियों और सामग्री का ऐसी रीति से उपबन्ध करने के लिए आवश्यक हों कि उस में चलाई जाने वाली सभी संक्रियाएं इस अधिनियम के तथा उस के अधीन बनाए गये विनियमों, नियमों और उप-विधियों के और किए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाएं ।

(2) धारा 58 के खण्ड (घ), (ङ) और (त) के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित विषयों की बाबत उत्तरदायित्व का निर्वहन अनन्यतः खान के स्वामी और अभिकर्ता तथा (प्रबन्धक से भिन्न) ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें स्वामी या अभिकर्ता इस अधिनिमय के पूर्वोक्त उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करे, किया जाएगा ।

(3) उपधारा (3) के अधीन दिए गए या धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धक के माध्यम से अन्यथा दिए गए किन्हीं अनुदेशों के पालन में या उस के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के और उस के अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों या उप-विधियों के और किए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हो तो ऐसे अनुदेश देने वाला हर व्यक्ति भी संपृक्त उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दायी होगा ।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि हर खान के स्वामी, अभिकर्ता और प्रबन्धक में से प्रत्येक यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि खान के संसंग में चलाई जाने वाली सभी संक्रियाएं इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाये गये विनियमों, नियमों और उप-विधियों के और किए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाएं ।

(5) उन उपबन्धों को छोड़ कर जो किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्टतः अपेक्षा करते हैं कि वह कोई बात या कार्य करे या जो किसी व्यक्ति को कोई बात या कार्य करने से प्रतिषिद्ध करते हैं, उपधारा (3) में निर्दिष्ट उपबन्धों का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने की दशा में, उल्लंघन करने वाले

व्यक्ति के अतिरिक्त निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति भी उल्लंघन का दोषी तब तक समझा जाएगा जब तक वह यह साबित न करदे कि उस ने उक्त उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सम्यक तत्परता बरती थी और ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिये उचित साधन अपनाए थे :—

(i) उल्लंघन किए गए उपबन्धों की बाबत पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया पदधारी या नियुक्त किए गए पदधारी ;

(ii) खान का प्रबन्धक;

(iii) खान का स्वामी और अभिकर्ता ;

(iv) उपधारा (2) के अधीन उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति, यदि कोई हो :

परन्तु पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी के विरुद्ध कार्यवाही तब नहीं की जाएगी यदि जांच और अन्वेषण पर यह प्रकट हो कि वह प्रथमदृष्ट्या दायी नहीं है ।

(6) इस धारा के अधीन किसी खान के स्वामी और अभिकर्ता के विरुद्ध चलाई गई किसी कार्यवाही में यह प्रतिरक्षा न हो सकेगी कि प्रबन्धक और अन्य पदधारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किए गए है अथवा यह कि उपधारा (2) के अधीन उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिये व्यक्ति नियुक्त किया जा चुका है ।"

धारा 19 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) में "बीस फुट" शब्दों के स्थान पर "छह मीटर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) उपधारा (3) में, "जब तक वह संकट दूर न हो जाए" शब्दों के स्थान पर "जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि संकट दूर हो गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, "उपधारा (3) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात "या धारा 22क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में,—

(i) "उपधारा (4) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात "या धारा 22क के अधीन " शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "जो उसे एक समिति को निर्देशित कर देगी" शब्दों के स्थान पर "जो मामूली तौर पर उसे आक्षेप की प्राप्ति की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर एक समिति को निर्देशित कर देगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (7) में,—

(i) "उपधारा (4) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा 22क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) परन्तुक में "अपेक्षा" शब्द के स्थान पर "सूचना" शब्द रखा जाएगा ।

नई धारा 22क का अन्तःस्थापन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी :—

महानिदेशक की उस दशा में शक्तियां जब अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन न किया जाए ।

"22क. (1) जब सुरक्षा से सम्बन्धित किसी ऐसे विषय की बाबत जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त उपबन्ध किया गया है खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक ऐसे किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में असफल रहे तो महानिदेशक एक लिखित सूचना दे सकेगा जो यह अपेक्षा करे कि उस उपबन्ध का, उस समय के भीतर जो वह सूचना में विनिर्दिष्ट करे, या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर जो वह समय-समय पर तत्पश्चात् विनिदिष्ट करे, अनुपालन करे और जहां स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसी सूचना का अनुपालन करने में असफल रहे वहां महानिदेशक, ऐसी किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती हो, खान या उसके किसी भाग में या उसके आस-पास किसी ऐसे व्यक्ति का नियोजन लिखित आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगा जिसका नियोजन उसकी राय में सूचना के निबन्धनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ उसकी राय में उचित रूप से आवश्यक न हो ।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नियोजन उपधारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध है, उस अवधि के लिए, जिसमें वह प्रतिषेध के न होने पर नियोजित रहता, पूरी मजदूरी के संदाय किए जाने का हकदार होगा और स्वामी, अभिकर्ता और प्रबन्धक उस व्यक्ति को ऐसी पूरी मजदूरी का संदाय करने के लिये दायी होगा ।" ।

धारा 23 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में, "गम्भीर शारीरिक क्षति" शब्दों के स्थान पर "रिपोर्ट-योग्य क्षति या गम्भीर शारीरिक क्षति शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "अड़तालीस घंटे" शब्दों के स्थान पर "चौबीस घन्टे" शब्द रखे जाएंगे ।

17. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थातः—— नई धारा 23क का अन्तःस्थापन।

"23क. (1) जब कभी किसी खान में या उनके आस पास कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिससे दुर्घटना स्थल पर किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको गम्भीर शारीरिक क्षति कारित हो तो घटनास्थल में महानिदेशक या उपनिदेशक के जिसे धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन दुर्घटना की सूचना दी जानी अपेक्षित है, आने के पूर्व या उसकी सम्मति के बिना हस्तक्षेप, परिवर्तन तबतक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसा हस्तक्षेप या परिवर्तन आगे दुर्घटना का निवारण करने के लिए, मृतकों के शरीरों को हटाने के लिए या किसी व्यक्ति को संकट से बचाने के लिए आवश्यक न हो या जब तक घटनास्थल पर काम को बन्द कर देने से खान के कार्यकरण में गम्भीर अड़चन आएगी : दुर्घटना स्थल में हस्तक्षेप न किया जाना।

(2) धारा 23 की उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना महानिदेशक या उक्त उपनिदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात बहत्तर घंटे के अन्दर दुर्घटना-स्थल का निरीक्षण करे।

(3) जहां कि महानिदेशक ने या उक्त उपनिदेशक ने दुर्घटना के समय से बहत्तर घंटे के अन्दर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण नहीं किया है वहां दुर्घटना-स्थल पर काम फिर से शुरू किया जा सकता है।"।

18. मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधाराओं (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थातः—— धारा 33 का संशोधन।

"(2) जहां कि खान में नियोजित किसी व्यक्ति को संदाय मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता हो वहां कालानुपाती दर, जिस सप्ताह में अतिकालिक काम किया गया हो उसके ठीक पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान के उन दिनों के, जब उसने वस्तुतः काम किया, उसके (अतिकाल को छोड़कर) पूर्णकालिक उपार्जनों के दैनिक औसत के बराबर समझी जायेगी और ऐसी कालानुपाती दर ऐसे व्यक्ति की मजदूरी की मामूली दर समझी जाएगी :

परन्तु यदि उस व्यक्ति ने पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान वही या सदृश प्रकार का काम न किया हो तो कालानुपाति दर, उसी सप्ताह में उसके दौरान अतिकाल को छोड़कर उसके काम के दिनों के औसत पर या किसी पूर्ववत सप्ताह में उसके दैनिक उपार्जन के औसत पर, इनमें जो भी अधिक हो, उस पर आधारित की जायगी।

(3) इस धारा और धारा 9क के प्रयोजनों के लिए "मजदूरी की मामूली दर" से मूल मजदूरी तथा ऐसा महंगाई भत्ता तथा भूमि के नीचे काम करने का भत्ता और खाद्यान्न और खाद्य तेलों के मुफ्त दिए जाने के रूप में प्राप्त ऐसे प्रतिकर सहित, यदि कोई हो, जिसके खान में नियोजित व्यक्ति तत्समय हकदार हों, नकद प्रतिकर अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत (उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए गए बोनस से भिन्न) बोनस या ऐसा कोई प्रतिकर नहीं

आता है जो मुफ्त आवास, कोयले के मुफ्त प्रदाय, चिकित्सीय और शैक्षिक सुविधाओं, बीमारी भत्ते, मिट्टी के तेल, ***टोकरियों, औजारों और वर्दियों के प्रदान जैसी सुख सुविधाओं के रूप में प्राप्त हों।"।

धारा 38 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) में "धारा 22" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 22क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा अर्थात :—

"परन्तु जब ऐसा अधिनिर्णय, करार या सेवा-संविदा इस अध्याय में उपबन्धित से दीर्घतर मजदूरी सहित छुट्टी उपबन्धित करती हो तो ऐसा व्यक्ति उस अधिनिर्णय, करार या सेवा-संविदा के अनुसार मात्रा में छुट्टी का हकदार होगा, किन्तु ऐसे विषयों में, जो उस अधिनिर्णय, करार या सेवा-संविदा में उपबंधित न हों या ऐसे विषयों में जिनके लिए उनमें कम अनुकूल उपबन्ध हों धारा 50 से 56 (दोनों सहित) तक के उपबन्ध यावतशक्य लागू होंगे।"।

धारा 52 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 52 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खण्ड (क) में "सोलह दिन" शब्दों के स्थान पर "बारह दिन" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) खण्ड (ख) में "बीस दिन" शब्दों के स्थान पर "सोलह दिन" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात :—

"(10) जहां खान में नियोजित व्यक्ति किसी कलेन्डर वर्ष के दौरान सेवा से उन्मोचित या पदच्युत किया जाए या अपना नियोजन छोड़ दे या अधिवर्षीय होने के कारण निवृत्त हो जाए या सेवा में मर जाए वहां, यथास्थिति, वह या उसके वारिस छुट्टी के बदले में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर से संगणित मजदूरी के हकदार होंगे, यदि —

(क) खान में भूमि के नीचे नियोजित व्यक्ति की दशा में, वह अपने नियोजन की तारीख से अपने उन्मोचन या पदच्युत या नियोजन छोड़ने या अधिवर्षीय होने के कारण निवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक के कुल दिनों के कम से कम आधे दिन हाजिर रहा हो ;

(ख) किसी अन्य दशा में वह अपने नियोजन की तारीख से अपने उन्मोचन या पदच्युति या नियोजन छोड़ने या अधिवर्षीय होने के कारण निवृति या मृत्यु तक के कुल दिनों के कम से कम दो तिहाई दिन हाजिर रहा हो ;

और ऐसी मजदूरी का संदाय खान के स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा धारा 53 में विनिर्दिष्ट दर से उस दशा में जब वह सेवा से उन्मोचित या पदच्युत, हो या नियोजन छोड़े या अधिवार्षिकीय होने के कारण निवृत्त हुआ हो तब ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, नियोजन छोड़ने या निवृत्ति के पश्चात् दूसरे कार्य दिवस के अवसान के पूर्व और जब नियोजित व्यक्ति सेवा में मर जाए तो उसकी मृत्यु की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर किया जाएगा ; " ;

(ग) स्पष्टीकरण में "उपधाराओं (1) और (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपधाराओं (1), (3) और (10)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 57 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 57 में,—

(क) खण्ड (थ) में "कर्षण मार्गों पर उपस्थित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये" शब्दों के स्थान पर "खानों में मशीनरियों के प्रयोग के विनियमन के लिये तथा ऐसी मशीनरी पर या उसके पास तथा कर्षण मार्गों पर नियोजित व्यक्तियों के क्षेम के लिये" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (प) में "रेखांक और खण्डचित्र और उनसे सम्बद्ध स्थलीय टिप्पण जो खानों के स्वामियो, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों द्वारा रखे जाने है " शब्दों के स्थान पर "खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों से अपेक्षा करना कि वे खानों की नियत सीमाएं रखे और रेखांक और खण्डचित्र और उनसे सम्बद्ध स्थलीय टिप्पण जो उनके द्वारा रखे जाने है" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खण्ड (फ) में "अपनाई जाने वाली प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर "स्थिति का प्रभावी तौर पर सामना करने के प्रयोजनार्थ अपनाई जाने वाली प्रक्रिया" शब्द रखें जाएंगें ;

(घ) खण्ड (भ) में "पचास गज" शब्दों के स्थान पर "पैंतालीस मीटर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 58 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 58 में,–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) खनन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें और उनकी रिक्तियां भरने की रीति विहित करना तथा कारबार का संव्यवहार करने के लिये खनन बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना ; " ;

(ख) खण्ड (ग) में "वसूली करना" शब्दों के स्थान पर "उसी रीति से वसूली करना मानो वह भूराजस्व की बकाया की हो" शब्द रखे जायगे ।

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(गग) खान में नियोजित व्यक्तियों की ओर से ओवरमेन से अनिम्न प्रास्थिति के किसी तकनीकी विषेषज्ञ द्वारा उसका निरीक्षण किए जाने का, उसके लिये सुविधाओं का, उन समयों का जब और उस रीति का जिसमें ऐसे निरीक्षण किए जाने हैं तथा उस रीति का जिसमें ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट दी जानी है, उपबन्ध करना ; ";

(घ) खण्ड (द), (ध), (न) और (प) का लोप किया जाएगा;

(ङ) खण्ड (फ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(फ) सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिये विनिर्दिष्ट खानों के समूहों के लिये या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सभी खानों के लिये सुरक्षा समितियों के गठन, तथा सुरक्षा समितियों की संरचना, गठन की रीति और कृत्यों के लिये उपबन्ध करना ; तथा "।

धारा 59 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 59 में,—

(क) उपधारा (1) में "धाराओं 57 और 58 " शब्दों और अंकों के स्थान पर "धाराओं 57, 58 और 62छ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंग ;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निप्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) कोई भी विनियम या नियम तब के सिवाय नहीं बनाया जाएगा जबकि उसका प्रारूप सम्बद्ध खनन बोर्ड को निर्देशित कर दिया गया हो तथा उस खनन बोर्ड को उस विनियम या नियम के बनाने की समीचीनता के बारें में और उसके उपबन्धों की उपयुक्तता के बारें में रिपोर्ट देने का युक्ति-युक्त अवसर मिल गया हो ; " ;

स्पष्टीकरण–इस धारा में और धाराएं 60, 61 और 81 में "सम्बद्ध खनन बोर्ड " अभिव्यक्ति से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

(क) कोयला खानों के सम्बन्ध में, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित खनन बोर्ड, और

(ख) कोयला खानों से भिन्न अन्य सभी खानों के सम्बन्ध में, उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित खनन बोर्ड ! " ;

(ग) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ।

25. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 59 क का अन्त:स्थापन ।

विनियमों और नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना ।

"59क. धारा 57 के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम और धारा 58 के अधीन या 62छ के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगा, रखा जाएगा और यदि पूर्वोक्त सत्र या क्रमवर्ती सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम या नियम में कोई उपान्तर करने के लिये सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह विनियम या नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण, यथास्थिति, उस विनियम या नियम के अधीन पहले ही की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।"

21. मूल अधिनियम की धारा 60 में,— धारा 60 का संशोधन ।

(क) "खनन बोर्डों" शब्दों के स्थाम पर "सम्बद्ध खनन बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परन्तुक में "बनाए गए विनियम" शब्दों के पश्चात् "जानकारी के लिये सम्बद्ध खनन बोर्ड को भेजे जाएंगे और" शब्द अन्त:-स्थापित किए जाएंगे ।

27. मूल अधिनियम की धारा 61 में,— धारा 61 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में "उस खान के प्रबन्ध में कार्य करने वाले या उस खान में नियोजित व्यक्तियों के नियंत्रण और पथप्रदर्शन के लिये इस अधिनियम या किन्हीं तत्समय प्रवृत्त विनियमों या नियमों से असंगत न होने वाली" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम या किन्हीं ऐसे तत्समय प्रवृत्त विनियमों या नियमों से, जो खान में किसी विशिष्ट मशीनरी के उपयोग को या काम करने के विशिष्ट ढंग के अंगीकरण को शासित करते हों, असंगत न होने वाली" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में "या जहां कि कोई खनन बोर्ड न हो वहां ऐसे आफिसर या प्राधिकारी को जिसे केन्द्रीय सरकार साधारणया विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निय्त करे" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध खनन बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) के खण्ड (क) में "या यथापूर्वोक्त खनन बोर्ड या आफिसर या प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध खनन बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

नए अध्याय 8क का अन्तःस्थापित

28. मूल अधिनियम की धारा 62 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय और धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी :—

"अध्याय 8क

कोयला खान बचाव स्टेशन समिति

कोयला खान बचाव समिति का गठन ।

62क. (1) केन्द्रीय सरकार उस तारीख से जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति नामक एक समिति का गठन करेगी (जिसे इसके पश्चात् इस अध्ययय में बचाव समिति कहा गया है) ।

(2) बचाव समिति पूर्वोक्त नाम निगमित निकाय होगी । उसका शश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसे जंगम और स्थावर सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) बचाव समिति का प्रधान कार्यालय धनबाद में या अन्य ऐसे स्थान में होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(4) बचाव समिति में कम से कम दस और अधिक से अधिक अठारह सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(5) केन्द्रीय सरकार बचाव समिति के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(6) बचाव समिति ने सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें और उनकी रिक्तयां भरने की रीति वह होगी जो विहित की जाए ।

(7) बचाव समिति अन्य स्थानों पर उप-समितियां या अभिकरण नियुक्त कर सकेगी ।

प्रबन्ध ।

62ख. बचाव स्टेशनों का साधारण प्रबन्ध, नियन्त्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन बचाव समिति में निहित होगा ।

शुल्क का अधिरोपण और वसूली ।

62ग. (1) बचाव स्टेशनों के प्रशासन के लिये उपकर के रूप में एक उत्पाद शुल्क उन खानों में, जिनके लिये बचाव स्टेशन स्थापित किए गए है बेचे गए सब कोक या कोयले पर दस पैसे ति टन से अनधिक ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर नियत करे, उद्गृहीत और वसूल किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत शुल्क इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार ऐसे अभिकरणों द्वारा और ऐसी रीति से वसूल किया जाएगा जो विहित की जाए ।

62घ. (1) धारा 62घ के अधीन उद्गृहीत शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, संसद् की इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, शुल्क के आगमों में से वसूली के खर्चों को काटने के पश्चात् शेष राशि से अनधिक ऐसी राशियां, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बचाव समिति को इस अधिनियम के अधीन बचाव समिति के कृत्यों के संपादन के लिये दे सकेगी। शुल्क के आगमों का बचाव समिति को दिया जाना।

(2) बचाव समिति की अपनी निधि होगी और बचाव समिति की सभी प्राप्तियां उसमें जमा की जाएंगी तथा बचाव समिति द्वारा किए गए सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।

(3) बचाव समिति की निधि का उपयोजन बचाव समिति के व्ययों को पूरा करने के लिए तथा बचाव स्टेशनों के संन्निर्माण, अनुरक्षण और बनाए रखने पर किया जाएगा।

62ङ. (1) बचाव समिति उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और एक वार्षिक लेखा विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप तैयार करेगी जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए। लेखा और संपरीक्षा।

(2) बचाव समिति की लेखा-संपरीक्षा भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएंगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संसंग में उपगत कोई व्यय बचाव समिति द्वारा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के तथा बचाव समिति के लेखा-संपरीक्षा के संसंग में उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संसंग में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संसंग में होते हैं और विशिष्टतः उसे अधिकार होगा कि पुस्तकों, लेखाओं, सम्बन्धित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागजों के पेश किए जाने की अपेक्षा करे तथा बचाव समिति के कार्यालयों में से किसी का भी निरीक्षण करे।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या यथा-प्रमाणित बचाव समिति के लेखे, उन पर की संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जायेंगे, और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

62च. बचाव समिति केन्द्रीय सरकार को अपने काम और क्रिया-कलाप की एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख के पहले, जो विहित की जाए, देगी और वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। वार्षिक रिपोर्ट।

नियम बनाने की शक्ति ।

62छ. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिये नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे :—

(i) बचाव समिति की निधि की अभिरक्षा ;

(ii) बचाव समिति की सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें तथा उनकी रिक्तियां भरने की रीति और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण बचाव समिति द्वारा अपने कारबार के संव्यहार के लिए किया जाएगा ;

(iii) विनिर्दिष्ट कोयला खानों के समहों के लिए या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सब कोयला खानों के लिए बचाव स्टेशनों की स्थापना की अपेक्षा ;

(iv) बचाव स्टेशनों के प्रबन्ध का भारसाधन करने वाले (बचाव समिति से भिन्न) प्राधिकारियों की शक्तियों और कृत्यों का तथा उनके द्वारा कारबार के संचालन का विनियमन हैं;

(v) बचाव स्टेशनों के उपस्कर; नियन्त्रण, अनुरक्षण और कृत्य विहित करना ;

(vi) बचाव ब्रिगेडों और कोरों के निर्माण, प्रशिक्षण, संरचना और कर्त्तव्यों का तथा बचाव कार्य में प्रशिक्षित खानों में नियोजित व्यक्तियों की सेवा के निबन्धनों और शर्तों का उपबन्ध ;

(vii) अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का विनियमन ;

(viii) वह प्ररूप और वह रीति जिसमें बचाव समिति के लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे जाएंगे और वार्षिक लेखा विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलन पत्र भी हैं, तैयार किया जाएगा;

(ix) बचाव समिति की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और वह तारीख जब या जिसके पूर्व वह केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी ।

कोयला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन गठित समिति की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण ।

62ज. जिस तारीख से धारा 62क की उपधारा (1) के अधीन बचाव समिति स्थापित हो जाए,—

(क) कोयला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन गठित समिति में निहित सब जंगम और स्थावर सम्पत्तियां बचाव समिति में निहित हो जाएंगी ;

(ख) कोयला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन गठित समिति द्वारा उपगत सब ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, उसके द्वारा की गई सब संविदाएं और उसके द्वारा या उसके साथ या उस की ओर से बचनबद्ध की गई सब बातें बचाव समिति द्वारा उपगत या उसके द्वारा, या उसके साथ या उसकी ओर से की गई समझी जाएंगी ;

(ग) वे सब वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो कोयला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन गठित समिति द्वारा, उसकी ओर से या उसके विरुद्ध संस्थित की गई हों या संस्थित की जा सकती हों बचाव समिति द्वारा, या उसकी ओर से या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

व्यावृत्तियां।

62झ. कोयला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन गठित समिति द्वारा खान (संशोधन) अधिनियम 1973, के प्रारम्भ के पूर्व इस अधिनियम के या उसके अधीन बनायें गये नियमो के उपबन्धों के अनुसरण में किए गए सब कार्य और बातें, जब तक वे खान (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, खान (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई समझी जाएगीं।"

धारा 72ख का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 72ख में,—

(क) "के अधीन" शब्दों के पश्चात् "या धारा 22क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएगे;

(ख) "जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु पांच हजार रुपये तक हो सकेगा" शब्द रखे जाएगे।

धारा 72ग का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 72ग की उपधारा (1) में,—

(क) "के अधीन" शब्दों के पश्चात् "या धारा 22क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएगे;

(ख) खण्ड (क) में "जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जो तीन हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 79 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 79 में,—

(क) खण्ड (iii) के अन्त में "अथवा" शब्द अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (V) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् ——

(iv) "किसी ऐसे मामले में, जिसमें कोई ऐसा सरकारी सेवक भी अभियुक्त हो जिसके अभियोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्रधिकारी की पूर्व मंजूरी तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन आवश्यक हो, उस तारिख से तीन मास के भीतर जब ऐसी मंजूरी महानिदेशक को प्राप्त हो।"।

धारा 81 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 81 में जिन दो स्थानों पर "खान बोर्ड" शब्द आये हैं, उनके स्थान पर "संबद्ध खनन बोर्ड" शब्द रखे जाएगे।

धारा 83 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 83 में,—

(क) उपधारा (1) में, "इस अधिनियम के सब उपबन्धों के या उनमें से किसी के" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों या उप-विधियों के सब उपबन्धों के या उनमें से किसी के" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "इस अधिनियम के अधीन के विनियमों या नियमों" शब्दों के स्थान पर "विनियमों , नियमों या उप-विधियों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 84 का संशोधन ।

34. मल अधिनियम की धारा 84 उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार पुन : संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

"(2) महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी विनियम, नियम या उप-विधि के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से , उलट सकेगा या उपान्तरित कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी खान के स्वामी , अभिकर्त्ता या प्रबन्धक पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस स्वामी, अभिकर्त्ता या प्रबन्धक को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।"।

नई धारा 85ख और 85ग का अन्त:स्थापन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 85क के पश्चात निम्नलिखित धाराएं अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विवरणियों, सूचनाओं और पत्र-व्यवहार पर हस्ताक्षर ।

"85ख. इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम नियम या उप-विधि या किए गए किसी आदेश के अधीन अपेक्षित सब-विवरणियां और सूचनाएं और उनके संसंग में किए गए पत्र-व्यवहार पर खान के स्वामी, अभिकर्त्ता या प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

परन्तु स्वामी इस कृत्य को मुख्तारनामे द्वारा किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

सुविधाओं और प्रसुविधाओं के लिए फीस या प्रभार न होना ।

85ग. *****खान में नियोजित किसी व्यक्ति से, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उपबन्धित किए गए जाने वाले संरक्षात्मक प्रबन्ध या सुविधाओं के लिए या प्रदाय किए जाने वाले किसी उपस्कर या उपकरण की बाबत कोई फीस या प्रभार नहीं लिया जाएगा ।" ।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये लोक-सभा में प्रस्ताव

"कि खान अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की, 30 सदस्य इस सभा से अर्थात :--

1. श्री भागीरथ भंवर
2. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
5. श्री मूल चन्द डागा
6. श्री अनादि चरण दास
7. श्री के० जी० देशमुख
8. श्री सी०टी० गौतम
9. श्री भोगेन्द्र झा
10. श्रीमती शीला कौल
11. श्री सुरेन्द्र मंहती
12. श्री बक्सी नायक
13. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
14. श्री दामोदर पाण्डेय
15. श्री प्रभु दास पटेल
16. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
17. श्री रामजी राम
18. चौधरी राम प्रकाश
19. श्री भोला राउत
20. श्री पी० एंथनी रेड्डी
21. चौधरी साधू राम
22. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
23. श्री आर० एन० शर्मा
24. श्री टी० सोहनलाल

25. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
26. श्री आर० पी० उलगनम्बी
27. श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा
28. श्री बालगोविन्द वर्मा
29. श्री जी० पी० यादव
30. श्री आर० के० खाडिलकर

और 15 राज्य सभा से ;

एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी ;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों के सम्बन्ध में, संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें ; और

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

परिशिष्ट दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा खान अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात खान (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में लोक सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करती है और संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्न-लिखित सदस्य उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये नामनिर्दिष्ट किये जायें

1. श्री कल्याण राय
2. श्री एम० के० मेहता
3. श्री मनोरंजन राय
4. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
5. श्री वी० के० महन्ती
6. श्री सीताराम सिंह
7. श्री शौवालैंस के० शिल्ला
8. श्री विनयकुमार रामलाल पाराशर
9. श्री महेन्द्र बहादुर सिंह
10. श्री काली मुखर्जी
11. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
12. श्री कासिम अली आबिद
13. श्री हिम्मत सिंह
14. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता
15. श्री इन्द्र सिंह

1835 LS 6.

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 7)

उन संस्थाओं, संगठनों आदि की सूची जिसमें जिनसे समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए

1. भारतीय खदान मजदूर संघ, छिदबाड़ा, (मध्य प्रदेश)
2. इण्डियन नेशनल माइनिंग ओवरमैन, सिरदार, साफ्टफायरर्स एसोसियेशन, मध्य प्रदेश क्षेत्र, परासिया (मध्य प्रदेश)
3. गींका माइका कम्पनी, गिरीडीह ।
4. इण्डियन माईनिंग एसोसियेशन, कलकत्ता ।
5. कोल वर्कर्स यूनियन, हज़ारी बाग ।
6. माइक मजदूर कांग्रेस, गिरीडीह ।
7. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद ।
8. इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फैडरेशन एण्ड कोलियरि मजदूर संघ, धनबाद ।
9. एन० सी० डी० सी० माइनिंग इंजीनियर्स एसोसियेशन, हज़ारी बाग ।
10. श्री के० एन० सिंह, भावरा कौलियरी, धनबाद ।
11. डीप्रेस्ट क्लासेज लीग, हज़ारी बाग ।
12. हिन्दुस्तान कापर लि०, मौसा बनी माइन्स, सिंहभूम ।
13. कौलियरि मज़दूर कांग्रेस, आसनसोल ।
14. बिहार कौल माइन्र्स यूनियन, धनबाद ।
15. ईस्टर्न जौन माईनिंग एसोसियेशन, चाईबासा (सिंहभूम) ।
16. श्री धर्म चन्द जैन, संसद सदस्य ।
17. नागपुर स्टोन क्वेरी एण्ड क्रशर ओनर्स एसोसियेशन, नागपुर ।
18. गोआ माइन्स स्टाफ एसोसियेशन, खांडेपार, गोआ ।
19. इण्डियन मडिकल एसोसियेशन, झरिया धनबाद ।
20. आल इंण्डिया फलोरिंग स्टोन क्वेरी लीज़ होल्डर्स एसोसियेशन, हैदराबाद ।
21. भारतीय माइका मज़दूर संघ, गुडुर (आन्ध्र प्रदेश) ।
22. विदर्भ इण्डस्ट्रीज़ एसोसियेशन, नागपुर ।
23. ग्रेटर बाम्बे क्वेरी ओनर्स एसोसियेशन, लिमिटेड, बम्बई ।
24. हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, रायचूर (मैसूर) ।

25. तमिलनाडु एण्ड केरल माइन्स सेफ्टी एसोसियेशन (सेंट्रल), सेलम ।
26. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०, हैदराबाद ।
27. साउथ इण्डिया माइका माइन ग्रानर्स एसोसियेशन, गुडुर (ग्रान्ध्र प्रदेश) ।
28. पूना क्वरी ग्रानर्स एसोसियेशन, पूना ।
29. मध्य प्रदेश एण्ड विदर्भ माइनिंग एसोसियेशन, नागपुर ।
30. गोग्रा मिनरल ग्रौर एक्सपोर्ट्स एसोसियेशन एण्ड गोग्रा माइनिंग एसोसियेशन, पणजी ।
31. सिंगरेनी कौलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कौथागुडियम, (ग्रान्ध्र प्रदेश) ।
32. न्यू चिरिमिरी पौनरी हिल कौलियरि, चिरिमिरी (मध्य प्रदेश) ।
33. मैनेजमेंट ग्राफ भारत गोल्ड माइन्स प्रा० लिमिटेड, उरगाम, के० जी० एफ० (मैसूर) ।
34. भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, उरगाम, के० जी० एफ० (मैसूर के विभिन्न संघों के मजदूर प्रतिनिधि ।
35. नैवेली लिगनाइट कोरपोरेशन लि०, नेवेली ।
36. तमिलनाडु माइनिंग बोर्ड, मद्रास ।
37. इण्डियन माइन मैनेजर्स एसोसियेशन, छिंदवाड़ा ।
38. श्री विश्वनाथन, ग्रतिरिक्त खनन भूगर्भ विशेषज्ञ, बैलाडिला लोह ग्रयस्क परियोजना, बचेली, बस्तर ।
39. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची ।
40. इण्डियन माइन मैनेजर्स एसोसियेशन, धनबाद ।
41. इण्डियन नेशनल माइन्स ग्रोवरमन, सिरदार एण्ड साफ्ट फायरर्स एसोसियेशन, धनबाद ।
42. इण्डियन माइनिंग फेडरेशन, कलकत्ता ।
43. इण्डियन कोलियरि ग्रानर्स एसोसियेशन, धनबाद ।
44. कोयला इस्पात मजदूर पंचायत, झरिया, धनबाद ।
45. नेशनल माइन वर्कर्स यूनियन, गोग्रा ।
46. गोग्रा माइनिंग लेबर वैलफयर यूनियन, ग्रसोनोरा, गोग्रा ।
47. गोग्रा, दमण तथा दीव की सरकार ।
48. मसूर माइन वर्कर्स यूनियन, भरिकूप्पम के० जी० एफ० (मैसूर) ।
49. शाहाबाद स्टोन क्वेरी लीज होल्डर्स एसोसियेशन, हैदराबाद ।
50. एम० पी० माइन वर्कर्स यूनियन, नागपुर ।
51. तमिलनाडु जिप्स में माइन ग्रोनर्स एसोसियेशन, उडमलपेट ।
52. श्री जी० सी० शुक्ला एण्ड ग्रदर्स, स्माल स्केल माइनिंग इण्डस्ट्री, नागपुर ।
53. इण्डिया सीमेण्ट्स लिमिटेड, मद्रास ।

54. एफ० एफ० लाइमस्टोन माइन्स (इण्डिया सीमेन्ट्स लिमिटेड की शाखा), शंकरनगर, तमिलनाडु ।
55. एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि० बम्बई ।
56. नेवेली माइन्स युनाइटेड वर्कर्स यूनियन, नेवेली ।
57. लिगनाइट माइन्स लेबर यूनियन, नेवेली ।
58. इण्डिया नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन, कलकत्ता ।
59. पत्थर खान मजदूर संघ, कोटा ।
60. ए० पी० सिंगरेनी कोलियरि मजदूर संघ (इण्टक) कोटा गुड्डियम कोलियरीज (आन्ध्र प्रदेश) ।
61. फेडरेशन आफ माईनिंग एसोसियेशन आफ राजस्थान ।
62. बीकानेर डिवीजन माईनिंग एसोसियेशन, बीकानेर ।
63. राजपुताना इण्डस्ट्रियल एण्ड माईनिंग एसोसियेशन, भीलवाड़ा (राजस्थान) ।
64. एसोसियेशन आफ इण्डिया माइन सर्वेयर्स, धनबाद ।
65. सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स, कलकत्ता ।
66. कोयला श्रमिक संगठन, हजारी बाग ।
67. इंजीनियर्स एसोसियेशन, एन० डी० डी० सी०, रांची ।
68. राजपुताना माइन आनर्स एण्ड मिनरल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, अजमेर ।
69. जे० एण्ड० के० मिनरल्स लि०, श्रीनगर ।
70. भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, श्रीनगर ।
71. ज्वायंट कमेटी आफ वर्कर्स, कालाकोट कोल माइन्स, जम्मू (जम्मू और काश्मीर) ।

परिशिष्ट चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 9)

विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया

क्रमांक	संस्था/संगठन आदि का नाम	साक्ष्य लेने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	एसोसियेशन आफ नेशनल कोल डिवेलप्मेंट कारपोरेशन माइनिंग इंजीनियर्स, हजारी बाग । प्रवक्ता : श्री एन० दत्ता, अध्यक्ष ।	20–7–72
2.	कोयला श्रमिक संगठन, हज़ारी बाग । प्रवक्ता : 1. श्रीमती रमणिक गुप्त, महासचिव । 2. श्री आर० सी० नागर, सदस्य । 3. श्री रंगनाथ, सदस्य । 4. श्री इन्द्रासन ओझा, सदस्य ।	20–7–72
3.	कोल वर्कर्स यूनियन, हज़ारीबाग । प्रवक्ता : 1. श्री शफीक खां, महासचिव । 2. श्री रमेन्द्रकुमार, सचिव ।	20–7–72
4.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची । प्रवक्ता : 1. श्री सी० बलराम, निदेशक (तकनीकी) । 2. श्री के० राय, महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय । 3. श्री आर० जी० महेन्द्र, महाप्रबन्धक (पी० एण्ड डी०) । 4. श्री आर० एस० मूर्ति, अपर मुख्य कार्मिक अधिकारी ।	20–7–72
5.	डिप्रेसड् क्लासज़ जीग, रामगढ़, हज़ारीबाग । प्रवक्ता : 1. श्री सुदामा राम, अध्यक्ष ।	20–7–72
6.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद . . . . प्रवक्ता : 1. श्री आर० एन० शर्मा, प्रबन्ध निदेशक । 2. श्री सी० एस० ढा, निदेशक, (तकनीकी) । 3. श्री यू० एन० ढा, सी० एम० ई० (उत्पादन एवं मुख्यालय) । 4. श्री एस० चट्टोपाध्याय, तकनीकी सचिव ।	22-7-72

(1)	(2)	(3)
7.	इण्डियन माइनिंग ऐसोसिएशन, कलकत्ता	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. डा० जी० जी० के० शास्त्री, वाइस चेयरमन ।	
	2. श्री छेदीलाल, सलाहकार ।	
	3. श्री बी० आर० प्रसाद, अवैतनिक संयुक्त सचिव, स्टैंडिंग कोलफील्डज कमेटी ।	
	4. श्री एन० एन० सिंह, अवैतनिक संयुक्त सचिव, स्टैंडिंग कोल-फील्डज, कमेटी ।	
	5. श्री बी० एस० राव, सी० एम० ई०, वेस्ट कोबारो लिमिटेड ।	
8.	इण्डियन माइन मैनेजर्स ऐसोसिएशन, धनबाद . . .	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री ए० बी० कह ब्रह्मा, चेयरमैन ।	
	2. श्री आर० टी० देशमुख, अध्यक्ष ।	
	3. श्री बी० धर्म, सचिव ।	
	4. श्री जी० एस० जुटला, काउंसिल मेम्बर ।	
	5. श्री एस० वी० कृष्णमूर्ती, काउंसिल मेम्बर ।	
	6. श्री गोपालकृष्ण, काउंसिल मेम्बर ।	
	7. श्री वाई० पी० माली, काउंसिल मेम्बर ।	
9.	इण्डियन नेशनल माइन्स ओवरमैन, सिदार एण्ड शाट फायरर्स ऐसोसिएशन, धनबाद	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री जीवन कृष्ण बनर्जी, महासचिव ।	
	2. श्री बी० जोशी, कानूनी सलाहकार	
	3. श्री एच० पी० दुबा, उपाध्यक्ष ।	
	4. श्री आर० बी० सिंह, क्षेत्रीय सचिव ।	
	5. श्री डी० एन० पी० सिंह, कोषाध्यक्ष ।	
	6. श्री एस० पी० शुक्ल, ग्रुप सेक्रेटरी ।	
10.	इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन तथा कोलरी मजदूर संघ, धनबाद .	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एस० दास गुप्त, सचिव, इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन एवं संयुक्त सचिव, कोलरी मजदूर संघ ।	
	2. श्री जी० एन० कोषाध्यक्ष, इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन तथा कोलरी मजदूर संघ ।	
	3. श्री एस० एन० मिश्र, कोलरी मजदूर संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य ।	

(1)	(2)	(3)
11.	ऐसोसिऐशन आफ इण्डियन माइन सर्वेयर्स, धनबाद . . .	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री अशोक कुमार घोष, महासचिव ।	
	2. श्री हिमांशु शेखर मुखर्जी, सदस्य ।	
12.	(क) इण्डियन माइनिंग फेडरेशन, कलकत्ता . . .	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री पी० एन० चतुर्वेदी, मुख्य कार्मिक अधिकारी ।	
	2. श्री बी० एस० गुप्त, मुख्य ऐजेंट, जैपुरिया सामला ग्रुप आफ कोलरीज, पांडेश्वर ।	
	(ख) इण्डियन कोलरी आनर्स ऐसोसिऐशन, धनबाद . .	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री मदनलाल अग्रवाल, अध्यक्ष ।	
13.	(क) कोयला इस्पात मजदूर पंचायत, झरिया, धनबाद. . .	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एच० एन० सिंह, उपाध्यक्ष ।	
	(ख) कोलरी मजदूर कांग्रेस, गोराइमेन्शन, आसनसोल । .	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री केशव सिंह, उपाध्यक्ष ।	
	2. श्री विनय कुमार, महासचिव ।	
	3. श्री जगदीश सिंह, सहायक सचिव ।	
	(ग) बिहार कोल माइनर्स यूनियन, धनबाद . . .	22-7-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री प्रीतीश चंदा, अध्यक्ष ।	
	2. श्री अनिल सरकार, सचिव ।	
14.	आल इण्डिया फ्लोरिंग स्टोन कोलरीज होल्डर्स ऐसोसिऐशन, धनबाद, (हैदराबाद)	25-10-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री मानिक अर्के, सचिव ।	
	2. श्री एम० रमेश, कोषाध्यक्ष ।	25-10-72
15,	भारतीय माइका मजदूर संघ, गुडूर	
	प्रवक्ता :	
	श्री के० वैंकट सुब्बैया, महासचिव ।	

(1)	(2)	(3)
16.	साउथ इण्डिया माइका माइन ओनर्स ऐसोसिऐशन, गुडूर . . **प्रवक्ता :** 1. श्री के० वी० एस० एम०, सदस्य ।	25-10-72
17.	सिगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोटागुडियम . . **प्रवक्ता :** 1. श्री के० आ० विद्यासागर, प्रबंध निदेशक । 2. श्री बी० एल० करवंदे, महाप्रबन्धक । 3. श्री एम० वासुदेवन, उप-महाप्रबंधक ।	25-10-72
18.	द हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, रांची । . . . **प्रवक्ता :** श्री एस० सी० महंती, खान-प्रबन्धक ।	25-10-72
19.	तमिलनाडु एण्ड केरल माइन सेफ्टी ऐसोसिऐशन, (सेंट्रल) सलेम । . **प्रवक्ता :** 1. श्री एस० पी० राय, वाईस चेयरमैन । 2. श्री ए० आर० गणेशन, अवैतनिक सचिव । 3. श्री आर० मुथिया, सदस्य ।	28-10-72
20.	शाहबाद स्टोन क्वैरी लीज होल्डर्स, ऐसोसिऐशन, बंगलौर . **प्रवक्ता :** 1. श्री एस० एम० पारिख, वाईस चेयरमैन । 2. श्री मानिक अर्के, सचिव । 3. श्री एम० रमेश, कोषाध्यक्ष ।	28-10-72
21.	तमिलनाडु जिप्सम माइन ओनर्स ऐसोसियेशन, उदुमलपेट । . . **प्रवक्ता :** 1. श्री वी० रमन, अध्यक्ष । 2. श्री आर० शंकरनारायणन्, संयुक्त सचिव । 3. श्री टी० एस० श्रीनाथन, सचिव । 4. श्री पी० सी० काशीन विश्वनाथन्, कोषाध्यक्ष ।	28-10-72
22.	(i) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊरगांव, मैसूर । . . **प्रवक्ता :** 1. प्रो० के० वी० सुब्रमण्यम, चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक । 2. श्री एस० नागराज राव, प्रबन्धक, नंदीदुर्ग माइन, भारत गोल्ड माइन प्राइवेट, लिमिटेड ।	28-10-72

(1)	(2)	(3)
	(ii) मैसूर माइन वर्कर्स युनियन, मरिकुप्पन	28-10-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री ए० कन्नन, उपाध्यक्ष ।	
	2. श्री बी० एन० कुट्टप्पा, उपाध्यक्ष ।	
	3. श्री टी० सुब्रामणि, सचिव ।	
	4. श्री एस० सवरीदोस, सचिव, कोलार स्वर्ण क्षेत्र हास्पिटल वर्कर्स युनियन ।	
23.	श्री पी० एस० नारायण--परामर्शी खान इंजीनियरी एवं भू-वैज्ञानिक, माइन, हाउस, बंगलौर-3	28-10-72
24.	गोग्रा मिनरल ग्रोर एक्सपोर्टज ऐसोसिएशन, पंजिम ग्रौर गोग्रा माइनिंग ऐसोसिएशन, पणजी (गोग्रा)	31-10-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एस० एस० कटक, सोसाइदेदे द फोमेंटो इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ग्रौर तकनीकी प्रबन्धक ।	
	2. श्री एच० सी० गुप्ता, खनन इंजीनियर, सेसा गोग्रा प्राइवेट लिमिटेड ।	
	3. श्री डी० वी० राव, खनन इंजीनियर, वी० एम० सालगावकर एण्ड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड ।	
	4. श्री ए० बी० सालगावकर, कार्मिक ग्रधिकारी, सेसा गोग्रा, प्राइवेट लिमिटेड ।	
	5. श्री रमेश देसाई, श्रम सलाहकार ।	
25.	गोग्रा माइन्स स्टाफ ऐसोसिएशन, खाण्डेपार, उसगांव, गोग्रा	31-10-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एम० वी० एस० खाण्डेपारकर, सचिव ।	
	2. श्री ग्रार० बी० एस० काकोडकर, सदस्य ।	
	3. श्री एल० डी० सामंत, सदस्य ।	
	4. श्री उदय काटे, सदस्य ।	
26.	गोग्रा माइनिंग, लेबर वेलफेयर युनियन, ग्रस्सोनोरा	31-10-72
	प्रवक्ता :	
	1. श्री जार्ज वाज़, महासचिव ।	
	2. श्री मेलिसिग्रो, फरेंडिज ।	
	3. श्री दिवाकर काकोडकर ।	

(1)	(2)	(3)
27.	नैशनल माइन वर्कर्ज यूनियन, गोम्रा प्रवक्ता : 1. श्री वासुदेव अर्जुन गवास, महासचिव । 2. श्री डिम्रोनिसिम्रो फर्नांडिज, सचिव ।	31-10-72
28.	मध्य प्रदेश एण्ड विदर्भा माइनिंग एसोसिएशन, (कोयला समिति), नागपुर प्रवक्ता : 1. श्री आसा सिंह, चेयरमैन । 2. श्री ब्रज भूषण, सी० एम० ई० । 3. श्री एम० के० झा, सी० एम० ई० । 4. श्री आर० डी० विश्वास, सी० एम० ई० । 5. श्री डुडले, सचिव । 6. श्री चौधरी, चेयरमैन, एम० डी० मोइल ।	2-11-72
29.	नागपुर स्टोन क्वेरी एण्ड क्रशर ओनर्ज एसोसिएशन, नागपुर प्रवक्ता : 1. श्री बी० टी० पार्धी, चेयरमैन । 2. श्री एच० एच० शाह, अवैतनिक सचिव । 3. कर्नल एच० एस० कोछड़ (सेवानिवृत्त), सदस्य । 4. श्री आर० सी० ठक्कर, सदस्य ।	2-11-72
30.	भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ, चंदा मेट्टा (छिंदवाड़ा) प्रवक्ता : 1. श्री एस० बी० सिंह परमार, सचिव । 2. श्री एस० एस० शकरावार, कानूनी सलाहकार, तथा सदस्य कार्यकारिणी ।	2-11-72
31.	विदर्भ इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, नागपुर प्रवक्ता : 1. श्री वी० एस० याज्ञिक । 2. श्री पी० एम० जोशी । 3. श्री जे० एल० भाटिया ।	2-11-72
32.	इंडियन नेशनल माइनिंग ओवरमेन, सिरदार्ज, शॉटफायरर्स एसोसिएशन, छिंदवाड़ा प्रवक्ता : 1. श्री एस० पी० तिवारी, उप प्रधान । 2. श्री बीरु सिंह, संयुक्त सचिव । 3. श्री अब्दुल वाहिद, कोषाध्यक्ष ।	2-11-72

1	2	3
33.	महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय कोयला खदान कामगर संघ, नागपुर ।	2-11-73
	प्रवक्ता : 1 श्री जी० एम० खोदे, प्रधान । 2. श्री एस० डब्ल्यू० धाबे, प्रधान । 3. श्री हीरा लाल सिंह, उप-प्रधान । 4. श्री एस० डी० रावत, महासचिव । 5. श्री एम० के० मौलिक, सचिव । 6. श्री महादेवराव तित्रे, महा सचिव ।	
34.	न्यू चिरीमिरी पोनरी हिल कोलियरी, चिरीमिरी	2-11-72
	प्रवक्ता : श्री जी० श्रीनिवासन, तकनीकी परामर्शदाता	
35.	एम० पी० माइन वर्कर्ज यूनियन, छिंदवाड़ा ।	2-11-72
	प्रवक्ता : श्री आर० के० हाल्दुल्कर, प्रधान ।	
36.	स्माल स्केल माइनिंग इण्डस्ट्री, नागपुर	2-11-72
	प्रवक्ता : 1. श्री जी० सी० शुक्ल । 2. श्री भीम सेन बिसेन । 3. श्री जी० डी० गुप्त ।	
37.	ग्रेटर बॉम्बे क्वेरी ओनर्ज एसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई	3-11-72
	प्रवक्ता : 1. श्री देवकरण एन० तन्ना, प्रधान । 2. श्री चूनीलाल गुलाटी, संयुक्त अवैतनिक सचिव । 3. श्री दमजीनानजी वेदांत, संयुक्त अवैतनिक सचिव । 4. श्री के० सी० रामनाथ, कार्यालय सचिव । 5. श्री एम० एस० साहनी, सदस्य । 6. श्री एस० डी० बीरा । 7. श्री एन० डी० तन्ना ।	
38.	पूना क्वेरी ओनर्ज एसोसिएशन, पूना	4-11-72
	प्रवक्ता : 1. श्री एस० टी० नंदा, प्रधान । 2. श्री आर० टी० शिन्दे, उप-प्रधान । 3. श्री बी० वाई० ओगाले, प्रबंधक, धनोविन खान । 4. श्री एस० डी० चौगुले, चेयरमैन, मजदूर सहकारी समिति । 5. श्री के० सी० धोत्रे, निदेशक ।	

1	2	3
39.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली प्रवक्ता : 1. श्री एन० नीलकांतन, अधीक्षक, (खान) । 2. श्री पी० वी० कल्याणरामन, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ।	10-1-1973
40.	इण्डिया सीमेंट्स लिमिटेड, मद्रास प्रवक्ता : 1. श्री ए० श्री नेवासन, कार्मिक अधिकारी । 2. श्री वी० एस० कृष्णन्, अधीक्षक, भूवैज्ञानिक और खनन इंजीनियर । 3. श्री आर० कृष्णामूर्ति, खान प्रबंधक ।	10-1-73
41.	एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड, एम० कर्वे रोड, बम्बई-20 प्रवक्ता : 1. श्री जे० पी० मुंसिफ, महाप्रबंधक, (परिचालन) । 2. श्री एम० एम० प्रभु, खनन विभागाध्यक्ष (परिचालन विभाग) ।	10-1-73
42.	लिग्नाइट माइन्स लेबर यूनियन, नेवेली प्रवक्ता : श्री के० निरुवेंगदम, सचिव	10-1-73
43.	नेवेली माइन्स यूनाइटिड वर्कर्ज यूनियन (ए० आई० टी० यू० सी०) चर्च रोड, नेवेली-I प्रवक्ता : 1. श्री के० एम० सुंदरम्, प्रधान । 2. श्री के० केशवन, सचिव ।	10-1-73
44.	(क) फेडरेशन आफ माइनिंग एसोसिएशन्ज आफ राजस्थान, जयपुर प्रवक्ता : 1. श्री जे० आर० तनेजा, उप-प्रधान । 2. श्री ए० एस० माथुर, अवैतनिक महासचिव । (ख) उदयपुर माइन ओनर्ज एसोसिएशन, उदयपुर । प्रवक्ता : श्री जे० आर० तनेजा, अवैतनिक सचिव ।	1-2-1973
45.	बीकानेर डिवीजन माइनिंग एसोसिएशन, बीकानेर प्रवक्ता : 1. श्री गुलाब चंद कोड़, प्रधान । 2. श्री अमरनाथ चांदना, अवतनिक महासचिव ।	1-2-1973
46.	राजपूताना माइन ओनर्ज एण्ड मिनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन, अजमेर प्रवक्ता : 1. श्री ई० सी० फामजी, सदस्य । 2. श्री के० जी० माहेश्वरी, सदस्य । 3. श्री मोतीचंद गोलचा, सदस्य ।	1-2-1973

1	2	3
47.	श्री आर० के० बाकलीवाल, खनन परामर्शदाता, दरीबापान, जयपुर	1-2-1973
48.	सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज, कलकत्ता प्रवक्ता : 1. श्री पी० राममूर्ति, महासचिव, सी० आई० टी० यू० । 2. श्री रोबिन चटर्जी, महासचिव, कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया । 3. श्री कुमार सिंह, महासचिव, कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया, रानीगंज की ईस्ट शीतलपुर कोलियरी शाखा । 4. श्री जी० पी० गोस्वामी, सचिव, कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया, रानीगंज की जे० के० नगर कोलियरी शाखा ।	5-2-1973
49.	इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन, कलकत्ता प्रवक्ता : श्री कान्ति मेहता, महासचिव ।	5-2-73
50.	(एक) श्री एच० बी० घोष, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद (दो) श्री एम० दत्ता—खान सुरक्षा निदेशक (मुख्यालय), धनबाद ।	6-2-73
51.	जे एण्ड के मिनरल्स लि०, जम्मू तथा काश्मीर सरकार का उपक्रम, श्रीनगर प्रवक्ता : (1) डा० टी० जी० के० चारलु, प्रबन्ध निदेशक । (2) श्री एल० एन० मिश्रा, मुख्य खनन इंजीनियर । (3) श्री के० सी० दासपुरी, उपमुख्य खनन इंजीनियर ।	28-6-73
52.	भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, जम्मू तथा काश्मीर सरकार, श्रीनगर प्रवक्ता : 1. श्री एस० सी० चक्रवर्ती, निदेशक । 2. श्री एस० एम० हसन, संयुक्त निदेशक । 3. श्री एन० यू० वोहरा, माइनिंग इंजीनियर । 4. श्री एम० एल० वारीहू, माइनिंग इंजीनियर । 5. श्री एच० आर० रैणा, खनिज अधिकारी ।	28-6-73 ।
53.	ज्वायंट कमेटी आफ वर्कर्स, कालाकोट कोल माइन्स, कालाकोट, (जम्मू) प्रवक्ता : (1) श्री के० आर० खजूरिया, महासचिव, वर्कर्स एसोसिएशन । (2) श्री ओ० पी० खजूरिया, शाखा सचिव । (3) श्री जी० एम० बट, अध्यक्ष, आल माइन्स एसोसिएशन । (4) श्री ए० एस० चौहान, अध्यक्ष—मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रीयल वर्कर्स एसोसिएशन ।	28-6-73

परिशिष्ट पांच

खान (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी संयुक्त समिति की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शनिवार, 3 जून, 1972 को 09.00 बजे से 11.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनंत प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री चपलेंदु भट्टाचार्य
3. श्री दिनेन भट्टाचार्य
4. श्री खेमचंद भाई चावड़ा
5. श्री मलचन्द डागा
6. श्री सी० डी० गौतम
7. श्रीमती शीला कौल
8. श्री सुरेन्द्र महन्ती
9. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
10. श्री प्रभुदास पटेल
11. श्री रामजी राम
12. श्री भोला राउत
13. चौधरी साधू राम
14. श्री राम नारायण शर्मा
15. श्री टी० सोहन लाल
16. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
17. श्री बाल गोविंद वर्मा
18. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव
19. श्री ग्रार० के० खाडिलकर

राज्य सभा

20. श्री मनोरंजन राय
21. श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा
22. श्री सीताराम सिंह

23. श्री शोवालेस के० शिल्ला

24. श्री महेन्द्र बहादुर सिंह

25. श्री काली मुखर्जी

26. श्री हिम्मत सिंह

27. श्री द्विजेन्द्र लाल सेनगुप्ता

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्त—विधायी सलाहकार

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री डी० एस० निम—**संयुक्त सचिव**
2. श्री बी० एन० चक्रवर्ती—**उप सचिव**
3. श्री महेशचन्द्र—**विशेष कार्य अधिकारी (विधिक)**
4. श्री बी० के० सक्सेना—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—**संयुक्त सचिव**

श्री एच० जी० परांजपे—**उप सचिव**

2. आरम्भ में सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों का उल्लेख किया ।

3. कुछ देर की चर्चा के बाद समिति ने निश्चय किया कि—

(एक) विधेयक के उपबंधों पर संबंधित विभिन्न क्षेत्रों, जैसे नियोक्ता संगठनों, कर्मचारी संगठनों, प्रबंधक एसोसियेशनों और इस संबंध में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से लिखित ज्ञापन आमंत्रित किये जायें जो कि 30 जून, 1972 तक लोक-सभा सचिवालय में पहुंच जायें ।

(दो) इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये ।

(तीन) सदस्यों को समस्या से परिचित कराने के लिये समिति द्वारा मौके पर अध्ययन हेतु कुछ खानों के दौरे किये जायें ।

आरंभ में जुलाई 1972 में आंध्र प्रदेश स्थित सिंगारेनी कोयला खानों और मैसूर स्थित कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के दौरे किये जायें ।

(चार) ज्ञापन देने वाले कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों का, जिनके बारे में सभापति निर्णय लेंगे, मौखिक साक्ष्य लिया जाये ।

(पांच) सिंगारेनी कोयला खानों और कोलार स्वर्ण क्षेत्रों के दौरों के बाद समिति की बैठकें 3 दिन के लिये बंगलौर में की जाय । पहले दिन विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा की जाये और शेष दो दिनों में उस क्षत्र के कुछ संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया जाये । इससे आगे का कार्यक्रम वहीं तैयार किया जाये ।

4. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि श्रम ग्रोर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम ग्रौर रोज़गार विभाग) निम्नलिखित सामग्री समिति के सदस्यों में परिचालित करने हेतु लोक-सभा सचिवालय को, प्रस्तुत करे :—

(एक) विधेयक से संबंधित संगत पृष्ठाधार जानकारी;

(दो) विधेयक में ग्रंतर्विष्ट मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों ग्रौर उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय;

(तीन) खानों में होने वाली दुर्घटनाग्रों के मामले में जांच समिति के निष्कर्ष ग्रौर सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही;

(चार) कोयला खनन संबंधी ग्रौद्योगिक समिति के निर्णय;

(पांच) खनन बोर्डों ग्रौर समितियों के वार्षिक प्रतिवेदन;

(छः) खान ग्रधिनियम, 1952 के ग्रधीन बनाये गये नियम, विनियम ग्रौर उपनियम; ग्रौर

(सात) विधेयक संबंधी ज्ञापनों (जो समिति को भेजे जाते हैं) का सारांश तथा उन पर मंत्रालय की टिप्पणियां दर्शाने वाला विवरण ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार 20 जुलाई, 1972 को 15.00 बजे से 18.20 बजे तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ग्रतिथि गृह, भुरकुंडा (जिला हज़ारी बाग) में हुई ।

उपस्थित

श्री राम नारायण शर्मा—पीठासीन

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री चपलेंदु भट्टाचार्य
4. श्री खेमचंद भाई चावड़ा
5. श्री मूल चन्द डागा
6. श्री ग्रनादिचरणदास
7. श्री सी० डी० गौतम
8. श्रीमती शीला कौल
9. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
10. श्री दामोदर पांडे
11. श्री प्रभुदास पटेल
12. श्री रामजी राम

13. चौधरी राम प्रकाश
14. श्री भोला राउत
15. श्री पी० एंथनी रेड्डी
16. चौधरी साधु राम
17. श्री टी० सोहन लाल
18. सरदार स्वण सिंह सोखी

राज्य सभा

19. श्री कल्याण राय
20. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेजा
21. श्री सीता राम सिंह
22. श्री शोवालेस के० शिल्ला
23. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता

सचिवालय

श्री के० एस० भल्ला—अवर सचिव ।

2. सभापति की अनुपस्थिति में श्री रामनारायण शर्मा को लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 258(3) के अधीन बैठक के लिए सभापति चुना गया।

3. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :—

एक. एसोसियेशन आफ नेशनल कोल डिवेलमेंट कारपोरेशन माइनिंग इंजीनियर्ज, हज़ारी बाग

प्रवक्ता

श्री एन० दत्ता, प्रधान
(15.15 से 16.25 बजे तक)

दो. कोयला श्रमिक संगठन, हजारी बाग

प्रवक्ता

1. श्रीमती रमणिका गुप्त—महासचिव ।
2. श्री आर० सी० नागर—सदस्य ।
3. श्री रंगनाथ—सदस्य ।
4. श्री इंद्रासन ओझा—सदस्य ।

(16.30 बजे से 17.05 बजे तक)

तीन. कोल वर्कर्स यूनियन, हजारीबाग

प्रवक्ता

1. श्री शफीक खां, महासचिव ।
2. श्री रमेन्द्र कुमार, सचिव ।

(17.10 बजे से 17.20 बजे तक)

चार. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची

प्रवक्ता

1. श्री सी० बलराम, निदेशक (तकनीकी)
2. श्री के० राय, महाप्रबंधक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, करनपुरा।
3. श्री आर० महिन्द्र, महाप्रबंधक (पी एंड डी) ।
4. श्री आर० एस० मूर्ति—अपर मुख्य कार्मिक अधिकारी।

(17.25 बजे से 18.00 बजे तक)

पांच. डिप्रेस्ड क्लासिज लीग, रामगढ़ हजारीबाग

प्रवक्ता

श्री सुदामा राम, प्रेजीडेंट।

(18.05 बज से 18.15 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।
5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 22 जुलाई 1972 को 09.00 बजे से 13.05 बजे तक और पुन: 14.30 बजे से 18.40 बजे तक चसनाला गेस्ट हाउस, धनबाद में हुई।

उपस्थित

श्री राम नारायण शर्मा—पीठासीन

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
4. श्री मूल चंद डागा
5. श्री सी० डी० गौतम
6. श्रीमती शीला कौल
7. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
8. श्री दामोदर पांडे
9. श्री प्रभुदास पटेल
10. श्री रामजी राम
11. चौधरी राम प्रकाश
12. श्री भोला राउत
13. श्री पी० एन्थनी रेड्डी

14. चौधरी साधु राम
15. श्री टी० सोहन लाल
16. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी

राज्य सभा

17. श्री कल्याण राय
18. श्री बी० के० महन्ती
19. श्री सीता राम सिंह
20. श्री शोवालेस के० शिल्ला
21. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
22. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता

सचिवालय

श्री के० एस० भल्ला—**अवर सचिव**

2. सभापति की अनुपस्थिति में श्री राम नारायण शर्मा को लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258(3) के अंतर्गत बैठक के लिए सभापति चुना गया।

3. प्रारम्भ में कार्य वाहक सभापति और सदस्यों ने केडला झारखण्ड खान समूह में जिसका उन्होंने 21 जुलाई 1972 को दौरा किया था, कार्य की चिन्ताजनक परिस्थितियों का उल्लेख किया। संक्षिप्त विचारविमर्श के पश्चात समिति ने निम्नलिखित रूप से निश्चय किया :—

(एक) खानों की परिस्थितियों के सम्बन्ध में सदस्यों के विचार और उनके सुझावों को अध्यक्ष की अनुमति से राज्य सरकार तक पहुंचा दिया जाए।

(दो) बिहार सरकार के केडला-झारखण्ड खान समूह से संबंधित प्रतिनिधियों को अध्यक्ष की अनुमति से, जैसा कि निदेश 60 के अतर्गत अपेक्षित है, समिति के समक्ष उपस्थित होने और साक्ष्य देने के लिए निमंत्रित किया जाए।

(तीन) भारत सरकार के खान सुरक्षा के महानिदेशक को विधेयक के सभी पहलुओं के बारे मे साक्ष्य देने हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा जाए, और समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने से पूर्व महानिदेशक को एक नोट प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें विद्यमान कानून मे निर्धारित खान सुरक्षा उपायों के क्रियावियन के सम्बन्ध में बताया गया हो।

4. समिति द्वारा निम्नलिखित एसोसिएशनों इत्यादि प्रतिनिधियों के साक्ष्य की सुनवाई प्रारम्भ किए जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया :

1. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

प्रवक्ता

1. श्री आर० एन० शर्मा, प्रबंध निदेशक।
2. श्री सी० एस० झा, निदेशक (टेक्नीकल)।
3. श्री यू० एन० झा, सी एम ई (उत्पादन और मुख्यालय)।
4. श्री एस० चट्टोपाध्याय, तकनीकी सचिव।

(10.25 बजे से 11.40 बजे तक)

2. **भारतीय माईनिंग एसोसिएशन, कलकत्ता**

प्रवक्ता

1. श्री छेदी लाल, सलाहकार।
2. श्री बी० आर० प्रसाद, अवैतनिक संयुक्त सचिव, स्टैंडिंग कोलफील्डज कमेटी
3. श्री एन० एन० सिंह, अवैतनिक संयुक्त सचिव, स्टैंडिंग कोलफील्डज कमेटी।
4. श्री बी० एस० राव, सी एम ई, वैस्ट बोकारो लिमिटेड।
5. डा० जी० जी० के० शास्त्री, वायस-चेयरमैन।

(11.45 बजे से 12.30 बजे तक)

3. **इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन, धनबाद**

प्रवक्ता

1. श्री ए० बी० ब्रह्मा, चेयरमैन।
2. श्री आर० टी० देशमुख, प्रेजीडेंट।
3. श्री बी० धर्म, सचिव।
4. श्री जी० एस० जूटला, काऊंसिल मेम्बर।
5. श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति, काउंसिल मेम्बर।
6. श्री गोपालकृष्ण, काउंसिल मेम्बर।
7. श्री वाई० पी० माली, काउंसिल मेम्बर।

(12.30 बजे से 13.05 बजे तक)

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक दोपहर के खाने के लिए स्थगित हो गई।

5. समिति की बैठक दोपहर के खाने के पश्चात् 14.30 बजे पुन: प्रारम्भ हुई और निम्नलिखित एसोसिएशनों इत्यादि के प्रतिनिधियों के साक्ष्य की सुनवाई पुन: आरम्भ की गई :

4. **इंडियन नेशनल माइन्स ओवरसैन, सिरदार एण्ड शाट फायरर्स एसोसिएशन, धनबाद**

प्रवक्ता

1. श्री जीवन कृष्ण बनर्जी, महा सचिव
2. श्री बी० जोशी, कानूनी सलाहकार
3. श्री एच० पी० दुबा, वाइस-प्रेजीन्डेट
4. श्री आर० बी० सिंह, क्षेत्रीय सचिव
5. श्री डी० एन० पी० सिंह, कोषाध्यक्ष
6. श्री एस० पी० शुक्ल, ग्रुप सेक्रेटरी

(14.30 बजे से 15.15 बजे तक)

5. इंडियन नेशनल माइन वर्कर्ज फेडरेशन एण्ड कौलरी मजदूर संघ, धनबाद

प्रवक्ता

1. श्री एस० दास गुप्त, सचिव इंडियन नेशनल माइन वर्कर्ज फैडरेशन और संयुक्त सचिव, कौलरी मजदूर संघ ।

2. श्री जी० एन० सिंह, कोषाध्यक्ष, इंडियन नेशनल, माइन वर्कर्ज फैडरेशन और कौलरी मजदूर संघ ।

3. श्री एस० एन० मिश्र, कौलरी मजदूर संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य ।

(15.20 बजे से 15.55 बजे तक)

6. एसोसिएशन आफ इंडियन माइन सर्वेयर्ज, धनबाद

प्रवक्ता

1. श्री अशोक कुमार घोष, महासचिव ।

2. श्री हिमांशु शेखर मुखर्जी, सदस्य ।

(16.00 बजे से 16.10 बजे तक)

7. (क) इंडियन माइनिंग फेडरेशन, कलकता

प्रवक्ता

1. श्री पी० एन० चतुर्वेदी, मुख्य कार्मिक अधिकारी, चांचनी एंड बोराह (प्रा०) लिमिटेड

2. श्री बी० एस० गुप्त, मुख्य एजेन्ट, जैपुरिया सामला ग्रुप आफ कौलरीज, पांडवेश्वर ।

(ख) इंडियन कौलरी ओनर्ज एसोसिएन, धनबाद

प्रवक्ता

श्री मदन लाल अग्रवाल, प्रेजीडेन्ट

(16.10 बजे से 17.00 बजे तक)

8. (क) कोयला इस्पात मजदूर पंचायत, झरिया, धनबाद

प्रवक्ता

श्री एच० एन० सिंह, वाइस-प्रेजीडेन्ट ।

(ख) कौलरी मजदूर कांग्रेस, गोराइमेन्शन, आसनसोल

प्रवक्ता

1. श्री विनय कुमार, महासचिव ।

2. श्री केशव सिंह, वाइस प्रेजीडेंट ।

3. श्री जगदीश सिंह, सहायक सचिव ।

(ग) बिहार कोल माइनर्ज यूनियन, धनबाद

प्रवक्ता

1. श्री प्रीतीश चंदा, प्रेजीडेन्ट ।
2. श्री अनिल सरकार, सचिव ।
(17.05 बजे से 18.30 बजे तक)

6. साक्ष्य का शब्दश : रिकार्ड रखा गया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बठक स्थगित हुई ।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, पहली अगस्त, 1972 को 15.00 बज से 16.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा——सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
4. श्री दीनेन भट्टाचार्य
5. श्री खैम चन्द भाई चावड़ा
6. श्री खेल चन्द डागा
7. श्री अनादि चरण दास
8. श्री के० जी० देशमुख
9. श्री सी० डी० गौतम
10. श्रीमती शीला कौल
11. श्री बक्शी नायक
12. श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली
13. श्री रामजी राम
14. श्री भोला राउत
15. श्री पी० ऐंथनी रेड्डी
16. श्री राम नारायण शर्मा
17. श्री टो. सोहन लाल
18. श्री स्वर्ण सिंह सोखी
19. श्री आर० पी० उलगनम्बी
20. श्री बाल गोविन्द वर्मा
21. श्री आर० के० खाडिलकर

राज्य सभा

22. श्री कल्याण राय
23. श्री मनोरंजन राय
24. श्री वीरेन्द्र कुमार सकलैचा
25. श्री विनय कुमार पाराशर
26. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
27. श्री हिम्मत सिंह
28. श्री द्विजेन्द्र लाल सेनगुप्ता

विधायी परामर्शदाता

श्री वी० एस० भाष्यम, विधायी उप परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री डी० एस० निम–संयुक्त सचिव
2. श्री एच० बी० घोष–खान सुरक्षा के महानिदेशक
3. श्री बी० एन० चक्रवर्ती—उप सचिव
4. श्री महेश चन्द्र —विशेष कार्य अधिकारी (विधिक)
5. श्री बी०के० सक्सेना—अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे–उप सचिव

2. समिति ने अनुभव किया है कि चूंकि उसको विभिन्न प्रकार की खानों में कार्य की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये और भी खानों का मौके पर जाकर अध्ययन करना है, कुछ संस्थाओं, जिन्होंने साक्ष्य देने की इच्छा प्रकट की थी, का साक्ष्य लेना है तथा विधेयक के अन्य प्रक्रमों को पूरा करना है, इसलिये वह निर्धारित तिथि, अर्थात् 4 अगस्त, 1972 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगी। इसलिये समिति ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये अगले सत्र के आखिरी दिन तक के लिये समय बढ़ाने की मांग करने का निश्चय किया।

3. समिति ने सभापति को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री राम नारायण शर्मा को इसके लिये प्राधिकृत किया कि वह गुरूवार, 3 अगस्त, 1972 को सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

4. तत्पश्चात् समिति ने दशहरा की छुट्टियों के बाद दो सप्ताह के लिये विभिन्न 3 अथवा 4 प्रकार की खानों (जिसमें कि पूर्वनिश्चित सिंगरेनी कोयला खाने तथा कौलार सोने की खानें भी शामिल

हैं) का मौके पर जाकर अध्ययन-दौरा करने तथा राज्यों की राजधानियों में विभिन्न संस्थाओं का मौखिक साक्ष्य सुनने का निश्चय किया ।

5. तत्पश्चात् समिति ने धनबाद में 22 जुलाई, 1972 को हुई अपनी तीसरी बैठक के कार्यवाही सारांश के उप पैरा 3(एक) तथ (दो) में दर्ज अपने पूर्व निर्णयों पर पुनर्विचार किया तथा यह निश्चय किया कि उक्त उप-पैरा ग्राफों के बारे में फिलहाल अभी कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं ।

6. समिति ने चालू सत्र के अन्तिम सप्ताह में भारतीय व्यापार संघों के कलकत्ता स्थित केन्द्र के प्रतिनिधियों का तथा ऐसी अन्य संस्थाओं का जो समिति के समक्ष साक्ष्य देने की इच्छुक हों, मौखिक साक्ष्य लेने का भी निर्णय किया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 25 अक्तूबर, 1972 को आंध्र प्रदेश विधान सभा, हैदराबाद के समिति कक्ष में 15.00 बजे से 18.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
4. श्री दीनेन भट्टाचार्य
5. श्री मूल चन्द डागा
6. श्री अनादि चरण दास
7. श्री के० जी० देशमुख
8. श्री सी० डी० गौतम
9. श्रीमती शीला कौल
10. श्री सुरेन्द्र महन्ती
11. श्री बक्शी नायक
12. श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली
13. श्री दामोदर पांडे
14. श्री प्रभुदास पटेल

15. श्री रामजी राम
16. चौ० राम प्रकाश
17. श्री भोला राउत
18. श्री पी० एंथनी रेड्डी
19. चौ० साधुराम
20. श्री राम नारायण शर्मा
21. श्री टी० सोहन लाल

राज्य सभा

22. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
23. श्री बी० के० महन्ती
24. श्री सीताराम सिंह
25. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर
26. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
27. श्री कासिम अली आबिद
28. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० कुंजीतापदम––अवर सचिव
2. श्री एच० बी० घोष––खान सुरक्षा के महानिदेशक

सचिवालय

श्री एच०जी० परांजपे––उप सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनने के पूर्व सभापति ने अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान दिलाया :––

एक. आल इंडिया फलोरिंग स्टोन क्वेरी लीज होल्डर्स एसोसियेशन हैदराबाद

प्रवक्ता

1. श्री मानिक अर्के, मंत्री
2. श्री एम० रमेश, कोषाध्यक्ष
(15.00 बज से 16.00 बजे तक)

दो. भारतीय माइका मजदूर संघ, गुड्डूर

प्रवक्ता

श्री के० वेंकटसुब्बया महामंत्री
(16.05 बजे से 16.30 बजे तक)

तीन साउथ इंडिया माइका माइन ओनर्स एसोसियेशन, गुड्डूर

प्रवक्ता

श्री के० वी० एस० राम सदस्य
(16.35 बजे से 18.00 बजे तक)

चार. **सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड कोटागुडियम**

प्रवक्ता

1. श्री के० आई० विद्यासागर—प्रबन्ध निदेशक
2. श्री वी० एल० करवन्दे—महाप्रबन्धक
3. श्री एम० वासुदेवन—उप महाप्रबन्धक
(18.05 बजे से 18.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दतः रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया :

"समिति आंध्र प्रदेश विधान सभा, हैदराबाद के समिति कक्ष में बैठक का आयोजन करने में आंध्र प्रदेश विधान सभा के सचिव तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा उसको दी गई बहुमूल्य सहायता की हार्दिक सराहना करती है।

समिति हैदराबाद में समिति की बैठक करने तथा समिति के सदस्यों को ठहरने की सुविधायें प्रदान करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार तथा खान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा उसको दी गई सहायता की भी सराहना करती है ।"

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक शनिवार, 28 अक्तूबर, 1972 को 10.00 बजे बंगलौर में पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक समिति कमरा, विधान सौध, बंगलौर में शनिवार, 28 अक्तूबर, 1972 को 10.00 बजे से 13.40 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अनंत प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य

4. श्री खेमचंद भाई चावड़ा
5. श्री मूलचंद डागा
6. श्री ग्रनादि चरण दास
7. श्री के० जी० देशमुख
8. श्री सी० डी० गौतम
9. श्री भोगेन्द्र झा
10. श्रीमती शीला कौल
11. श्री सुरेन्द्र महन्ती
12. श्री बक्शी नायक
13. श्री परिपूर्णानन्द पन्यूली
14. श्री दामोदर पांडे
15. श्री प्रभुदास पटेल
16. श्री रामजी राम
17. चौधरी राम प्रकाश
18. श्री पी० एंथनी रेड्डी
19. चौधरी साधूराम
20. श्री राम नारायण शर्मा
21. श्री टी० सोहन लाल
22. श्री ग्रार० पी० उलगनम्बी
23. श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा बीरबासप्पा
24. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य-सभा

25. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
26. श्री बी० के० महन्ती
27. श्री सीताराम सिंह
28. श्री विनय कुमार राम लाल पाराशर
29. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
30. श्री कासिम ग्रली ग्राबिद
31. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता

श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम ग्रौर रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ग्रार० कंजीथापदम—**ग्रवर सचिव**
2. श्री एस० एस० प्रसाद—**खान सुरक्षा के उप महानिदेशक**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :—

एक. **दि हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड, हट्टी**

प्रवक्ता :

श्री एस० सी०महन्ती—**खान प्रबंधक**
(10 बजे से 10.30 बजे तक)

दो. **तमिलनाडु एंड केरल माइन्स सेफ्टी एसोसियेशन (सेंट्रल) सलेम**

प्रवक्ता :

1. श्री एस० पी० राय —**वाइस चेयरमैन**
2. श्री ए० आर० गणेशन—**अवैतनिक सचिव**
3. श्री आर० मुथिया—**सदस्य**

(10.35 बजे से 10.55 बजे तक)

तीन, **शाहबाद स्टोन कवैरी लीज होल्डर्स एसोसिएशन, बंगलौर**

प्रवक्ता :

1. श्री एस० एम० पारिख—**वाइस चेयरमैन**
2. श्री मानिक आर्के—**सचिव**
3. श्री एम० रमेश—**कोषाध्यक्ष**

(11.00 बजे से 11.20 बजे तक)

चार. **तमिलनाडु जिप्सम माइन ओनर्स एसोसियेशन, उडुमलपेट**

प्रवक्ता :

1. श्री वी० रमन—**प्रेजीडेंट**
2. श्री आर० शंकरनारायणन—**संयुक्त सचिव**
3. श्री टी० एस० श्रीनाथन—**सचिव**
4. श्री सी० काशी विश्वनाथन—**कोषाध्यक्ष**

(11.25 बजे से 11.55 बजे तक)

पांच (क) **भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड ऊरगांव मैसूर**

प्रवक्ता :

1. प्रो० सुब्रमण्यम—**चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक**
2. श्री एस० नागराज राव—**प्रबंधक नन्दीदुर्ग माइन भारत गोल्डमाइन्स प्राइवेट लिमिटेड**

(ख) मैसूर माइन्स वर्कर्स यूनियन, मरिकुप्पम

प्रवक्ता :

1. श्री ए० कन्नन—**वाइस प्रेजीडेंट**
2. श्री बी० एन० कुट्टप्पा—**वाइस प्रेजीडेंट**
3. श्री टी० सुबरामणी—**सचिव**
4. श्री एस० सवरीदोस— **सचिव कोलार स्वर्ण क्षेत्र हास्पिटल वर्कर्स यूनियन** (12.00 बजे से 13.05 बजे तक)

छः श्री पी० एस० नारायण—**परामर्शी खान इंजीनियर एवं भूवैज्ञानिक माइन्स हाउस बंगलौर**—3

(13.10 बजे से 13.40 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया :—

"समिति कमरा, विधान सौध, बंगलौर में समिति की बैठक आयोजित करने में मैसूर विधान सभा के सचिव तथा मैसूर विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं सदस्यों ने समिति को जो बहुमल्य सहयोग दिया उसके लिये समिति उनकी अत्याधिक सराहना करती है।

बंगलौर में समिति की बैठक आयोजित करने तथा समिति के सदस्यों के ठहरने के लिये उचित व्यवस्था करने में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जो सहयोग दिया उसके लिये समिति उनकी भी सराहना करती है।"

5. तत्पश्चात समिति की बैठक मंगलवार 31 अक्तूबर. 1972 को 09.00 बजे पणजी गोआ में पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक सभा कक्ष, विधान सभा गोआ, दमन और दीव, पणजी में मंगलवार, 31 अक्तूबर, 1972 को 09.00 बजे से 12.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री खेमचंद भाई चावड़ा

4. श्री मूलचंद डागा
5. श्री अनादि चरण दास
6. श्री भोगेन्द्र झा
7. श्रीमती शीला कौल
8. श्री सुरेन्द्र महन्ती
9. श्री बक्शी नायक
10. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
11. श्री दामोदर पांडे
12. श्री प्रभुदास पटेल
13. श्री रामजी राम
14. चौधरी राम प्रकाश
15. श्री भोला राउत
16. श्री पी० एंथनी रेड्डी
17. चौधरी साधूराम
18. श्री राम नारायण शर्मा
19. श्री टी० सोहन लाल
20. श्री बालगोबिंद वर्मा
21. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य-सभा

22. श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा
23. श्री बी० के० महन्ती
24. श्री सीता राम सिंह
25. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
26. श्री कासिम अली आबिद

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० कंजीथापदम—अवर सचिव
2. श्री एस० एस० प्रसाद—खान सुरक्षा के उप-महानिदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया।

एक. गोआ मिनरल ओर एक्सपोर्टस एसोसियेशन, पंजिम तथा गोआ माइनिंग एसोसियेशन, पणजी गोआ

प्रवक्ता :

1. श्री एस० एस० कंटक—निदेशक एवं तकनीकी प्रबंधक सोसीदाद द फोमेंटो इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड
2. श्री एच० सी० गुप्ता—खनन इंजीनियर सेसा गोआ प्राइवेट लिमिटेड
3. श्री डी० वी० राव—खनन इंजीनियर वी० एम० सलगांवकर एंड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड
4. श्री ए० वी० सलगावकर—कार्मिक अधिकारी सेसा गोआ प्राइवेट लिमिटेड
5. श्री रमेश देसाई—श्रम सलाहकार
   (09.00 बजे से 10.45 बजे तक)

दो. गोआ माईन्स स्टाफ एसोसियेशन, खंडेपार उसगाँव, गोआ

प्रवक्ता :

1. श्री एम० वी० एन० खंडेपारकर—सचिव
2. श्री आर० बी० एस० काकोडकर—सदस्य
3. श्री एल० डी० सामंत—सदस्य ।
4. श्री यू० कटे—सदस्य
   (10.50 बजे से 11.05 बजे तक)

तीन. गोआ माइनिंग लेबर वैलफेयर यूनियन एस्सोनारा

प्रवक्ता :

1. श्री जार्ज वाज—महासचिव
2. श्री मेलीसियो फरनेन्डीज
3. श्री दिवाकर काकोडकर
   (11.10 बजे से 11.30 बजे तक)

चार. नेशनल माइन वर्कर्स यूनियन गोआ

1. श्री वासूदेव अर्जुन गवास—महासचिव
2. श्री दियोनोसियो फरनेन्डीज—सचिव
   (11.30 बजे से 12.00 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. इसके पश्चात समिति ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया :—

"असेम्बली चैम्बर विधान सभा सचिवालय पणजी में समिति की बैठक आयोजित करने में गोवा, दमण तथा दीव विधान सभा के सरकार के सचिव तथा विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा दी गयी बहुमूल्य सहायता की समिति हार्दिक सराहना करती है ।

पणजी में समिति की बैठक आयोजित करने में और समिति के सदस्यों के पणजी प्रवास को सुखद बनाने में गोवा, दमण तथा दीव सरकार और खान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा की गई सहायता की भी समिति हार्दिक सराहना करती है।"

5. इसके पश्चात समिति की बैठक गुरुवार, 2 नवम्बर, 1972 को नागपुर में 10.30 बजे होने तक के लिए स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 2 नवम्बर, 1972 को समिति कक्ष न्यू एम० एल० ए० होस्टल नागपुर में 10.30 बजे से 14.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा — सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2 श्री भागीरथ भंवर
3. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
4. श्री मूल चन्द डागा
5. श्री अनादि चरण दास
6. श्री के० जी० देश मुख
7. श्री सी० डी० गौतम
8. श्री भोगेन्द्र झा
9. श्रीमती शीला कौल
10. श्री सुरेन्द्र महन्ती
11. श्री बक्शी नायक
12. श्री दामोदर पाण्डे
13. श्री प्रभुदास पटेल
14. श्री रामजी राम
15. चौधरी राम प्रकाश
16. श्री भोला राउत
17. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
18. चौधरी साधूराम
19. श्री राम नारायण शर्मा

20. श्री टी० सोहन लाल
21. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य-सभा

22. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
23. श्री बी० के० महन्ती
24. श्री सीताराम सिंह
25. श्री विनय कुमार पाराशर
26. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
27. श्री कासिम अली आबिद

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग) का प्रतिनिधि

1. श्री एस. एस. प्रसाद— **खान सुरक्षा उप-महानिदेशक**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे— **उप सचिव**

2. निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने से पूर्व समिति के सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया।

(एक) **मध्य प्रदेश एण्ड विदर्भ माईनिंग एसोसियेशन (कोल कमेटी), नागपुर।**

प्रवक्ता :

1. श्री आशा सिंह—**चेयरमैन**
2. श्री बृज भूषण—**सी० एम० ई०**
3. श्री एम० के० झा०—**सी० एम० ई०**
4. श्री आर० डो० विश्वास—**सी० एम० ई०**
5. श्री डडले—**सचिव**
6. श्री चौधरी—**चैयरमैन एम० डी० मौयल**

(10.30 बजे से 11.15 बजे तक)

(दो) **नागपुर स्टोन क्वेरी एण्ड क्शर ओनर्स एसोसिएशन, नागपुर**

प्रवक्ता :

1. श्री बी० टी० पारधी—**चैयरमैन**
2. श्री एच० एच० शाह—**अवैतनिक सचिव**
3. श्री कर्नल एच० एस० कोचर—(रिटायर्ड) **मेम्बर**

4. श्री ग्रार०सी०ठक्कर—मैम्बर
(11.20 बजे से 11.50 बजे तक)

(तीन) भारतीय खदान मजदूर संघ, छिंदवाडा

प्रवक्ता

1. श्री एस० वी० सिह परमार—सचिव
2. श्री एस० एस० शकत्रार—कानूनी सलाहकार तथा कार्यकारी सदस्य।
(11.50 बजे से 12.10 बजे तक)

(चार) विदर्भ इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, नागपुर

प्रवक्ता

1. श्री वी० एस० याज्ञिक
2. श्री पी० एम० जोशी
3. श्री जे० एल० भाटिया
(12.15 बजे से 12.45 बजे तक)

(पांच) ईण्डियन नेशनल माईनिंग ग्रोवरसैन, सीरदार, शोट फायरर्स एसोसिएशन,छिंदवाड

1. श्री एस० पी० तिवारी—उपाध्यक्ष—
2. श्री बीरु सिह—संक्युत सचिव
3. श्री ग्रब्दुल वहीद—कोषाध्यक्ष
(12.50 बजे से 13.15 बजे तक)

(छः) महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय कोयला खदान कामगर संघ, नागपुर

प्रवक्ता

1. श्री एस० डब्ल्यू० धवे—ग्रध्यक्ष
2. श्री हीरालाल सिह—उपाध्यक्ष
3. श्री एस० डी० राउत—महासचिव
4. श्री एस० के० मलिक—सचिव
5. श्री महादेव राव तित्रे—महासचिव
6. श्री जी० एम० खोडे—ग्रध्यक्ष
(13.20 बजे से 13.40 बजे तक)

(सात) न्यू चिरिमिरी पोनरी हिल कोलयरी, चिरिमिरी

प्रवक्ता

1. श्री जी० श्रीनिवासन—तकनीकी परामर्शदाता
(13.45 बजे से 14.00 बजे तक)

(आठ) एम० पी० माइन वर्कर्स यूनियन, छिंदवाड़ा

प्रवक्ता

1. श्री आर० के० हाल्दुलकर—अध्यक्ष
(14.05 बजे से 14.20 बजे तक)

(नौ) स्माल स्केल माइनिंग इन्डस्ट्री, नागपुर

प्रवक्ता :

1. श्री जी० सी० शुक्ला :
2. श्री भीमसिंह बिशन
3. श्री जी० डी० गुप्ता
(14.25 बजे से 14.40 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. इसके पश्चात समिति ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया :—

"समिति कक्ष एम० एल० ए० होस्टल नागपुर में समिति की बैठक आयोजित करने में महाराष्ट्र विधान सभा के सचिव तथा विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता की समिति हार्दिक सराहना करती है ।

नागपुर समिति की बैठक आयोजित करने तथा समिति के सदस्यों के नागपुर प्रवास को सुखद बनाने महाराष्ट्र सरकार द्वारा तथा खान, सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों द्वारा दी गई सहायता की भी समिति हार्दिक सराहना करती है ।"

5. इसके पश्चात समिति की बैठक शुक्रवार 3 नवम्बर, 1972 को 15.00 बजे बम्बई में होने तक के लिए स्थगित हुई ।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार 3 नवम्बर, 1972 को सचिवालय, बम्बई के समिति कक्ष में 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री खेमचंद भाई चावड़ा
4. श्री मूलचंद डागा

5. श्री ग्रनादि चरण दास
6. श्री के० जी० देशमुख
7. श्री सी० डी० गौतम
8. श्री भोगेन्द्र झा
9. श्रीमती शीला कोल
10. श्री बक्शी नायक
11. श्री दामोदर पांडे
12. श्री प्रभुदास पटेल
13. श्री रामजी राम
14. श्री चौधरी राम प्रकाश
15. श्री भोला राउत
16. श्री पी एंथनी रेड्डी
17. चौधरी साधूराम
18. श्री राम नारायण शर्मा
19. श्री टी सोहन लाल
20. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य सभा

21. श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
22. श्री सीता राम सिंह
23. श्री विनयकुमार रामलाल पाराशर
24. श्री जगन नाथ भारद्वाज
25. श्री कासिम ग्रली ग्राबिद

श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम ग्रौर रोजगार) का प्रतिनिधि

श्री एस० एस० प्रसाद— खान सुरक्षा उप-महानिदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे उपसचिव

2. समिति द्वारा ग्रेटर बम्बई क्वैरी ग्रोनर्स एसोसिएशन लिमिटेड बम्बई के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिए जाने से पहले सभापति ने साक्षियों का ध्यान ग्रध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ग्रोर दिलाया :—

1. श्री देवकरन एन तन्ना, प्रेसिडेंट ।
2. श्री चुनीलाल गुलाटी, संयुक्त ग्रवैतनिक सचिव ।

3. श्री दमजीनानजी वैदांत, संयुक्त अवैतनिक सचिव ।

4. श्री के० सी० राम नाथ, कार्यालय सचिव ।

5. श्री एम० एस० साहनी, सदस्य ।

6. श्री एस० डी० वीरा ।

7. श्री एन० डी० तन्ना ।

साक्ष्य 16.00 बजे तक चलता रहा ।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. तदुपरान्त समिति शनिवार, 4 नवम्बर, 1972 को बम्बई में 10.30 बजे समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 4 नवम्बर, 1972 को सचिवालय बम्बई के समिति कक्ष में 10.30 बजे से 11.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर

3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य

4. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा

5. श्री अनादि चरण दास

6. श्री के० जी० देशमुख

7. श्री सी० डी० गौतम

8. श्री भोगेन्द्र झा

9. श्रीमती शीला कौल

10. श्री सुरेन्द्र महन्ती

11. श्री बक्शी नायक

12. श्री दामोदर पांडे

13. श्री प्रभुदास पटेल

14. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले

15. श्री रामजी राम

चौधरी राम प्रकाश

17. श्री भोला राउत

18. श्री पी० एंथनी रेड्डी

19. चौधरी साधू राम

20. श्री राम नारायण शर्मा

21. श्री टी सोहन लाल

22. श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी

23. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य सभा

24. श्री बी० के० महन्ती

25. श्री सीता राम सिंह

26. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर

27. श्री जगन नाथ भारद्वाज

28. श्री कासिम अली आबिद

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और पुनर्वास विभाग) का प्रतिनिधि

श्री एस० एस० प्रसाद —खान सुरक्षा उप-महानिदेशक।

सचिवालय

श्री एच जी परांजपे--उप सचिव ।

2. समिति द्वारा पूना क्वैरी ओनर्स एसोसिएशन, पूना के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिए जाने से पहले सभापति ने साक्षियों का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।

1. श्री एस० टी० नन्दा–प्रेसिडेंट
2. श्री आर० टी० शिन्दे, वाइस-प्रेसिडेंड
3. श्री बी० वाई० ओगले, प्रबन्धक धानोविन खान
4. श्री एस० डी० चौगुले, चेयरमेन , मजदूर कोआपरेटिव सोसाइटी
5. श्री के० सी० धोत्रे, डाइरेक्टर

साक्ष्य 11.30 बजे तक चलता रहा ।

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. समिति ने यह निश्चय किया कि आगामी अन्तः समावधि में आसाम, राजस्थान, उड़ीसा, मद्रास और केरल राज्यों में स्थित चुनी हुई खानों का मौके पर जाकर अध्ययन किया जाये और उन राज्यों की राजधानियों में स्थानीय एसोसिएशनों/संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य को सुना जायें ।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया है कि समिति भावी कार्यक्रम पर विचार करने के लिए समिति को अगली बैठक गुरूवार, 16 नवम्बर, 1972 को 15.00 बजे नई दिल्ली में की जायेगी ।

6. तदन्नतर समिति ने निम्न लिखित संकल्प पारित किया :—

"सचिवालय, बम्बई के समिति कक्ष में समिति की बैठकें आयोजित करने में महाराष्ट्र विधान सभा के सचिव और विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दी गई अमूल्य सहायता की समिति हार्दिक सराहना करती है ।

बम्बई में समिति की बैठकें आयोजित करने और समिति के सदस्यों के बम्बई प्रवास को सूखद बनाने में महाराष्ट्र सरकार और खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दी गई सहायता की भी समिति हार्दिक सराहना करती है ।"

7. तदुपरान्त समिति की बैठक स्थगित हुई ।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरूवार, 16 नवम्बर, 1972 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री ए० पी० शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीनेन भट्टाचार्य
3. के० एस० चावड़ा
4. श्री भोगेन्द्र झा
5. श्री सुरेन्द्र मंहती
6. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
7. श्री दामोदर पांडे
8. श्री प्रभुदास पटैल
9. चौधरी रामप्रकाश
10. श्री भोला राउत
11. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
12. चौधरी साधूराम
13. श्री राम नारायण शर्मा
14. श्री टी० सोहन लाल
15. श्री बालगोविंद बर्मा
16. श्री आर० के० खाडिलकर

राज्य सभा

17. श्री कल्याण राय
18. श्री सीता राम सिंह
19. श्री विनय कुमार पाराशर
20. श्री काली मुखर्जी
21. श्री कासिम अली आबिद
22. श्री हिम्मत सिंह
23. श्री द्विजेन्द्र लाल सेनगुप्त

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक–	सचिव
2. श्री डी० एस० निम–	संयुक्त सचिव
3. श्री महेश चन्द्र–	विशेष कार्य अधिकारी (विधिक)
4. श्री एच० बी० घोष –	खान सुरक्षा के महानिदेशक
5. श्री वी० के० चानना–	उप सचिव
6. श्री आर० कुजीत पदमै–	अवर सचिव

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्त– विधि और न्याय मंत्रालय में अपर विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री वी० एस० भाष्यम – विधि और न्याय मंत्रालय में उप-विधायी परामर्शदाता ।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे– उप-सचिव

2. समिति ने विभिन्न खान के स्थल पर अध्ययन दौरों संबंधी अपने पहले के निश्चय पर पुनर्विचार किया और यह निश्चय किया कि जनवरी, 1973 में लगभग 10–12 दिनों के लिए केवल मद्रास, राजस्थान और आसाम राज्यों में कुछ चुनी हुई खानों का दौरा किया और संबंधित राज्यों की राजधानियों में स्थानीय ऐसोसिएशनों, संगठनों इत्यादि के मौखिक साक्ष्य की सुनवाई भी की जाए । समिति ने सभापति को इस संबंध में समिति के दौरा-कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिये प्राधिकृत किया ।

3. समिति ने महसूस किया कि चूंकि समिति को विभिन्न प्रकार की खानों में कार्य की परिस्थितियों संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु स्थल पर जाकर और अध्ययन दौरे करने थे, उन स्थानीय संगठनों का साक्ष्य लेना था जो ऐसा करने की इच्छा व्यक्त करें और विधेयक के अन्य प्रक्रमों को पूरा करना था, अतः समिति के लिये निर्धारित तिथि, 22 दिसम्बर, 1972 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा । अतः समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 9 मार्च, 1973 तक समयवृद्धि की मांग करने का निश्चय किया ।

4. समिति ने सदन में ग्रावश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभापति ग्रौर, उनकी ग्रनुपस्थिति में श्री राम नारायण शर्मा, को प्राधिकृत किया ।

5. समिति ने फिर यह निश्चय किया कि प्रस्तावित ग्रध्ययन दौरे के पश्चात् निम्नलिखित एसोसिएशनों के मौखिक साक्ष्य की सुनवाई की जाए :—

(एक) सेन्टर ग्राफ इंडियन ट्रेड यूनियन, कलकत्ता

(दो) इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फैडेरेशन, कलकत्ता, ग्रौर

(तीन) महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद ।

6. समिति ने सोमवार, 5 फरवरी, 1973 से विधेयक पर खंडवार विचार प्रारम्भ करने का भी निश्चय किया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 10 जनवरी, 1973 को कमेटी रूम, तलमिनाडु विधान मण्डल सचिवालय, मद्रास में 10.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री ग्रनंत प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
4. श्री खेम चन्द भाई चावड़ा
5. श्री मूल चन्द डागा
6. श्री ग्रनादि चरण दास
7. श्री सी० डी० गौतम
8. श्री भोगेन्द्र झा
9. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
10. श्री दामोदर पाण्डे
11. श्री प्रभु दास पटेल
12. श्री ग्रार० बालकृष्ण पिल्ले

13. श्री रामजी राम
14. चौधरी राम प्रकाश
15. श्री भोला राउत
16. श्री पी० एन्थनी रेड्डी
17. चौधरी साधु राम
18. श्री राम नारायण शर्मा
19. श्री टी० सोहन लाल
20. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
21. श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा
22. श्री ग्रार० पी० उलगनम्बी

राज्य सभा

23. श्री मनोरंजन राय
24. श्री सीता राम सिंह
25. श्री विनय कुमार पाराशर
26. श्री जगन्नाथ भारद्वाज

श्रम श्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रौर रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ग्रार० कुंजीथापदम— ग्रवर सचिव
2. श्री एच० बी० घोस— खान सुरक्षा के महानिदेशक
3. श्री एम० सुब्रामण्यम निदेशक, खान सुरक्षा, दक्षिण क्षेत्र, मंसु
4. श्री एम० दत्ता निदेशक, खान सुरक्षा (मुख्यालय). धनबाद ।

सचिवालय

श्री जे० ग्रार० कपूर— ग्रवर सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेना प्रारम्भ करने से पूव सभापति ने उनका ध्यान ग्रध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ग्रोर दिलाया :—

एक. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली ।

प्रवक्ता :

1. श्री एन० नीलकान्तन—ग्रधीक्षक (खान)
2. श्री वी० पी० कल्याणरामन—वरिष्ठ कार्मिक ग्रधिकारी

(10.00 बजे से 11.00 बज तक)

दो. इन्डिया सीमेन्ट्स लिमिटेड मद्रास

प्रवक्ता

1. श्री ए० श्रीनिवासन -- कार्मिक अधिकारी ।
2. श्री वी० एस० कृष्णन-- अधीक्षक भविज्ञानी और खनन अभियंता
3. श्री आर० कृष्णमूर्ति-- खान प्रबन्धक

(11.05 से 11.30 बजे तक)

तीन. एसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनीज लिमिटेड, एस कर्वे रोड, बम्बई-20

प्रवक्ता :

1. श्री ज० पी० मुंसिफ-- महाप्रबन्धक (परिचालन)
2. श्री एम० एम० प्रभु-- खनन विभाग का प्रमुख (परिचालन प्रभाग)

(11.35 बजे से 12.00 बजे तक)

चार. लिग्नाइट माइन्स लेबर यूनियन, नेवेली

प्रवक्ता :

श्री के० तिरुवेंगदम-- सचिव

(12.05 बजे से 12.30 बजे तक)

पांच. नेवेली माइन्स यूनाइटिड वर्कर्स यूनियन (आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) चर्च रोड, नेवेली—1

प्रवक्ता :

1. श्री के० एम० सुन्दरम . . . . प्रधान
2. श्री के० केसवन . . . . . सचिव

(12 35 से 13 00 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया :—

"समिति सचिव, तमिलनाडु विधान सभा और विधान सभा सचिवालय के अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कमेटी रूम, तमिलनाडु, विधान मण्डल सचिवालय, मद्रास में समिति की बैठकें करने में की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी अत्यधिक सराहना करती है ।

समिति तमिलनाडु सरकार और खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मद्रास में समिति की बैठक करने में की गई बहुमूल्य सहायता और समिति के सदस्यों को ठहरने की सुविधायें प्रदान करने के लिए उनकी अत्यधिक सराहना करती है ।

5. तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई ।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 1 फरवरी, 1973 को जयपुर में राजस्थान विधान सभा भवन के समिति कक्ष में 09.30 बजे से 12.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भगीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
4. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
5. श्री आनन्दी चरण दास
6. श्री के० जी० देशमुख
7. श्री सी० डी० गौतम
8. श्री भोगेन्द्र झा
9. श्री बक्शी नायक
10. श्री प्रभुदास पटेल
11. श्री रामजी राम
12. चौधरी राम प्रकाश
13. चौधरी साधु राम
14. श्री टी० सोहन लाल
15. सरदार स्वर्ण सिंह सोंखी
16. श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा
17. श्री जी० पी० यादव

राज्य सभा

18. श्री मनोरंजन राय
19. श्री बी० के० महन्ती
20. श्री सीताराम सिंह
21. श्री विनयकुमार रामलाल पाराशर
22. श्री जगन नाथ भारद्वाज
23. श्री हिम्मत सिंह

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर० कुर्जीतपदम— प्रवर सचिव
2. श्री एच० बी० घोष— खान सुरक्षा के महानिदेशक

3. श्री एम० दत्ता— खान सुरक्षा (मुख्यालय), धनबाद के निदेशक

4. श्री ए० एन० सिन्हा — खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक

5. श्री एस० के० मुकर्जी — खान सुरक्षा के उप-निदेशक

सचिवालय

श्री जे० ग्रार० कपूर — अवर सचिव

2. निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य समिति द्वारा सुने जाने के पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :—

एक. (क) फैडरेशन ग्राफ माईनिंग एसोसियेशन ग्राफ राजस्थान, जयपुर

प्रवक्ता :

1. श्री जे० ग्रार० तनेजा — उपाध्यक्ष
2. श्री ए० एस० माथुर — अवैतनिक महा-सचिव

(ख) उदयपुर माइन ओनर्स एसोसियेशन, उदयपुर

प्रवक्ता :

श्री जे० ग्रार० तनेजा — अवैतनिक सचिव

(09.30 बजे से 11.00 बजे तक)

दो. बीकानेर डिवीजन माईनिंग एसोसिएशन, बीकानेर

प्रवक्ता :

1. श्री गुलाब चन्द कोचर, अध्यक्ष
2. श्री अमर नाथ चांदना, अवैतनिक महासचिव

(11.05 बजे से 11.30 बजे तक)

तीन. राजपूताना माइन ओनर्स एण्ड मिनरल मरचैण्ट्स एसोसिएशन, अजमेर

प्रवक्ता :

1. श्री इ० सी० क्रमजी — सदस्य
2. श्री के० जी० महेश्वरी — सदस्य
3. श्री मोतीचन्द गोलेया — सदस्य

(11.35 बजे से 12.10 बजे तक)

चार. श्री ग्रार० के० बाकलीवाल खनन परामर्शदाता, 712 दरीबा पान, जयपुर

(12.15 बजे से 12.35 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया :—

"जयपुर के विधान सभा भवन के समितिकक्ष में समिति की बैठकें आयोजित करने में राजस्थान विधान सभा के सचिव तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दी गई मूल्यवान सहायता के लिये समिति उनकी हार्दिक सराहना करती हैं।

जयपुर में समिति की बैठकों के आयोजन तथा समिति के सदस्यों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार और खान सुरक्षा के महानिदेशालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दी गई सहायता की भी समिति हार्दिक सराहना करती है।"

5. तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई।

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 5 फरवरी, 1973 को 15.00 बजे से 17.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
3. श्री बीनेन भट्टाचार्य
4. श्री खेमचंदभाई चावड़ा
5. श्री मूल चंद डागा
6. श्री अनादि चरण दास
7. श्री सी० डी० गौतम
8. श्रीमती शीला कौल
9. श्री बक्शी नायक
10. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
11. श्री दामोदर पांडे
12. श्री रामजी राम
13. श्री राम प्रकाश
14. श्री भोला राउत
15. चौधरी साधु राम
16. श्री आर० एन० शर्मा
17. श्री टी० सोहन लाल

18. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
19. श्री जी० पी० यादव

राज्य सभा

20. श्री मनोरंजन राय
21. श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
22. श्री बी० के० महन्ती
23. श्री सीता राम सिंह
24. श्री विजयकुमार रामलाल पाराशर
25. श्री काली मुकर्जी
26. श्री जगन नाथ भारद्वाज
27. श्री कासिम ग्रली ग्राविद
28. श्री हिम्मत सिंह
29. श्री द्विजेन्द्रलाल सेन गुप्त

श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि

(श्रम ग्रौर रोजगार विभाग)

1. श्री ग्रार० कुंजीतपदम्—ग्रवर सचिव
2. श्री एम० दत्ता—खान सुरक्षा निदेशक (मुख्यालय धनबाद)

विधाती परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्ता—ग्रपर विधायी परामर्शदाता
2. श्री बी० एस० भास्यम—उप विधायी परामर्शदाता

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित संगठनों का साक्ष्य सुनने से पहले सभापति ने उनके प्रतिनिधियों का ध्यान ग्रध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ग्रोर दिलाया :—

एक. सेण्टर ग्राफ इण्डियन ट्रेड यूनियन, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री पी० राममूर्ति—सेंटर ग्राफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के महासचिव
2. श्री रोबिन चटर्जी—भारतीय कोयला खान मजदूर सभा के महासचिव
3. श्री कुमार सिंह—भारतीय कोयला खान मजदूर सभा, रानीगंज की पूर्व सीतलपुर कोयला खान शाखा के महासचिव
4. श्री जी० पी० गोस्वामी—भारतीय कोयला खान मजदूर सभा, रानीगंज की जे० के० नागर कोयला खान शाखा के महासचिव।

(15.00 से 16.40 बजे तक)

दो. भारतीय राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर महासंघ, कलकत्ता

प्रवक्ता :

श्री कान्ति मेहता, ––महासचिव ।

(16.45 से 17.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः * रिकार्ड रखा गया ।

4. समिति ने निश्चत किया कि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को ध्यान में रखते हुये मंगलवार, 13 फरवरी, 1973 को 15.00 बजे होने वाली समिति की बैठक में विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा की जाये । समिति ने यह भी नोट किया कि खान मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के पदभार में परिवर्तन किया गया है । समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि खान मंत्रालय के नये मंत्री महोदय से अनुरोध किया जाये कि वह 13 फरवरी, 1973 को होने वाली समिति की बैठक में हाल ही में गैर कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए विधेयक के उपबन्धों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बतायें ।

5. तत्पश्चात् समिति फिर मंगलवार, 6 फरवरी, 1973 को 11.00 बजे समवेत होने के लिये स्थगित हुई ?

पन्द्रह

पन्द्रहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 6 फरवरी, 1973 को 11.00 से 13.10 बजे तक हुई

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा— सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
4. श्री दीनेन भट्टाचार्य
5. श्री खेमचंदभाई चावड़ा
6. श्री मूल चन्द डागा
7. श्री आनन्दी चरण दास
8. श्री के० जी० देशमुख
9. श्री सी० डी० गौतम

---

* अलग से भेजा जा रहा है ।

10. श्री भोगेन्द्र झा
11. श्रीमती शीला कौल
12. श्री बक्शी नायक
13. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
14. श्री दामोदर पांडे
15. श्री रामजी राम
16. चौधरी राम प्रकाश
17. श्री भोला राउत
18. चौधरी साधु राम
19. श्री टी० सोहन लाल
20. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
21. श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा
22. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य सभा

23. श्री मनोरंजन राय
24. श्री बी० के० महन्ती
25. श्री सीता राम सिंह
26. श्री विनयकुमार रामलाल पराशर
27. श्री काली मुकर्जी
28. श्री जगन नाथ भारद्वाज
29. श्री कासिम अली आबिद
30. श्री हिम्मत सिंह
31. श्री द्विजेन्द्रलाल सेन गुप्ता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एन० पी० दूबे—अपर सचिव ।
2. श्री बी० के० चानना—उप-सचिव ।
3. श्री आर० कुंजीपदम् —अवर सचिव ।

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्ता—अपर विधायी परामर्शदाता
2. श्री बी० एस० भाष्यम्— उप-विधायी परामर्शदाता

2. प्रारम्भ में सभापति महोदय ने श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में नये राज्य-मंत्री (श्री के० बी० राघुनाथ रेड्डी) और उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) का स्वागत किया ।

3. श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री श्री के० बी० रघुनाथ रड्डी और उप-मंत्री श्री जी० बेंकटस्वामी ने, जो समिति के सदस्य नहीं है, लोक-सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से समिति की बठक में भाग लिया।

4. समिति द्वारा निम्नलिखित साक्षियों का मौखिक साक्ष्य लेने से पहले सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :—

(एक) श्री एच० बी० घोष,
खान सुरक्षा महानिदेशक (मुख्यालय), धनवाद ;

(दो) श्री एम० दत्ता,
खान सुरक्षा निदेशक (मुख्यालय), धनवाद।

साक्ष्य 13.00 बजे तक चलता रहा।

5. कार्यवाही का शब्दश:* रिकार्ड रखा गया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सोलह

सोलहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 13 फरवरी, 1973 को 15.00 बजे से 16.3) बज तक हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
4. श्री मूल चंद डागा
5. श्री अनादि चरण दास
6. श्री के० जी० देशमुख
7. श्री सी० डी० गौतम
8. श्री भोगेन्द्र झा
9. श्रीमती शीला कौल
10. श्री सुरेन्द्र महन्ती
11. श्री बक्शी नायक
12. श्री परिपूर्णनन्द पैंनुली

---

*अलग से भेजा जा रहा है।

13. श्री दामोदर पांडे

14. श्री रामजी राम

15. चौधरी राम प्रकाश

16. श्री भोला राउत

17. चौधरी साधू राम

18. श्री राम नारायण शर्मा

19. श्री टी० सोहन लाल

20. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी

21. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य सभा

22. श्री मनोरंजन राय

23. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

24. श्री बी० के० महन्ती

25. श्री सीता राम सिंह

26. श्री काली मुखर्जी

27. श्री जगन्नाथ भारद्वाज

28. श्री कासिम अली आबिन्द

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्ता—अपर विधायी परामर्शदाता
2. श्री बी० एस० भाष्यम्—उप-विधायी परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक—सचिव,
2. श्री एच० बी० घोष—खान सुरक्षा महानिदेशक,
3. श्री महेश चन्द्र—विशेष कार्य अधिकारी (विधि)
4. श्री एम० ए० एम० राव—उप-सचिव,
5. श्री आर० कुंजीतपदम्—अवर सचिव,

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव,

2. श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी और उप मंत्री श्री जी० वेंकटस्वामी ने, जो समिति के सदस्य नहीं है लोक-सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य चर्चा की ।

4. समिति ने यह निर्णय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शुक्रवार, 4 मई, 1973 तक बढ़ाने की अनुमति ली जाये क्योंकि निर्धारित दिन अर्थात् 9 मार्च, 1973 तक चर्चा समाप्त करना और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना संभव नहीं था । समिति सभापति ने को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री मूल चंद डागा को, सदन में इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिय प्राधिकृत किया ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

सत्रह

सत्रहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 28 मार्च, 1973 को 10.30 बजे से 11.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य
4. श्री मूल चन्द डागा
5. श्री सी० डी० गौतम
6. श्री बक्शी नायक
7. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
8. श्री दामोदर पाण्डे
9. श्री भोला राउत
10. श्री साधु राम
11. श्री राम नारायण शर्मा

राज्य सभा

12. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर
13. श्री काली मुखर्जी
14. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
15. श्री कासिममाली आबिद
16. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्त—अपर विधायी सलाहकार

श्री वी० एस० भाष्यम्—उप-विधायी सलाहकार

श्रम श्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रौर रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक—सचिव
2. श्री डी० एस० निम—संयुक्त सचिव
3. श्री महेश चन्द्र—विशेष कार्य अधिकारी (विधि)
4. श्री वी० के० चानना —उप सचिव
5. श्री आर० कुंजीतापदम—अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी परांजपे—उप सचिव

2. श्रम श्रौर पुनर्वास मंत्री श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी जो समिति के सदस्य नहीं है लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में उपस्थित हुये।

3. समिति को बताया गया कि गैर–कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार को संयुक्त समिति के विचारार्थ विधेयक पर अपने नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह तक के समय की आवश्यकता होगी। समिति का विचार है कि निर्धारित दिन अर्थात् 4 मई, 1973 तक समिति के विचार विमर्श को पूरा करना तथा अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वर्षाकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक समय श्रौर बढ़वाने का निर्णय किया। समिति ने सभापति को तथा उनकी अनुपस्थति में श्री एम० सी० डागा को सभा में तत्सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

4. समिति ने निर्णय किया कि जो सदस्य विधेयक पर संशोधन की सूचना देना चाहते हैं वे सरकार के प्रस्तावों को उनके बीच परिचालित कर देने के बाद 23 अप्रैल, 1973 तक दे सकते हैं।

5. समिति ने अपने भावी कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए बुधवार 9 मई, 1973 को 10.00 बजे अपनी अगली बैठक करने का निणर्य किया।

6. तत्पतश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अठारह

अठारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार 9 मई, 1973 को 10.15 बजे से 11.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री मूलचन्द डागा
3. श्री अनादि चरण दास
4. श्री सी० डी० गौतम
5. श्री भोगेन्द्र झा
6. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
7. श्रीमती शीला कौल
8. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
9. श्री दामोदर पांडे
10. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
11. चौधरी रामप्रकाश
12. श्री भोला राउत
13. श्री पी० एंथनी. रेड्डी
14. श्री राम नारायण शर्मा
15. सरदार स्वर्णसिंह सोखी
16. श्री जी० वेंकटस्वामी
17. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य-सभा

18. श्री कल्याण राय
19. श्री मनोरंजन राय
20. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
21. श्री सीताराम सिंह
22. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर
23. श्री काली मुखर्जी
24. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
25. श्री कासिम अली आबिद
26. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्ता--अपर विधायी परामर्शदाता
2. श्री वी० एस० भाष्यम्--उप विधायी परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक--सचिव
2. श्री डी० एस० निम--संयुक्त सचिव
3. श्री महेश चन्द्र --विशेष कार्य अधिकारी (विधिक)
4. श्री वी० के० चानना --उपसचिव
5. श्री एस० एस० प्रसाद --खान सुरक्षा के उपमहानिदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उप-सचिव

2. श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी ने जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. कुछ देर विचार विमर्श करने के पश्चात् समिति ने निर्णय किया कि 25 और 26 जून, 1973 को जम्मू और काश्मीर राज्य में कुछ खनन क्षेत्रों का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा किया जाये और साथ ही कुछ स्थानीय संस्थाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाये।

4. समिति ने यह भी निर्णय किया कि शुक्रवार, 29 जून को 15.00 बजे और शनिवार, 30 जून को 10.00 बजे और यदि आवश्यक हुआ तो सोमवार, 2 जुलाई, 1973 को भी नई दिल्ली में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जाये।

5. समिति ने यह भी निर्णय किया कि विधेयक के संबंध में सरकारी संशोधनों की सूचनाएं, यदि कोई हों, 8 जून, 1973 तक लोक सभा सचिवालय को भेज दी जायें और यह कि यदि सदस्य संशोधन की कोई सूचनाएं देना चाहें तो वे 15 जून, 1973 तक दे सकते हैं।

6. तदुपरांत समिति की बैठक स्थगित हुई।

उन्नीस

उन्नीसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 28 जून, 1973 को 09.00 बजे से 11.30 बजे तक जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा, श्रीनगर, के समिति कक्ष में हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री खेमचन्द भाई चावदा
4. श्री मूलचन्द डागा
5. श्री अनादि चरण दास
6. श्री के० जी० देशमुख
7. श्री भोगेन्द्र झा
8. श्री पुरुषोतम काकोडकर
9. श्रीमती शीला कौल
10. श्री बक्शी नायक
11. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
12. श्री दामोदर पांडे
13. श्री प्रभुदास पटेल
14. श्री रामजी राम
15. चौधरी राम प्रकाश
16. श्री भोला राउत
17. श्री टी० सोहन लाल
18. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव
19. सरदार स्वर्णसिंह सोखी

राज्य-सभा

20. श्री कल्याण राय
21. श्री मनोरंजन राय
22. श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा
23. श्री सीताराम सिंह
24. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
25. श्री कासिम अली आबिद
26. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता
27. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एस० एस० प्रसाद---उप **महानिदेशक, खान सुरक्षा**
2. श्री पी० आर० नायर---**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री के० के० सक्सेना---**अवर सचिव**

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति को 31 मई, 1973 को इस्पात और खान मंत्री श्री एस० मोहन कुमारमंगलम, संसद सदस्य श्री के० बालतन्डायुतम तथा भूतपूर्व संसद सदस्या श्रीमती देवकी गोपीदास के आकस्मिक निधन का समाचार दिया । तत-पश्चात् समिति ने निम्नलिखित शोक प्रस्ताव पारित किया :---

"समिति 31 मई, 1973 को अपने परम आदरणीय सहयोगियों इस्पात और खान मंत्री श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्, संसद सदस्य श्री के० बालतन्डायुतम तथा भूतपूर्व संसद् सदस्या श्रीमती देवकी गोपालदास के आकस्मिक निधन पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है और दिवंगतों के शोक-सतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है ।"

सदस्य कुछ समय मौन खड़े रहे ।

3. समिति द्वारा निम्नलिखित विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनने की कार्यवाही आरम्भ किये जाने के पूर्व सभापति के अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के अन्तर्गत निदेश संख्या 58 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

I. जम्मू तथा काश्मीर सरकार का उपक्रम, जे० एंड के० मिनरल्स लिमिटेड, श्रीनगर ।

प्रवक्ता :

1. डा० टी० जी० के० चालू, प्रबन्ध निदेशक
2. श्री एल० एन० मिश्र, मुख्य खनन् अभियंता
3. श्री के० सी० दास पुरी, उप-मुख्य खनन् अभियंता ।

(09.00 बजे से 10.15 बजे तक)

II. जम्मू तथा काश्मीर सरकार, का भूविज्ञान तथा खनन् निदेशालय श्रीनगर ।

प्रवक्ता :

1. श्री एस० सी० चक्रवर्ती, भू-विज्ञान खनन् निदेशक, जम्मू तथा कश्मीर सरकार ।
2. श्री एस० एम० हसन, भू-विज्ञान तथा खनन् उप-निदेशक जम्मू तथा काश्मीर सरकार ।
3. श्री एन० यू० वोहरा, खनन अभियंता ।
4. श्री एम० एल० वरीह्, खनन् अभियंता ।
5. श्री एच० आर० रैने, खनिज अधिकारी ।

(10.15 बजे से 11.00 बजे तक)

कालाकोट कोयला खान, कालाकोट (जम्मू) के श्रमिकों की संयुक्त समिति

प्रवक्ता :

1. श्री के० आर० खजूरिया, मजदूर संघ के महासचिव
2. श्री ओ० पी० खजूरिया, शाखा सचिव
3. श्री जी० एम० बट्ट, समस्त खान संघों के अध्यक्ष
4. श्री ए० एस० चौहान, अध्यक्ष, खनिज तथा औद्योगिक मजदूर संघ (11.00 बजे से 11.25 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति ने विधान सभा भवन, श्रीनगर में समिति की बैठक आयोजित कराने के संबंध में जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा के सचिव तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दी गई अमूल्य सहायता की सराहना की।

5. समिति ने श्रीनगर में समिति की बैठक आयोजित करने तथा वहां समिति के सदस्यों के प्रवास को आरामदेह बनाने में जम्मू तथा काश्मीर सरकार तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बीस

बीसवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 2 जुलाई, 1973 को 15.30 बजे से 17.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भगीरथ भंवर
3. श्री दिनेन भट्टाचार्य
4. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
5. श्रीमती शीला कौल
6. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
7. श्री दामोदर पांडे
8. चौधरी राम प्रकाश

9. श्री भोला राउत
10. श्री रामनारायण शर्मा
11. श्री टी० सोहनलाल
12 श्री जी० वेंकटस्वामी
13. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव
14. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी

राज्य सभा

15. श्री कल्याण राय
16. श्री मनोरंजन राय
17. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
18. श्री सीताराम सिंह
19. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर
20. श्री काली मुखर्जी
21. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
22. श्री कासिम अली आबिद
23. श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता
24. श्री इन्द्र सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्त–अपर विधायी परामर्शदाता
2. श्री वी० एस० भाष्यम—उप विधायी परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक—सचिव
2. श्री डी० एस० निम—संयुक्त सचिव
3. श्री महेश चन्द्र—विशेष कार्य अधिकारी (विधिक)
4. श्री एच० बी० घोष—खान सुरक्षा के महानिदेशक
5. श्री वी० के० चानना—उप सचिव
6. श्री एच० एस० आहूजा—खान सुरक्षा के निदेशक
7. श्री पी० आर० नायर—अवर सचिव
8. श्री डी० वी० एस० नारायण राव—वरिष्ठ विधि अधिकारी

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री के० वी० रेड्डी ने जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

4. **खण्ड 2** निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 12, "खान से" का **लोप कोजिए**।

(दो) पृष्ठ 2, पंक्ति 23, "जब वे खान के परिसर में की जायें" का **लोप कीजिए**।

इस खण्ड पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

5. तदुपरांत समिति की बैठक मंगलवार, 3 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

इक्कीस

इक्कीसवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 3 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक और पुनः 15.30 बजे से 18.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनंत प्रसाद शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री मूलचन्द डागा
5. श्री सी० डी० गौतम
6. श्री भोगेन्द्र झा
7. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
8. श्रीमती शीला कौल
9. श्री बक्शी नायक
10. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
11. श्री दामोदर पाण्डेय
12. श्री रामजी राम

13. चौधरी राम प्रकाश
14. श्री भोला राउत
15. श्री राम नारायण शर्मा
16. श्री टी० सोहन लाल
17. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
18. श्री जी० वेंकटस्वामी
19. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य सभा

20. श्री कल्याण राय
21. श्री मनोरंजन राय
22. श्री सीता राम सिंह
23. श्री काली मुखर्जी
24. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
25. श्री कासिम अली आबिद

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्त—अपर विधायी परामर्शदाता
2. श्री बी० एस० माध्यम—उप विधायी परामशदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक—सचिव
2. श्री डी० एस० निम—संयुक्त सचिव
3. श्री महेश चन्द्र—विशेष कार्य अधिकारी (विधिक)
4. श्री एच० बी० घोष—खान सुरक्षा के महानिदेशक
5. श्री वी० के० चानना—उप सचिव
6. श्री एम० ए० एम० राव—उप सचिव
7. श्री पी० आर० नायर—अवर सचिव
8. श्री एच० एस० आहूजा—खान सुरक्षा के निदेशक
9. श्री डी० बी० एस० नारायण राव—वरिष्ठ विधि अधिकारी

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उप सचिव

2. श्रम और पुनर्वास मन्त्री, श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करना आरम्भ किया।

4. खण्ड 2 (जारी) : 1. निम्नलिखित और संशोधन स्वीकृत हुए :—

(i) पृष्ठ 2, पंक्ति 7

"प्रबन्धक" के स्थान पर "स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक" प्रतिस्थापित करें।

(ii) पृष्ठ 2, पंक्ति 11, 12

"के उनके खान से भेजे जाने के स्थान तक हथालने और परिवहन की साथ वाली संक्रियाएं भी हैं" के स्थान पर, "के भेजे जाने के स्थान तक हथालने और परिवहन की और रेत इकट्ठा करने और खान तक उसके परिवहन की साथ वाली संक्रियाएं भी हैं"; प्रतिस्थापित करें।

पृष्ठ 2,

(iii) पंक्ति 13 से 18 के स्थान पर

"(ii) खान के विकास से सम्बन्धित संक्रियाओं या सेवाओं में जिनके अन्तर्गत वहां प्लाट, भवनों, सड़कों, कुओं और अन्य संकर्मों का संनिर्माण जो किन्हीं वर्तमान या भावी खनन संक्रियाओं से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध हों।" प्रतिस्थापित करें।

(iv) पृष्ठ 2,

पंक्ति 24, "खान के परिसर के भीतर अवस्थित" शब्दों का लोप करें।

(2) निम्नलिखित संशोधन आवश्यकतानुसार प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्याधीन स्वीकृत हुए :—

(i) पृष्ठ 2,

पंक्ति 28–29,

"आवासी क्षेत्रों को छोड़कर" शब्दों का लोप करें।

(ii) पृष्ठ 2,

पंक्ति 32, "आनुषंगिक" शब्द के पश्चात् "या सहायक" शब्द अन्तःस्थापित करें।

(iii) पृष्ठ 2,

पंक्ति 38, "संक्रिया" शब्द के पश्चात् "चाहे" शब्द अन्तःस्थापित करें।

(iv) पृष्ठ 3,

पंक्ति 7, "अधीन" शब्द के पश्चात् "या अन्यथा" शब्द अन्तःस्थापित करें।

(v) पृष्ठ 4,

पंक्ति 16, "घी बीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए" शब्दों का लोप करें।

(vi) पृष्ठ 4,

पंक्ति 24, "कोई अस्थि भंग" शब्दों के पश्चात् "या स्थायी शारीरिक असमर्थतता" शब्द अन्तःस्थापित करें।

(vii) पृष्ठ 4,

पंक्ति 22, "किसी अंग" के स्थान पर "शरीर के किसी अंग या भाग" प्रतिस्थापित करें।

(viii) पृष्ठ 4,

पंक्ति 25, 27 "किन्तु हाथ या पैर की उंगलियों के जोड़ या उनकी अस्थि का एक से अनधिक भंग इसके अन्तर्गत नहीं आता" के स्थान पर "या हाथ या पैर की उंगलियों के जोड़ या उनकी अस्थि का एक से अनधिक भंग" प्रतिस्थापित करें।

(ix) पृष्ठ 4, पंक्ति 25–27, "किन्तु हाथ या पैर की उंगलियों के जोड़ या उनकी अस्थि का एक से अनधिक भंग इसके अन्तर्गत नहीं आता" शब्दों का लोप करें।

(x) पृष्ठ 4, पंक्ति 27, अन्त में "या शरीर के किसी अन्य भाग की हानि या क्षति" शब्द जोड़ें।

अतः समिति ने चाहा कि मूल अधिनियम की धारा (2) की उपधारा (1) के खण्ड (थ) में दी गई "खान कार्यालय" शब्द की परिभाषा में उचित संशोधन किया जाए ताकि खनन क्षेत्रों के भीतर
में दी गई "खान कार्यालय" शब्द की परिभाषा में उचित संशोधन किया जाए ताकि खनन क्षेत्रों के भीतर
स्थित प्रबन्धक, स्वामी या अभिकर्ता के कार्यालय को भी इस प्रावधान के अन्तर्गत लाया जा सके।

खंड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

5. **खण्ड 3**—इस खण्ड पर विचार करना रोक दिया गया।

6. **खण्ड 4**—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

7. **खण्ड 5**—निम्नलिखित संशोधन, यदि आवश्यकता हुई तो, प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्याधीन स्वीकृत हुए :

(i) पृष्ठ 5, पंक्ति 5, "तीन दिन" के स्थान पर "अड़तालीस घंटे" प्रतिस्थापित करें।

(ii) पृष्ठ 5, पंक्ति 22, "चुना जाए" शब्द के पश्चात् "परिवहन और ऐसी चिकित्सा परीक्षा में" शब्द अन्तःस्थापित करें।

(iii) पृष्ठ 5, पंक्ति 24, "सेवा की मामूली दर" शब्द के पश्चात् "के दुगुने" शब्द अन्तः-स्थापित करें।

(iv) पृष्ठ 5, पंक्ति 24, "मामूली" शब्द के स्थान पर "समयोपरि" शब्द प्रतिस्थापित करें।

(8) **खण्ड 6** : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 33 के पश्चात्

"(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत या मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन;

(ज) अनुरोध करने पर मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन" शब्द जोड़ें।

खण्ड संशोधित रूप म स्वीकृत हुग्रा ।

9. **खण्ड 7 ग्रौर 8**--इन खण्डों पर विचार करना रोक दिया गया ।

10. **खण्ड 9 से 11 तक**--ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

11. **खण्ड 12**--निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के ग्रघ्यधीन स्वीकृत हुए :--

(एक) पृष्ठ 8, पंक्ति 11 से 18 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये**

"(3) उपधारा (4) में ग्रन्यथा उपबंधित के सिवाय, को स्वामी या ग्रभिकर्त्ता या उसकी ग्रोर से कोई व्यक्ति, प्रबन्धक को इस ग्रधिनियम द्वारा या इसके ग्रधीन ग्रधिरोपित प्रबंधक के कानूनी उत्तरदायित्व की पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले ग्रथवा खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले कोई ग्रनुदेश तब तक नहीं देगा जब तक कि ऐसे ग्रनुदेश देने वाला स्वामी या ग्रभिकर्त्ता या ग्रन्य व्यक्ति उस खान का प्रबंधक होने के लिये ग्रर्हित न हो ग्रौर जब ऐसे ग्रनुदेश ऐसे स्वामी या ग्रभिकर्त्ता या उस ग्रन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाएं तब उनकी तुरन्त लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी ।"

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 22 से 23 "कोई ऐसे ग्रनुदेश नहीं देगा जो उसके कानूनी कर्तव्यों पर प्रभाव डालें ।" के **स्थान पर** "कोई ऐसे ग्रनुदेश नहीं देगा जो इस ग्रधिनियम द्वारा या इसके ग्रधीन ग्रधिरोपित उसके कानूनी उत्तरदायित्वों की पूर्ति पर प्रभाव डालें ।" **प्रतिस्थापित किया जाय ।**

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुग्रा ।

12. **खण्ड 13**--यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुग्रा ।

13. समिति की बैठक 13.00 बजे स्थगित हुई तथा 15.30 बजे पुन: समवेत हुई ।

14. **खण्ड 14**--इस खण्ड पर विचार करना स्थगित कर दिया गया ।

15. **खण्ड 15**--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुग्रा :--

पृष्ठ 11, पंक्ति 6
"बहत्तर घण्टे" के **स्थान पर**
"चौबीस घण्टे" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुग्रा ।

16. **खण्ड 16**--इस खण्ड पर विचार करना स्थगित कर दिया गया ।

17. **खण्ड 17**--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :--

(एक) पृष्ठ 11, पंक्ति 34,

"काम के दिनों के ग्रौसत पर" के पश्चात्

"या पूर्वगामी सप्ताह में उसके दैनिक उपार्जन के ग्रौसत पर इनमें जो भी ग्रधिक हो उस पर" **जोड़ा जाये ।**

(दो) पृष्ठ 11, पंक्ति 38,

"खाद्यान्नों" के **पश्चात्** "और खाद्य तेलों" **अन्तःस्थापित** किया जाये ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

18. **खण्ड** 18 **तथा** 19 —ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

19. **खण्ड** 20—इस खण्ड पर विचार करना स्थगित कर दिया गया ।

20. **खण्ड** 21—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

21. **खण्ड** 22—निम्नलिखित खण्ड स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 13, पंक्ति 37 के **पश्चात्** निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये ।

'(कक) खण्ड (ग) में "जांच से सम्बद्ध" शब्दों के **पश्चात्** "भू-राजस्व की बकाया की जैसी रीति में" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ।'

(दो) पृष्ठ 14, पंक्ति 3 से 8 के **स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(गग) खान में नियोजित व्यक्तियों की ओर से 'ओवरमेन से अनिम्न प्रस्थिति के किसी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा उसका निरीक्षण किए जाने का, उसके लिए सुविधाओं का, उन समयो का जब और उस रीति का जिसमें ऐसे निरीक्षण किए जाने हैं तथा उस रीति का जिसमें ऐसे निरीक्षण की रिपोर्टें दी जानी हैं, उपबन्ध करना ।"

खण्ड, संशोधित रूप म स्वीकृत हुआ ।

22. **खण्ड** 23 से 26—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

खण्ड 27 —निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 16, पंक्ति 9,

"पांच" **के स्थान पर** "दस" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

(दो) पृष्ठ 16, पंक्ति 10,

"पन्द्रह" के **स्थान पर** "अठारह" **प्रतिस्थापित** कीजिए ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

24. **खण्ड** 28—निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 19, पंक्ति 6–8,

"परन्तु जब तक कि इसके विरूद्ध विशेष और पर्याप्त कारण न हों और वे न्यायालय द्वारा लेखबद्ध न कर दिये गए हों" का लोप किया जाये ।

खण्ड संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

25. तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 4 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

बाईस

बाइसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 4 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री मूल चन्द डागा
4. श्री आनन्दी चरण दास
5. श्री के० जी० देशमुख
6. श्री सी० डी० गौतम
7. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
8. श्रीमती शीला कौल
9. श्री बक्शी नायक
10. श्री दामोदर पांडे
11. श्री रामजी राम
12. चौधरी राम प्रकाश
13. श्री भोला राउत
14. श्री पी० एंथनी रेड्डी
15. श्री राम नारायण शर्मा
16. श्री टी० सोहन लाल
17. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
18. श्री जी० वेंकटस्वामी
19. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य सभा

20. श्री कल्याण राय
21. श्री मनोरंजन राय
22. श्री सीता राम सिंह
23. श्री काली मुखर्जी
24. श्री जगन्नाथ भारद्वाज
25. श्री कासिम अली आबिद
26. श्री द्विजेन्द्र लाल सेनगुप्ता

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्त––अपर विधायी परामर्शदाता
2. श्री वी० एस० भाष्यम्––उपविधायी परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक––सचिव
2. श्री डी० एस० निम––संयुक्त सचिव
3. श्री महेश चन्द्र––विशेष कार्य अधिकारी (विधिक)
4. श्री एच० बी० घोष––खान सुरक्षा के महानिदेशक
5. श्री वी० के० चानना––उप सचिव
6. श्री एम० ए० एम० राव––उप सचिव
7. श्री पी० आर० नायर–– अवर सचिव
8. श्री एच० एस० आहूजा––खान सुरक्षा के निदेशक
9. श्री डी० वी० एस० नारायण राव––वरिष्ठ विधि अधिकारी

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे––उप सचिव

2. श्रम और पुनर्वास मंत्री, श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी ने, जो समिति के सदस्य नहीं है, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने विधेयक पर आगे खण्ड–वार विचार करना आरम्भ किया।

4. खण्ड 2 : समिति ने इस खण्ड पर पुनः विचार करना आरम्भ किया। समिति ने निर्णय किया कि अधिनियम की धारा 2(ट) में "खान का कार्यालय" की परिभाषा को संशोधित करने के बजाय "खान के परिसर के भीतर अवस्थित "शब्दों के स्थान पर "खान में या उसके आसपास" शब्द प्रतिस्थापित करके विधेयक के खण्ड 2 में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित नये खण्ड (ज) (V) में स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाये।

5. खण्ड 16 : [देखिये दिनांक 3 जुलाई 73 के कार्यवाही सारांश का पैराग्राफ 16] निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :––

पृष्ठ 11,

(i) पंक्ति 9, "23क" के स्थान पर "23क(1)" प्रतिस्थापित करें।

(ii) पंक्ति 10–11, "तीन या अधिक व्यक्तियों" के स्थान पर "किसी व्यक्ति" प्रतिस्थापित करें।

(iii) पंक्ति 12, "या निरीक्षक के" के स्थान पर "या निरीक्षक के लिए धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन दुर्घटना की सूचना दी जानी अपेक्षित है, "

(iv) पंक्ति 19 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

"(2) धारा 23 की उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रभाव डाले बिना मुख्य निरीक्षक या उक्त निरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात बहत्तर घंटे के अन्दर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करे।

(3) जहां कि मुख्य निरीक्षक ने या उक्त निरीक्षक ने दुर्घटना के समय से बहत्तर घंटे के अंदर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण नहीं किया है, वहां दुर्घटना स्थल पर काम फिर से शुरु किया जा सकता है।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

6. खण्ड 20—[देखिये दिनांक 3 जुलाई 1973 के कार्यवाही सारांश का पैराग्राफ 19] — निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ:—

पृष्ठ 12, पंक्ति 20,

उप-धारा '(क)' को उप-धारा '(क)' के रूप में पुनराक्षरित करें और इस प्रकार पुनराक्षरित की गई उप-धारा '(कक)' के पहले निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें—

'(क) उपधारा (1) में,

(i) खण्ड (क) में 'सोलह दिन" शब्दों के स्थान पर "बारह दिन" शब्द रखे जायेंगे;

(ii) खण्ड (ख) में "बीस दिन" शब्दों के स्थान पर "सोलह दिन" शब्द रखे जायेंगे।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

7. खण्ड 28—[देखिये दिनांक 3 जुलाई 1973 के कार्यवाही सारांश का पैराग्राफ 24]—इस खण्ड पर पुनः विचार किया गया और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 19,

पंक्ति 4 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

'(ख) "जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु पांच हजार रुपये तक हो सकेगा" शब्द रखे जायेंगे;

8. खण्ड 29—निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण संबधी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत हुए :—

(i) पृष्ठ 19 पंक्ति 14 से 16, निम्नलिखित का लोप करें :—

"जब तक कि इसके विरुद्ध विशेष और पर्याप्त कारण न हों, और वे न्यायालय द्वारा लेखबद्ध न कर लिए गए हों"

(ii) पृष्ठ 19 पंक्ति 16–17,

"एक हजार रुपये" के स्थान पर "तीन हजार रुपये"; प्रतिस्थापित करें।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

9. खण्ड 30 से 33—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

10. खण्ड 34—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 20 पंक्ति 21,

"जब तक अन्यथा विहित न किया जाए" का लोप करें।

खण्ड यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

11. खण्ड 35—[देखिये दिनांक 3 जुलाई, 1973 के कार्यवाही सरांश का पैराग्राफ 5] —निम्नलिखित और संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 24 के बाद, जोड़िये

"(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन उपजीविका जन्य (स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अन्तर्गत चिकित्सीय परीक्षा के लिए चुना जाता है, अपने कार्य-विशेष के लिए यदि चिकित्सीय रुप से अयोग्य पाया जाता है तो उसका उपचार पूरे वेतन के साथ प्रबन्धकों के खर्च पर किया जायेगा और तत्पश्चात्, यदि वह वर्तमान कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसके लिए समुचित वैकल्पिक कार्य की व्यवस्था की जायेगी।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

12. खण्ड 14—[देखिये दिनांक 3 जुलाई 1973 के कार्यवाही सारांश का पैराग्राफ 14]— निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण संबंधी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 10, पंक्ति 40,

"आवश्यक न हो" के बाद जोड़िये "और ऐसे सभी मामलों में, बेकार हो गये श्रमिकों को उनके काम पर वापस आने तक पूरी मजदूरी दी जाये।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

13. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर और आगे खण्डवार विचार करने के लिए गुरुवार, 19 जुलाई 1973 को 15.30 बजे और आवश्यक होने पर, शुक्रवार, 20 जुलाई 1973 को भी 10.00 बजे पुनः समवेत होने का निश्चय किया।

14. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तेईस

तेइसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार 19 जुलाई 1973 को 15.30 बजे से 17.39 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनंत प्रसाद शर्मा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीनेन भट्टाचार्य
3. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
4. श्री मूल चन्द डागा
5. श्री के० जी०देशमुख
6. श्री सी० डी० गौतम
7. श्रीमती शीला कौल
8. श्री बक्शी नायक
9. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
10. श्री दामोदर पांडेय
11. श्री रामजी राम
12. चौधरी राम प्रकाश
13. श्री भोला राउत
14. श्री रामनारायण शर्मा
15. श्री टी० सोहन लाल
16. सरदार स्वर्णसिंह सोखी
17. श्री जी० वेंकटस्वामी
18. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव

राज्य सभा

19. श्री कल्याण राय
20. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
21. श्री वी० के० महन्ती
22. श्री सीताराम सिंह
23. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर
24. श्री जगन्नाथ भारद्वाज

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्ता,–अपर विधायी परामर्शदाता
2. श्री वी० एस० भाष्यम–उपविधायी परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एन० नायक –सचिव
2. श्री डी० एस० निम – संयुक्त सचिव
3. श्री एच० बी० घोष – खान सुरक्षा महानिदेशक
4. श्री बी० के० चानना – उप सचिव
5. श्री महेश चन्द –विशेष कार्यकारी अधिकारी (कानूनी)
6. श्री पी० आर० नायर – अवर सचिव
7. श्री एच० एस० आहूजा – खान सुरक्षा निदेशक

2. समिति ने विधेयक पर खण्ड वार आगे विचार आरम्भ किया ।

3. **खण्ड 3**—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया ।

परन्तु खदानों तथा ऊपर से खुले मुंह वाली खानों के दौरे से प्राप्त अनुभव और समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के आधार पर समिति ने अनुभव किया है कि चूंकि ऊपर से खुले मुंह वाली खानों तथा खदानों की कार्य की स्थितियां भूमिगत खानों की कार्य परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न हैं अतः यह वांच्छनीय है कि ऊपर से खुले मुंह वाली खानों तथा खदानों के लिये पृथक विनियम बनाये जायें । समिति ने नोट किया है कि इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने भी अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि ऊपर से खुले मुंह वाली खानों तथा खदानों के लिये पृथक विनियम बनाये जायें । समिति ने यह भी नोट किया है कि खानों में सुरक्षा के सम्बन्ध में 14 तथा 15 जुलाई, 1973 को कलकत्ता में हुए तीसरे सम्मेलन में भी यह विचार व्यक्त किया था कि ऊपर से खुले मुंह वाली खानों के सम्बन्ध में, उन के आकार तथा उनसे निकाले गये खनिज पर विचार किये बिना पृथक विनियम बनाने पर विचार किया जाना चाहिये । अतः समिति ने सरकार से यह सिफारिश करने का निणय किया है कि ऊपर से खुले मुंह वाली खानों तथा खदानों के लिये शीघ्र ही पृथक विनियम बनाये जायें ।

4. **खण्ड 7**– एक. समिति ने निर्णय किया कि दो बोर्ड होने चाहियें जिनमें एक कोयला खनन उद्योग के लिये तथा दूसरा बोर्ड कोयला भिन्न खनन उद्योग के लिये बनाया जाये । समिति ने इस खण्ड को समुचित रूप से फिर से तैयार करने के लिये विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया ।

दो. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 7–8.

"खानों के स्वामियों के इस तरह के सगठनों के परामर्श से" के **स्थान पर**

"खानों के स्वामियों के परामर्श से या खानों के स्वामियों के इस तरह के संगठनों के परामर्श से" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

खण्ड पर आगे विचार स्थगित कर दिया गया ।

5. तत्पश्चात् समिति को बताया गया कि इस समय खान सुरक्षा निदेशालय में विधेयक तथा अधिनियम में उल्लिखित "खानों मुख्य निरीक्षक" या "खान निरीक्षक" जैसा कोई पद नहीं है ।

ब्रिटिश केलेण्डर, आना जैसे कुछ शब्द भी प्रचलन में नहीं हैं। समिति का विचार है कि इस तरह के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के पदों के नाम तथा ऐसे शब्दों जो प्रचलन में नहीं है, को अधिनियम तथा विधेयक दोनों में जहां कहीं आवश्यक हों बदल दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिये समिति ने विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया।

6. तत्पश्चात् समिति ने शुक्रवार, 20 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे के बजाय 16.00 बजे बैठक करने का निर्णय किया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

चौबीस

चौबीसवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 20 जुलाई, 1973 को 16.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री मूल चन्द डागा
5. श्री सी० डी० गौतम
6. श्री बक्शी नायक
7. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
8. श्री दामोदर पांडे
9. श्री प्रभुदास पटेल
10. चौधरी राम प्रकाश
11. श्री राम नारायण शर्मा
12. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी

राज्य सभा

13. श्री कल्याण राय
14. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
15. श्री सीता राम सिंह
16. श्री विनय कुमार रामलाल पाराशर

17. श्री काली मुखर्जी

18. श्री जगन्नाथ भारद्वाज

19. श्री हिम्मत सिंह

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्त—अपर विधायी परामर्शदाता

2. श्री वी० एस० भाष्यम—उप विधायी परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक—सचिव

2. श्री डी० एस० निम—संयुक्त सचिव

3. श्री एच० बी० घोष—खान सुरक्षा महानिदेशक

4. श्री वी० के० चानना— उप सचिव

5. श्री महेश चन्द्र— विशेषकार्यकारी (विधिक)

6. श्री एच० एस० आहूजा—खान सुरक्षा निदेशक

7. श्री पी० आर० नायर—अपर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परंजपे—उप सचिव

2. श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी ने, जो समिति के सदस्य नहीं है, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने विधेयक पर अग्रेतर खंड वार विचार आरम्भ किया।

4. खंड 7 [क्रमागत] प्रारूपण परिवर्तनों के अध्यधीन निम्नलिखित और संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 6 पंक्ति 17

"चार" के स्थान पर "छः" प्रतिस्थापित करें।

(दो) पृष्ठ 6 पंक्ति 21 "के प्रबन्धकों" के स्थान पर "में नियोजित तकनीकी व्यक्तियों के संगठनों" प्रतिस्थापित करें।

खंड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

(तीन) पृष्ठ 6 पंक्ति 23 "के प्रबन्धक" के स्थान पर "में नियोजित तकनीकी व्यक्तियों" प्रतिस्थापित करें

5. खंड 8 [देखिये दिनांक 9 जुलाई, 1973 के कार्यवाही सारांश का पैरा 9]—समिति ने यह निर्णय किया कि जहां तक मूल अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित समिति में खानों में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, खानों में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के परामश से नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और जहां इस प्रकार के मान्यता प्राप्त मजदूर संघ नहीं है वहां केन्द्र सरकार ऐसे कर्मचारियों से परामर्श कर सकती है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, समिति ने तदनुसार खंड में संशोधन करने के लिए विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया ।

उपर्युक्त टिप्पणी के अध्यधीन खंड स्वीकृत हुआ ।

6. खंड 27 समिति ने इस खंड पर पुनः विचार आरम्भ किया, समिति का विचार था कि कोयले की खानों के अतिरिक्त अन्य ऐसी खानें भी हैं जिनमें भूमि के नीचे काम करना पड़ता है और इन खानों में भी कोयले की खानों से कम जोखिम नहीं है। अतः खान बचाव केन्द्र स्टेशन को सभी खानों की आवश्यकताओं के पूरा करना चाहिए, परणामतः कोयला खानों से भिन्न खानों पर भी शुल्क अधिरोपित किया जाना चाहिए। अतः समिति चाहती है कि सरकार विधेयक के इस खंड में संशोधन करने की व्यवहार्यता की जांच करे, जिससे कि सभी खानों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके तथा कोयले से भिन्न खानों पर भी शुल्क अधिरोपित किया जा सके ।

7. **खण्ड** 1 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया पृष्ठ 1 पंक्ति 4 "1972" **के स्थान** पर "1973" **प्रतिस्थापित करें ।**

खंड संशोधन रुप में स्वीकृत हुआ ।

8. **अधिनियमन सूत्र** निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 1

"तेईसवें" **के स्थान पर** पर "चौबीसवें" **प्रतिस्थापित** करे ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रुप में स्वीकृत हुआ ।

9. **पूरा नाम** : विधेयक का पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

10. समिति ने अनुभव किया कि चूंकि उसे अभी संशोधन रुप में विधेयक तथा अपने प्रारुप प्रतिवेदन पर विचार करना है, इसलिए उसके लिए निर्धारित तिथि अर्थात् 30 जुलाई 1973 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा । अतः समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए 18 अगस्त 1973 तक और अधिक समय बढ़ाये जाने की मांग करने का निर्णय किया ।

11. समिति ने इस सम्बन्ध में शुक्रवार 27 जुलाई 1973 को सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री रामनारायण शर्मा को प्राधिकृत किया ।

12. समिति ने विधेयक में विद्यमान मूलभूत गलतियों को ठीक करने और परिणामीस्वरुप के संशोधन यदि कोई हों, करने के लिए विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया ।

13. समिति ने निर्णय किया कि :—

(एक) समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य दोनों सभाओं के सभा पटलों पर रखा जाये, तथा

(दो) समिति को विभिन्न एसोसियेशनों, संगठनों आदि से प्राप्त ज्ञापनों की दो प्रतियां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् संसद ग्रंथालय में रखी जायें ।

14. समिति ने जम्मू तथा कश्मीर सरकार के भूविज्ञान तथा खनन निदेशालय के निदेशक श्री एस० सी० चक्रवर्ती, जिन्होंने 28 जून 1973 को समिति का श्रीनगर में हुई बैठक में समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया था, के इस अनुरोध पर भी विचार किया कि उनके साक्ष्य को गोपनीय रखा जाये । समिति ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और यह निर्णय किया कि उनका साक्ष्य न तो मुद्रित किया जाये

श्रौर न ही दोनों सभाश्रों के सभा पटलों पर रखा जाये । उनके साक्ष्य की दो प्रतियां केवल संसद सदस्यों के श्रवलोकनार्थ संसद ग्रंथालय में रखी जायें ।

15. तत्पश्चात सभापति ने सदस्यों का ध्यान विभक्ति टिप्पणों से सम्बन्धित ग्रध्यक्ष के निदेशों के ग्रन्तर्गत निदेश 87 के उपबन्धों की ग्रोर दिलाया ।

16. समिति ने ग्रपने प्रारुप प्रतिवेदन पर विचार करने ग्रौर उसे स्वीकार करने के लिए मंगलवार, 7 ग्रगस्त, 1973 को 09.30 बजे से बैठक करने का निश्चय किया ।

17. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

पच्चीस

पच्चीसवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 10 ग्रगस्त, 1973 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री ग्रनंत प्रसाद शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री भागीरथ भंवर
3. श्री खेम चन्द भाई चावड़ा
4. श्री के० जी० देशमुख
5. श्री सी० डी० गौतम
6. श्री पुरुषोतम काकोडकर
7. श्री प्रभुदास पटेल
8. श्री भोला राउत
9. श्री राम नारायण शर्मा
10. श्री टी० सोहनलाल
11. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी

राज्य सभा

12. श्री कल्याण राय
13. श्री मनोरंजन राय
14. श्री विनयकुमार रामलाल पाराशर
15. श्री जगन्नाथ भारद्वाज

विधायी परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गप्त—**ग्रपर विधायी परामर्शदाता**
2. श्री वी० एस० भाष्यम्—**उप विधायी परामर्शदाता**

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम० नायक—**सचिव**
2. श्री डी० एस० निम— **संयुक्त सचिव**
3. श्री एच० बी० घोष—**खान सुरक्षा महानिदेशक**
4. श्री वी० के० चानना—**उप सचिव**
5. श्री महेश चन्द्र—**विशेष कार्य अधिकारी विधिक**
6. श्री एच० एस० आहूजा—**खान सुरक्षा निदेशक**
7. श्री पी० आर नायर—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी, श्रम और पुनर्वास मंत्री, ने जो समति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. कुछ देर चर्चा करने के पश्चात् समिति ने निर्णय किया कि किसी आगामी तारीख तक के लिए संशोधित रूप में विधयक तथा अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना स्थगित किया जाय क्योंकि सरकार प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए कुछ और अधिक समय चाहती थी।

4. पूर्वोक्त बात को ध्यान में रखते हुए समिति ने अनुभव किया कि चूंकि उसे अभी संशोधित रुप में विधेयक तथा अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना है इसलिए उसके लिए निर्धारित तारीख अर्थात् 18 अगस्त, 1973 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। अत: समिति ने चालू सत्र के अंतिम दिन तक और अधिक समय बढाये जाने की मांग करने का निर्णय किया।

5. समिति ने इस सम्बन्ध में सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभापति और उनकी अनुपस्थित में श्री राम नारायण शर्मा को प्राधिकृत किया।

6. इसके पश्चात समिति ने संशोधित रूप में विधेयक तथा अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सोमवार, 27 अगस्त, 1963 को 16.00 बजे समवेत होने का निणय किया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई

छब्बीस

छब्बीसवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 27 अगस्त 1973 को 16.00 बजे से 17.00 बज तक हुई।

उपस्थित

श्री अनंत प्रसाद शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य

4. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा

5 श्री सी० डी० गौतम

6. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

7. श्री सुरेन्द्र मंहती

8. श्री वक्शी नायक

9. श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली

10. श्री दामोदर पाण्डे

11. श्री राम जी राम

12. श्री भोला राउत

13. चौधरी साधुराम

14. श्री राम नारायण शर्मा

राज्य सभा

15. श्री कल्याण राय

16. श्री मनोरंजन राय

17. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

18. श्री जगन्नाथ भारद्वाज

19 . श्री कासिम अली अबिद

20. श्री द्विजेन्द्र लाल सेनगुप्त

विधाई परामर्शदाता

1. श्री पी० एल० गुप्त--अपर विधायी परामर्शदाता

2. श्री वी० एस० भाष्यम--उप विधायी परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० एम. नायक--सचिव

2. श्री डी. एस० निम--संयुक्त सचिब

3. श्री एच बी. घोष-- खान सुरक्षा के महानिदेशक

4. श्री वी० के० चानना--उप सचिव

5. श्री पी०आर०नायर--अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उपसचिव

2. श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी ने जो समिनि के सदस्य नहीं है,लोक-सभा के प्राक्रया और कार्य सचांलन नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमती से बैठक में भाग लिया

3. समिति ने विधेयक पर विचार किया और विधेयक संशोधित रुप में स्वीकृत हुआ

4. तब समिति ने प्रारुप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे निम्नलिखित रुपभेद के साथ स्वीकार किया:–

प्रारुप प्रतिवेदन के पैरा 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये

16. खण्ड 3 [खण्ड 4 के रुप में पुन: संख्यांकित]—

समिति के समक्ष साक्ष्य दिये जाने के दौरान सभी छोटी खदानों के स्वामियों तथा खुले मुंह वाली खानों के स्वामियों ने समिति को अभ्यावेदन दिया था कि खान अधिनियम 1952 की धारा 3 लागू किये जाने से कार्य चालन सम्बन्धी कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं उन्होंने साथ ही यह सुझाव भी दिया कि खुले मुंह वाली और खदानखानों के लिए पृथक विनियमावली होनी चाहिये समिति नोट करती है कि इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि खुले मुंह वाली खानों और खदानों के लिये पृथक विनियमावली होनी चाहिये समिति यह भी नोट करती है कि 14 और 15 जुलाई 1973 को कलकत्ता में आयोजित खानों में सुरक्षा संबन्धी तीसरे सम्मेलन में सब का यही मत था कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उसमें की गई सिफारिशें स्वीकार्य नहीं है किन्तु फिर भी खुले मुंह वाली सभी खानों के लिये चाहे उनका आकार कुछ भी हो और चाहे खनिज की कितनी भी मात्रा निकाली जाती हो पृथक विनियमावली की व्यवस्था करने का विचार किया जा सकता है समिति सिफारिश करती है कि सरकार खुले मुंह वाली खानों और खदानों के लिये पृथक विनियमावली तैयार करे ।

5. सभापति ने घोषणा की कि विमति टिप्पण यदि कोई हो तो लोक सभा सचिवालय को भेज दिये जाये जो कि उसे बुधवार 29 अगस्त 1973 तक प्राप्त हों जायें ।

6. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री रामनारायण शर्मा को गुरुवार 30 अगस्त 1973 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और सभापटल पर साक्ष्य रखने के लिये प्राधिकृत किया ।

7. समिति ने श्री जगन्नाथ भारद्वाज और उनकी अनुपस्थिति में श्री द्विजेन्द्रलाल सेन गुप्त को गुरुवार 30 अगस्त 1973 को प्रतिवेदन और साक्ष्य राज्यसभा के पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया ।

8. समिति ने विचार विमर्श के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए श्रम और पुनर्वास मंत्री और उप-मंत्री की सराहना की ।

9. समिति ने सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए श्रम और पुनर्वास मंत्रालय श्रम और रोजगार (विभाग) के विधायी परामर्शदाता, अधिकारियों और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना की ।

10. समिति ने समिति को कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने और विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों पर समिति के विचार विमर्श के दौरान मार्ग निर्देशन करने के लिए सभापति को धन्यवाद किया ।

11. श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) ने भी सहयोग और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए समिति के सदस्यों का धन्यबाद किया । उन्होंने सहायता प्रदान करने के लिए श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के विधायी परामर्शदाता, अधिकारियों तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की ।

12 तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

MGIPND—LSIII—1835LS— —14-11-73—350.